खण्ड-226, अंक-2
बुधवार, 1 भाद्रपद, शक संवत् 1883
(23 अगस्त, 1961 ई0)

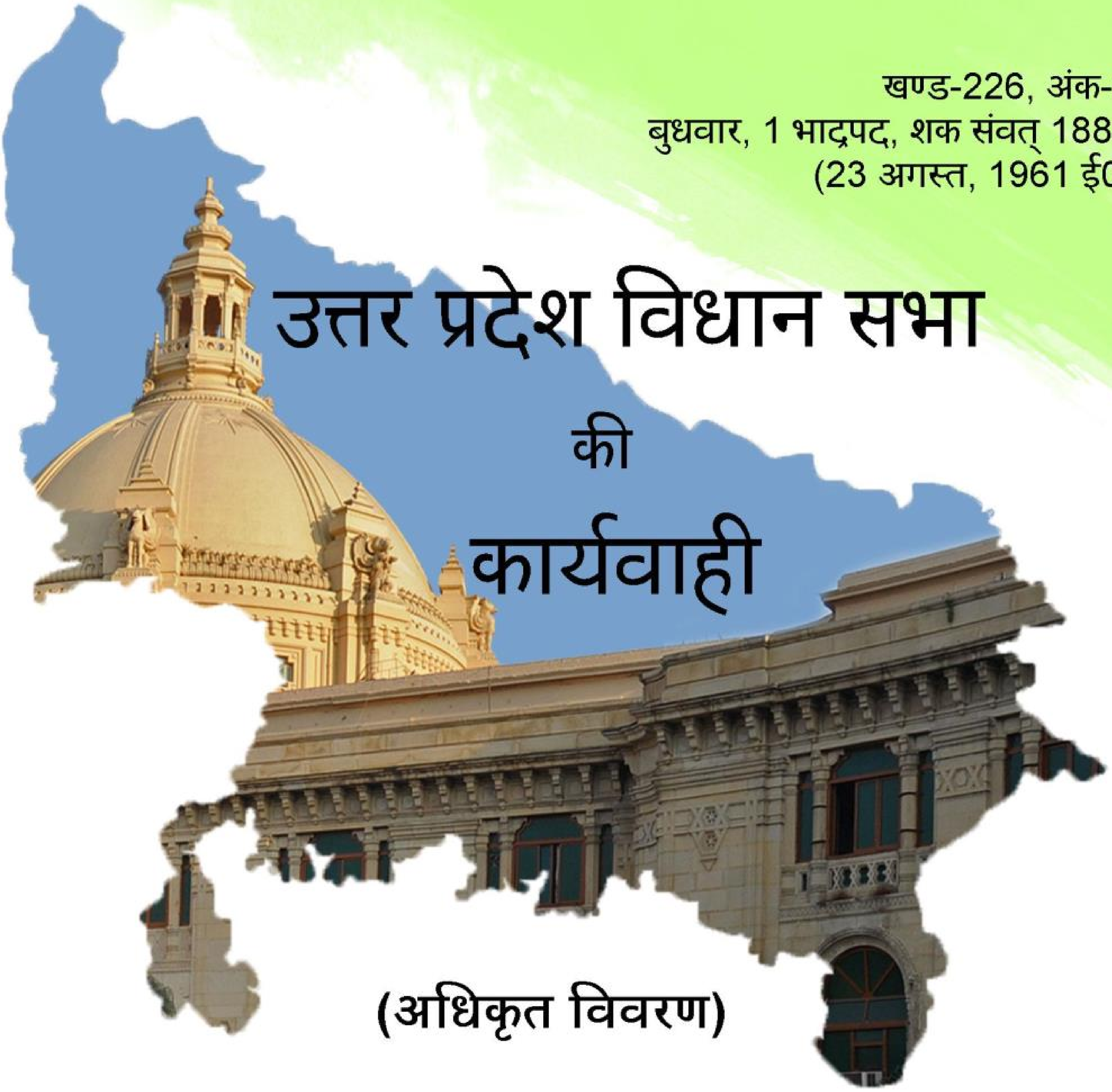

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 226 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २३ अगस्त, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३९६

अक्षयवरसिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उलफ़तसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री

गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
ग़रीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु कारण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री

नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बदलूराम, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुज़फ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री

रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुक्नुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीनारायण आचार्य, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धूसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--वित्त मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, स्वशासन मन्त्री, श्री चतुर्भुज शर्मा, श्रम मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी तथा वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २३ अगस्त, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पश्चिमी जिलों में सीमेंट का अभाव

**१--आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)--क्या खाद्य मंत्री को ज्ञात है कि पिछले ६ महीने से प्रदेश के पश्चिमी जिलों में और विशेष रूप से मेरठ, मुजफ्फरनगर तथा सहारनपुर जिलों में सीमेंट नहीं जा रहा है और उसकी भारी चोरबाजारी चल रही है?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—इन जिलों में सीमेन्ट की कमी अवश्य है परन्तु चोरबाजारी की सूचना सरकार के पास नहीं है।

**२—आचार्य दीपंकर—क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार की ओर से इस प्रदेश के पश्चिमी जिलों में सीमेंट की सप्लाई पर आंशिक प्रतिबन्ध लगा दिया गया है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां। देश में सीमेन्ट की उत्पादन में कमी के कारण भारत सरकार के सुझाव पर प्रदेश के समस्त जिलाधीशों को आदेश दे दिये गये हैं कि यदि जिले में सीमेन्ट की स्थिति संतोषजनक न हो तो वे उसके वितरण पर प्रतिबन्ध लगा सकते हैं।

**३—आचार्य दीपंकर—क्या सरकार जल्दी ही इन जिलों में सीमेंट की सप्लाई के चालू करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी हां। सीमेन्ट की सप्लाई यातायात के साधनों पर निर्भर है, अतः जैसे ही यातायात का समुचित प्रबन्ध हो जायगा सीमेन्ट की सप्लाई बढ़ जायेगी।

आचार्य दीपंकर—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सीमेंट की दुर्लभता का कारण सीमेंट के उत्पादन की कमी है, या यातायात के साधनों की कमी है, जैसा कि उन्होंने ही बताया?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—कुछ तो उत्पादन में भी कमी है, मगर ज्यादा मूवमेंट की वजह से है। रेलों की वजह से ज्यादा है।

आचार्य दीपंकर—क्या माननीय मंत्री जी यह जानते हैं कि इन जिलों में भी और पूरे प्रदेश में भी आम तौर पर अभी मकानों का बनना बन्द नहीं हुआ है, सरकार की ओर से प्रदत्त सीमेंट मिल नहीं पा रहा है, फिर ऐसी स्थिति में वह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो मकान बन रहे हैं, इनको सीमेंट कहां से मिलती है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह जो सरकारी मकानात बनते हैं डेवलपमेंट वगैरह के, उसके लिए प्लानिंग विभाग को सीमेन्ट दिया जाता है और जो प्राइवेट हैं उनके लिये जो कुछ हमारे पास आता है वह लोगों को आमतौर से बांटा जाता है, उससे आम तौर से वह बनते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि सरकार को चोरबाजारी की सूचना नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह मालूम है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय जब आगरे गये थे तो वहां लोगों ने उनसे डी० एस० ओ० के बारे में और सीमेंट और कोयले वगैरह की चोरबाजारी के बारे में शिकायत की थी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मैं भी खुद आगरा गया था, अभी दो दिन की बात है। कमी वहां जरूर है और उसका कारण यह है कि अब तक जो एजेंट्स होते थे सीमेंट फैक्ट्रियों के, वह हमारे कंट्रोल में नहीं होते थे, वह मूवमेंट जिस जगह चाहते थे कर देते थे। ज्यादातर अपने फायदे के लिए वह ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ इसको ले गए जिससे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ कमी पड़ गई। अब हमने सेंट्रल गवर्नमेन्ट से बातचीत कर के यह तय कर लिया है कि बगैर प्राविंश्यल कंट्रोलर की अनुमति के वह मूवमेंट उसका नहीं करेंगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मेरा पूरक प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, सीमेंट की कमी के बारे में उतना नहीं था—जितना इस सम्बन्ध में था-जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि चोर-बाजारी की सूचना उनको नहीं है, तो मेरा कहना यह था कि चोरबाजारी की शिकायत जो मुख्य मंत्री से की गई थी, डी० एस० ओ० के बारे में और सीमेंट और कोयले की चोरबाजारी के बारे में, उसकी सूचना क्या माननीय खाद्य मंत्री को है और क्या इस तरह की शिकायत वहां उनसे भी की गई?

श्री अध्यक्ष—मुख्य मंत्री क्या जवाब देना चाहेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—मैं जरा सवाल सुनना चाहूंगा, पहला हिस्सा मैंने सुना नहीं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मैंने यह पूछा था—माननीय खाद्य मंत्री ने यह कहा उत्तर देते हुए कि सीमेन्ट की कमी तो है, लेकिन चोरबाजारी की कोई सूचना सरकार को नहीं है। इस पर मने उनसे यह पूछा कि क्या उनको यह मालूम है कि माननीय मुख्य मंत्री जब आगरा गए थे तो वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग में कुछ लोगों ने उनसे शिकायत की थी डी० एस० ओ० की और सीमेंट और कोयले की कमी की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक कमी का विषय है वह तो सारे प्रदेश का विषय है और जहां-जहां भी मैं जाता हूं वहां-वहां सीमेंट और कोयले की कमी की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया जाता ह। जहां तक आगरे का सम्बन्ध है यह सही है कि वहां कुछ व्यक्तियों ने जिनकी मांगों को डी० एस० ओ० ने मंजूर नहीं किया था या जिन्हें वह कर नहीं पाये थे, उन्होंने उस डी० एस० ओ० की शिकायत की थी कि इनका स्थानान्तरण किया जाय। मैं अधिक उस वक्त जानकारी उस व्यक्ति के बारे में नहीं रखता था, मैंने वहां के अधिकारियों से और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से बातचीत की.....

श्री अध्यक्ष—वह सिर्फ चोरबाजारी के बारे में जानना चाहते हैं !

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं बता रहा हूं पूरे तौर पर।

मैंने उनसे सब जानकारी प्राप्त की और जानकारी प्राप्त कर के इस नतीजे पर पहुंचा, इस बात को जानते हुए कि सीमेंट और कोयला उस मात्रा में वहां नहीं पहुंच रहा है जिस मात्रा में कि वहां उसकी मांग है, और इस बात को समझते हुये कि जब पूरी मात्रा में यह चीज नहीं पाते हैं तो लोगों को नाराजगी होती है, तो इसमें अधिकारियों का कोई दोष नहीं है। वह तो उन चीजों की कमी का दोष है जो उस मात्रा में पहुंच नहीं पातीं। इसलिए उसकी शिकायत जिन्होंने की थी उसकी जांच-पड़ताल कर के मैंने यह निर्णय लिया कि उस अधिकारी का दोष नहीं है, इसलिये उसका स्थानान्तरण उस स्थान से नहीं करना चाहिये।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री महोदय को पता है और इस ओर उनका ध्यान आकर्षित हुआ है कि रेलवे के उच्चाधिकारियों ने कहा है कि इसमें रेलवे का दोष नहीं है, तथा रेलवे की वैगन्स का मूवमेन्ट जितनी शीघ्रता से होना चाहिये, लोडिंग और अनलोडिंग उतनी शीघ्रता से न होने के कारण यह डिले हो रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसमें लोडिंग और अनलोडिंग का प्रश्न नहीं है। जसा मैंने कहा है वैगन्स कम मिलती हैं। इसलिये हमने यह अब आर्डर दिया है कि जो नजदीक के जिले हैं वे रोड से ट्रान्सपोर्ट करना चाहें तो इसकी उनको इजाजत दी जाय ताकि यह कमी दूर हो जाय।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उनको कंट्रोल टाने में क्या दिक्कत है, क्यों कंट्रोल नहीं हटा रहे हैं जिससे यह ब्लैक मारकेट सदा के लिये बन्द हहो जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यों तो सीमेन्ट पर कंट्रोल नहीं था और न है। वह तो इस भय से कि बीच के जिलों में कहीं कमी हो, कहीं एक आदमी सारा सीमेन्ट न ले ले और लोग महरूम रह जायं, इसलिये जिलाधीश को उस इलाके के लिये यह ताकत दी थी।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि परमिट की दुकानों पर सीमेन्ट न मिल कर आज चोरबाजार से सीमेन्ट मिलता है इससे जनता में जो बड़ा असंतोष है, वह दूर हो जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इसमें चोरबाजारी का सवाल नहीं है। पालीवाल जी ने कहा कि आगरा जाकर इस बात की जांच-पड़ताल की कि वहां पर लोगों को शिकायत ह। डी० एस० ओ० को उतना माल सप्लाई नहीं होता है यह उसका कारण ह। यह भी उन्होंने कहा था कि पी० डब्लू० डी० या अन्य डिपार्टमेंट्स को जो सीमेंट दी जाती है वह पूरी काम में नहीं आती है। वे ब्लैक मारकेट करते हैं इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे कि यह सही है या नहीं। यह उनका कहना था।

श्री नन्दराम--आगरा के बारे में विचार हो रहा है लकिन बुलन्दशहर जो इसी कमिश्नरी का एक जिला है और इन तीन जिलों से मिला हुआ है, उसके विषय में मंत्री जी ने कोई उत्तर नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष--उन्होंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया कि कोई चोर बाजारी नहीं है।

श्री नन्दराम--यह बड़ा जरूरी प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--आप कृपया बैठें।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि किस सूत्र से यह सीमेन्ट का कारोबार होता है यह जानकारी सरकार को है? तथा प्रदेश के हर जिले में जो सीमेंट की कीमत है उससे ज्यादा कीमत देने पर हर जिले में सीमेंट बिकता है, यह भी उनकी जानकारी में है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--मेरे पास जो शिकायत की गई है, लोग यही बात कहते हैं जो आप फरमाते हैं कि ऐसा होता है। मगर मैंने जानना चाहा तो मुझे कहीं भी यह पता नहीं चला और न लोगों ने प्रमाण दिया कि यहां पर ऐसा है। जब तक निश्चित रूप से यह बात मालूम न हो जाय, मैं यह कहने के लिये मजबूर हूं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या मंत्री जी को अल्मोड़ा का समाचार ज्ञात है कि वहां २,५०० बोरे पकड़े गये हैं और खरीदने वाला भी पकड़ा गया है लेकिन बेचने वाला नहीं पकड़ा गया है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यही तो मैं कह रहा हूं। वहां भी पी० डब्लू० डी० का नाम आया है इसलिये उसकी जानकारी की जायगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन जिलों में आंशिक प्रतिबन्ध लगा दिया गया है वे कौन-कौन हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह डी० एम्स० के डिस्क्रीशन पर छोड़ दिया गया है, जहां वे आवश्यकता समझें, ऐसा प्रतिबन्ध लगायें और जहां जरूरत न हो वहां न लगायें।

कानपुर के कारखानों में कोयले की कमी की शिकायत

४--कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि कोयले की कमी के फलस्वरूप कानपुर की लगभग २५ मिलों के बन्द हो जाने का भय उपस्थित हो गया है? यदि हां, तो सरकार इसके लिये क्या कर रही है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी नहीं। यद्यपि वैगनों की कमी के कारण कोयले के आयात में कमी हो गई है, फिर भी यह कमी इतनी नहीं है कि कारखाने एकदम बन्द हो जायें। जिन कारखानों के कोयले की स्थिति खराब होने की सूचना मिली है उन्हें शीघ्र कोयला भेजने के लिये डिप्टी कोल कंट्रोलर को लिख दिया गया है।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वैगन्स की कमी किस कारण से हुई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह तो रेलवे बतला सकती है, लेकिन वह कहते हैं कि कमी है।

श्री गौरीशंकर राय---हमारे मुख्य मंत्री जी ने कई महीने पहले कहा था इसी सदन में कि केंद्रीय सरकार से और केंद्रीय सरकार के अफसरों से खुद उन्होंने बात की है और यह कोयले की समस्या बहुत जल्द हल हो जायगी। क्या आज वह इस स्थिति में हैं कि बतला सकें कि यह समस्या अब कितने और दिनों में हल हो सकेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मैंने अवश्य कहा था कि मैं इस बात की चेष्टा करूंगा कि कोयले की समस्या हल हो, परन्तु वह दिक्कत, जिसका वर्णन अभी खाद्य मंत्री जी ने किया, आज भी हमारे सामने है और यह वैगन्स की सब से बड़ी दिक्कत है। मैं जब-जब दिल्ली गया, मैंने केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों से वैगन्स बढ़ाने का निवेदन किया है और हम अपनी आवश्यकतानुसार जिस संख्या में वैगन्स चाहिये उस संख्या में उन्हें पाने में असमर्थ रहे हैं और आज यह उत्तर प्रदेश की ही समस्या नहीं है, परन्तु अन्य कई प्रदेशों की समस्या है। रेलवे का कथन है कि जितनी मात्रा में उन के पास वैगन्स होने चाहिये थे अथवा उनको बनाने के लिये द्वितीय अथवा तृतीय पंचवर्षीय योजना में धनराशि मिलनी चाहिये थी वह उनको नहीं मिल रही है। नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल में भी कई बार इन बातों पर विचार विनिमय हुआ है और यह वास्तविक कारण है। मैं सदन के समक्ष यह भी निवेदन कर दूं कि जो ५०,००० वैगन्स की हमारे प्रदेश को आवश्यकता है वह अभी जैसी हालत हम देख रहे हैं और जैसी परिस्थिति है उस हालत को देखते हुए मैं सदन को यह विश्वास नहीं दिला सकता कि वह ५०,००० वैगन्स या उसके नजदीक की कोई संख्या में वैगन्स पहुंचाने में हम समर्थ हो सकेंगे या यह सरकार समर्थ हो सकेगी।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---वैगन्स की मिलने की कठिनाई को देखते हुये क्या सरकार राजकीय परिवहन विभाग की ट्रकों का इस्तेमाल इस दिशा में करने पर विचार करेगी ? जब बिहार में देवरिया की सीमा के नजदीक तक ट्रकों से बराबर बड़ी मात्रा में कोयला ले जाया जाता है तो इस दिशा में यह सरकार क्यों नहीं कदम उठा रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इस से पूर्व एक बात हो चुकी है। अभी डम्स बनाये गये हैं वाराणसी में, कानपुर में और इलाहाबाद में और जैसा ट्रांसपोर्ट का सुझाव अपने दिया है, उस के लिये मैंने प्रारम्भ में ही कह दिया था कि हमने उनको इजाजत दे दी है कि वे इसके लिये रोड ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जहां तक गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मंगाने का सवाल है, आपको मालूम होगा कि वे केवल पैसेंजर सर्विस ही लेते हैं और इतनी मात्रा में कोयला ढोना उसके लिये संभव नहीं है। यह तो व्यक्तिगत तौर पर ठेकेदारों और कंट्रेक्टरों द्वारा ले जाया जा सकता है।

कुंवर श्रीपालसिंह---माननीय मंत्री जी ने कहा कि कारखाने एकदम बन्द हो जाने की स्थिति इस समय नहीं है। तो क्या उनको इस बात की जानकारी है कि कुछ कारखानों में कुछ पाली कोयले की कमी के कारण बन्द हुई हैं ? यदि हां, तो उसके कारण कितने मजदूर बेकार हुये हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मेरी इत्तला के अनुसार अभी उनके पास काफी दिनों के लिये कोयले का स्टाक है और अगर कमी पड़ेगी तो हम अपने जनरल कोटे से उन्हें देंगे और कमी नहीं पड़ने देंगे।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१—कुंवर श्रीपालसिंह—[६ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

आगरा के सर्राफा व्यवसाइयों का प्रतिवेदन

*२—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मुख्य मंत्री से सर्राफा कमेटी, किनारी बाजार, आगरा की ओर से कोई प्रतिनिधि मंडल गत १ से १५ अप्रैल के बीच मिला था कि सर्राफा की वस्तुओं पर एक सूची कर लगे और दरें न बढ़ाई जायं? यदि हां, तो इस विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही की?

वित्त मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—इस संबंध में आगरा के सर्राफा व्यवसाइयों की ओर से मुख्य मंत्री जी को, जब वह गत अप्रैल में आगरा गये थे, एक प्रत्यावेदन दिया गया था। सरकार उस पर विचार कर रही है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उस प्रत्यावेदन में मुख्य-मुख्य मांगें क्या थीं?

श्री हरगोविन्दसिंह—उसमें यही कहा गया है कि यहां पर टैक्स बढ़ जाने से उनके व्यापार को धक्का पहुंच रहा है क्योंकि आस-पास के प्रदेशों में तथा दिल्ली में टैक्स कम है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—तो जब इस प्रश्न पर विचार करने की तुरन्त आवश्यकता थी तो सरकार अब कब तक उस पर विचार करेगी?

श्री हरगोविन्दसिंह—सरकार इस संबंध में केंद्रीय सरकार से लिखा-पढ़ी कर रही है कि सब जगह टैक्सों की मात्रा एक ही हो।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या माननीय वित्त मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार आगरे का सर्राफा कमेटी का प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला, उसी प्रकार कानपुर, इलाहाबाद और लखनऊ की सर्राफा कमेटी के लोग भी उनसे मिले और यह मांग की कि टैक्स न बढ़ाया जाय?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी हां।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि जो उन्होंने मांगें रखी हैं उसके हिसाब से यहां चांदी और सोने के जेवरातों पर टैक्स दूसरे निकट के प्रदेशों से अधिक पड़ता है और उससे यहां के व्यापार को धक्का पहुंचा है?

श्री हरगोविन्दसिंह—बावजूद इसके कि दिल्ली में टैक्स कम है, व्यापार पर धक्का नहीं पहुंचेगा। लेकिन फिर भी सरकार उसकी छानबीन कर रही है और इसका पता लगा रही है कि इससे व्यापार को कुछ धक्का लगेगा या नहीं। अब इसमें कुछ समय लगेगा।

श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यहां जो टैक्स बढ़ाये गये हैं वे दूसरे प्रदेशों के बनिस्बत कम हैं या ज्यादा हैं?

श्री हरगोविन्दसिंह—कहीं-कहीं तो हमारे यहां से भी ज्यादा हैं, कहीं कम भी हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में सर्राफ लोगों को जो शिकायतें हैं, उनको वह कब तक दूर करने में सफल होगी?

श्री हरगोविन्दसिंह—सरकार उस पर विचार कर रही है और यह देख रही है कि यहां पर जो टैक्स बढ़ाये गये हैं उसके कारण यहां के व्यापार को धक्का पहुंचा है या नहीं। अब यह काम कोई १०–५ दिन में होने वाला नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पड़ोस के किन-किन प्रांतों में यहां से कम टैक्स है सर्राफे पर ?

श्री हरगोविन्दसिंह—वह एक बड़ी सूची है। शायद पंजाब में और दिल्ली में हम से कम है और अन्य जगहों पर करीब-करीब बराबर है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सर्राफा के जेवरातों पर जो बिक्री-कर नये ढंग से लगा हुआ है उसको एक-सूत्री कर के रूप में लगाने में सरकार को क्या अड़चन है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—यह पहले ही से मल्टिपिल प्वाइंट लगा हुआ था और उसी में बढ़ोत्तरी की गयी है। एक-सूत्री कर लगाने में दिक्कत थी, इस वजह से नहीं लगाया गया।

*३–४—श्री मोतीलाल अवस्थी—[६ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

[२३ अगस्त, १९६१ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१–२—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—[हटा दिये गये।]

देहरादून में राशन की दुकानों पर भ्रष्टाचार की शिकायत

*३—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ४ अगस्त, १९६० को देहरादून के जिला सप्लाई अधिकारी व जिला भ्रष्टाचार निरोधक कमेटी के चेयरमैन को राशन की दुकानों पर हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में कुछ आवेदन-पत्र मिले थे, और इस संबंध में दिनांक १० अगस्त, १९६० का एक पत्र जिलाधीश, देहरादून को मिला था ? अगर हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां। उक्त शिकायती-पत्र सर्वश्री अमोलकराम शर्मा तथा पुत्र की सस्ते गल्ले की दुकान के बारे में थे। ४ अगस्त, १९६० की शिकायत पर सीनियर मार्केटिंग इंसपेक्टर ने, तथा १० अगस्त, १९६० की शिकायत पर जिला पूर्ति अधिकारी ने स्वयं तुरन्त जांच की, यह व्यक्ति स्थानीय सस्ता गल्ला विक्रेता संघ का प्रधान था और इस हैसियत से उसे पूर्व जानकारी थी कि रक्षाबन्धन त्योहार के लिये कुछ मैदा दुकानों पर पहुंचने वाला है। जनता की सुविधा एवं खरीदारों की भीड़ से घपला न होने देने हेतु उसने कुछ कार्डों में दिये जाने वाले मैदे के इन्दराज पहले से कर दिये। यह कार्यवाही नियम विरुद्ध थी परन्तु जिला अधिकारियों ने विक्रेता की नीयत में कोई खराबी नहीं पाई और अनियमित कार्य के लिये उसे ताड़ना के अतिरिक्त उसके विरुद्ध अन्य किसी कार्यवाही का किया जाना उचित नहीं समझा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन अमोलकराम के खिलाफ पेश्तर भी शिकायत आयी थी कि कार्डों में गलत मैदा और अन्य राशन की चीजें दर्ज कर दी जाती हैं जो जनता नहीं मांगती और उसे फिर ब्लैक में बेच देते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मैंने बता दिया कि पहली शिकायत ४ तारीख को आयी थी, उससे पहले की कोई इत्तला नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कितने कार्ड ऐसे थे जिन में मैदा नहीं लिया गया और उसे ८ सेर फी कार्ड दर्ज किया पाया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--कुल कितनों पर किया गया, यह पता नहीं, लेकिन ३० कार्डों पर पहले से किया हुआ था।

श्री गौरीशंकर राय--उन्होंने कहा कि विक्रेता की नीयत में कोई खराबी नहीं पायी गयी, तो क्या सरकार को विक्रेता की नीयत में कोई आंशिक खराबी पायी गयी और अगर पायी गई तो क्या पायी गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--नीयत में खराबी पाते तो उसके खिलाफ कार्यवाही जिला अधिकारी करते। नीयत में खराबी नहीं पायी, इस वजह से छोड़ दिया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि विक्रेता की नीयत में खराबी नहीं पायी गयी तो किस चीज में खराबी पायी गयी ? क्या दिमाग में खराबी पायी गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--मैंने उत्तर दिया था कि टैक्निकल इर्रेगुलरिटी पायी गयी।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--क्या सरकार को ज्ञात है कि वहां और दुकानों पर, जैसे अतर सिंह और दूसरी दुकानों पर दो आदमियों ने अलग-अलग गल्ला लिया, क्योंकि साथ ही गल्ला लिया तो इतने पर लाइसेंस कैंसिल कर दिया, लेकिन अमोलकराम चूंकि कांग्रेस के सदस्य हैं इसलिये उनपर कोई कार्यवाही नहीं की गयी यद्यपि उन्होंने जाली राशन भरा, क्या यह सही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह दूसरा प्रश्न है, इस पर सूचना की आवश्यकता होगी।

लखनऊ में नियुक्त असिस्टेंट रीजनल फूड कंट्रोलर

*४--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ में सन् ४९ से ५८ तक कितने सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर लगातार रहे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--कोई भी सीनियर मार्केटिंग इंसपेक्टर सन् १९४९ से १९५८ तक लगातार लखनऊ में नहीं रहा।

*५--श्री लक्ष्मणराव कदम (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दस वर्ष लखनऊ में निरन्तर रहने के बावजूद उक्त इंसपेक्टरों में से किसी को असिस्टेंट रीजनल फूड कंट्रोलर के पद पर नियुक्त करके यहीं रख दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और क्या उक्त इंसपेक्टर के समय में ही उन्तालीस हजार रुपये का गबन हुआ था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह प्रश्न ही नहीं उठता।

अतर्रा गल्ला गोदाम से चावल की चोरी

*६--श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश खाद्य विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर द्वारा संचालित अतर्रा के गल्ला गोदाम नं० ४० से २४० बोरा चावल चोरी चला गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी हां।

*७--श्री झारखंडे राय--यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—पुलिस द्वारा जांच कराई गई और अब मुकदमा न्यायाधीन है।

श्री झारखंडेराय—इस बारे में कितने आदमी पकड़े गये हैं और उन पर किस दफा में केस चल रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सर्वश्री रामशंकर पांडेय, श्यामलाल, खंडीलाल, बाबूलाल पुत्र छोटेलाल, बाबूलाल पुत्र भूराराम और कन्हैयालाल कहार पर मुकदमा चल रहा है और मेरा खयाल है कि ४२० का है।

श्री झारखंडेराय—२४० बोरे कितने समय के दौरान में चोरी गये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—२१-२-६१ को चावल के बोरे एक आढ़ती ने दिये जो कि गवर्नमेंट की लैवी का शेयर था। १३-५-६१ को मार्केटिंग इंसपेक्टर ने जब उसे झाड़ने-बुहारने और दवाई डालने के लिये देखा तो वे गुम पाये गये।

श्री गौरीशंकरराय—ये बोरे चोर सेंध लगाकर ले गया या धीरे-धीरे गुम हुये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—गोदाम उसी मकान में था, उसका एक पार्टनर था जिसका लैवी शेयर था। उसने बोरे एक दूसरे कमरे में रख दिये थे। बोरे पकड़े जा चुके हैं, गुम नहीं हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—फरवरी से मई तक क्या गोदाम इन्चार्ज ने यह चोरी नहीं पकड़ी थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—पुलिस ने इनक्वायरी करके डिपार्टमेंट के किसी व्यक्ति को दोषी नहीं पाया। कोर्ट का केस खत्म होने पर हम विभागीय जांच करेंगे।

*८—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—[हटा दिया गया।]

गहूं तथा चावल का स्टाक

*९—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वक्त सरकार के स्टाक में कितना चावलहै और कितना गेहूं है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—५ अगस्त, १९६१ को सरकारी गोदामों में ८३,०४७ मीट्रिक टन चावल तथा २६,५३१ मीट्रिक टन गेहूं था।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय जितना गेहूं और चावल सरकार के पास है यह सब यहीं बाटा जायगा या किसी दूसरे प्रान्त में भेजा जायगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—पहले यहां वालों को खिला कर तब दूसरों की बात सोची जायगी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जितना गेहूं और चावल मंत्री जी ने स्टाक में बतलाया है ५ अगस्त को, उस में १९५९-६० के साल का कितना है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—नोटिस चाहिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी—सरकारी स्टाक में इतना चावल और गेहूं होते हुये क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की है या मांग की है कि विदेश से भी हमारे लिये मंगाया जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसमें से इम्पोर्टेड ७,४८८ मीट्रिक टन था और स्वदेशी १९,०४३ मीट्रिक टन था। हमने केन्द्रीय सरकार से यह नहीं कहा कि विदेश से मंगा दो बल्कि यह कहा है कि हर महीने हमारे कनाल टाउन्स और फ्लोर मिल्स के लिये कोटा बराबर मिलता रहे।

अल्मोड़ा व गढ़वाल जिलों में मोटर सड़कों के निर्माण का लक्ष्य बढ़ाने की प्रार्थना

*१०—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—१९६१ के प्रथम सत्र के १३ वें बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या ५३-५४ के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार कृपया कारण को स्पष्ट करेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में विभिन्न जिलों में मार्ग बनाने का लक्ष्य उन जिलों में स्टार ऐण्ड ग्रिड फार्मूला के अनुसार शेष बची लम्बाइयों के अनुपात में क्यों नहीं रखा गया है ?

चिकित्सा उप-मंत्री (श्री धर्मसिंह)—तृतीय पंचवर्षीय योजना में केवल उन्हीं जिलों में नई सड़क निर्माण का आयोजन किया गया जो स्टार ऐण्ड ग्रिड फार्मूला के लक्ष्य तक अभी नहीं पहुंचे हैं। सामान्यतया ऐसे जिलों में नई सड़कों का प्राविधान उनकी बची लम्बाइयों के अनुपात में ही रखा गया है। विशेष परिस्थितियों में इस अनुपात के अतिरिक्त भी कुछ नई सड़कों का आयोजन किया गया है।

*११—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—यह देखते हुये कि पहाड़ी क्षेत्र सबसे पिछड़ा है और वहां अन्य क्षेत्रों के विपरीत कोई रेलवे लाइनें भी नहीं हैं, तो क्या सरकार तृतीय योजना काल में अल्मोड़ा व गढ़वाल में बनाई जाने वाली मोटर सड़कों का लक्ष्य जो इस समय केवल २५ व २० रखा गया है, को बढ़ाने का विचार रखती है और क्या इस सम्बन्ध में कोई २३ मई, १९६१ को पत्र प्रश्नकर्त्ता का मिला था, तो इस पर क्या आज्ञा हुई ?

श्री धर्मसिंह—प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—जी हां।

तृतीय भाग—यह पत्र सरकार के विचाराधीन है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—इलाहाबाद, जौनपुर, लखनऊ, नैनीताल, वाराणसी और बरेली में ६७ मील से लेकर १७० मील तक एक्सीड कर दिया है, जबकि वहां पहले ही ज्यादा हैं और बदायूं, अल्मोड़ा, देवरिया, गढ़वाल, गोंडा, हरदोई, हमीरपुर, झांसी, और मेरठ में टारगेट से भी कम हैं। लेकिन इनको फिर भी अगली योजना में कम सड़कें देने का क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह—तीसरे प्लान में एलोकेशन स्टार-ग्रिड फार्मूला के आधार पर ही किया गया है। माननीय सदस्य के पत्र की बातें पूरी तरह से असत्य हैं। उनमें कोई सार नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय—कृपया मंत्री जी बतलावेंगे कि क्या कुछ जिलों में दूसरे प्लान में ज्यादा सड़कें बन चुकी हैं और तीसरे में भी उन्हीं में ज्यादा सड़कें एलोकेट की गई हैं जो स्टार-ग्रिड फार्मूले से भी ज्यादा हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—मेरा खयाल है कि ऐसा कोई जिला नहीं है।

श्री उग्रसेन—पिछड़े जिलों में जहां यातायात के साधन नहीं हैं, जैसे मिर्जापुर, सुद्धी और पहाड़ इत्यादि के इलाके हैं, जहां यातायात के साधनों का अभाव है, वहां के लिये क्या मंत्री जी कृपा करेंगे कि वहां की अन्तरिम जिला परिषदों की सिफारिशों के मुताबिक सड़कें बनवाई जावें ?

श्री गिरधारीलाल—यह रुपये की उपलब्धि पर निर्भर करता है। हम पिछड़े जिलों में रुपया बांटने की कोशिश करते हैं। अल्मोड़े में पहले प्लान से पहले १४३ मील से बढ़ कर अब ७०० मील हो गई है। और जिलों में भी बढ़ी हैं लेकिन अल्मोड़े में सब से ज्यादा बढ़ी हैं, करीब ६०० मील।

श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)—जब तीसरी योजना में दूसरी योजना से अधिक धन स्वीकृत किया गया तो क्या कारण है कि दूसरी योजना में ९ करोड़ रुपया सड़कों और पुलों के लिये था और तीसरी योजना में केवल सात करोड़ ही स्वीकृत किया गया है? यह कैसे ठीक है और क्या सरकार इसे बढ़ाने की कोशिश करेगी?

श्री गिरधारीलाल—इस विभाग की तो पूरी कोशिश होती है लेकिन प्लानिंग कमीशन प्रायोरिटी के हिसाब से हर एक विभाग के लिये अलग-अलग फंड अलाट करता है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने १६ मार्च, १९६१ को यह उत्तर दिया था कि अल्मोड़ा में स्टार ग्रिड फारमूला के हिसाब से १३० मील सड़कें बननी चाहिये थीं जिनमें से २५ मील बनीं लेकिन दूसरे जिलों में जहां १९ मील ही बनने वाली थीं वहां २५-२५ मील सड़कें अलाट किये जाने का क्या कारण है?

श्री गिरधारीलाल—जिन जिलों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सड़कें कम थीं यानी जो डेफीसिट जिले थे उनको ही अधिक सड़कें दी गयी हैं। अल्मोड़े में पहले १६६ मील थीं वहां ७०० मील हो गयी हैं, जब कि दूसरे जिलों में ३०० की ४०० मील या २०० की २५० मील ही की गयी हैं। स्टार ग्रिड फारमूले के हिसाब से जिन जिलों में माइलेज कम है उनके टारगेट को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। यह नेचुरल है कि उसमें कुछ देर लगेगी।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की भी व्यवस्था करेंगे कि जहां स्टार ग्रिड फारमूला के हिसाब से तो सड़कें बनी हुई हैं लेकिन पी० डब्ल्यू० डी० की दो सड़कों में जहां ४-४, ५-५ मील का अंतर है, उनको सरकार बनाने की कृपा करेगी?

श्री गिरधारीलाल—इसके ऊपर विचार किया जा सकता है।

*१२-१३—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—[६ सितम्बर, १९६१ के लिए स्थगित किये गये।]

*१४-१६—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—[६ सितम्बर, १९६१ के लिए स्थगित किये गये।]

*१७-१९—श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)—[हटा दिये गये।]

*२०-२१—श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)—[६ सितम्बर, १९६१ के लिए स्थगित किये गये।]

इलाहाबाद में दारागंज से झूसी जाने के लिये पुल बनवाने की मांग

*२२—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपया मुख्य मंत्री से इलाहाबाद में २२ जुलाई, १९६१ को इलाहाबाद के चुने हुये एम० एल० ए०, एम० पी० तथा नागरिकों का कोई डेपुटेशन उनसे मिला था? क्या उसमें उन लोगों ने इलाहाबाद के दारागंज से झूसी जाने के लिये पक्का पुल बनवाने तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना में उस स्कीम को शामिल करने की मांग की थी? यदि हां, तो उसके तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जायगा अथवा नहीं?

श्री धर्मसिंह—पहला भाग—जी हां ।

दूसरा भाग—प्रस्तावित पुल राष्ट्रीय मार्ग पर पड़ता है और इसके निर्माण का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर है । इलाहाबाद के नागरिकों की मांग केन्द्रीय सरकार के पास विचारार्थ भेजी जा रही है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार को इस सरकार ने तीसरी योजना में इस पुल को शामिल करन के लिये लिखा है ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं, ऐसी बात नहीं है । उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहली और दूसरी योजनाओं के सिलसिले में जो प्रपोजल भेजे थे उनमें लिखा था कि अगर हमको धन दे दिया जाय तो हम यहां पर पुल बनवा दें ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अभी प्रपोजल नहीं भेजा गया तो कब तक भेजा जायगा ?

श्री धर्मसिंह—जल्दी ही भेज देंगे ।

इलाहाबाद में स्टील ट्रंक बनाने के लिये लोहे की चद्दरों का वितरण

*२३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद के स्टील ट्रंक (Steel Trunk) बनाने हेतु वित्तीय वर्ष १९५९–६० तथा १९६०–६१ में कितना लोहा कितने कारखानों को दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इलाहाबाद के ३६ फैब्रीकेटरों के बीच १९५९–६० में ७८ टन १२ हन्डरवेट ३ क्वार्टर ७ पौंड लोहे की चद्दरें और १९६०–६१ में ३,५०,६२६ किलो ग्राम लोहे की चद्दरें ट्रंक बनाने हेतु दी गईं ।

*२४—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि जो लोहा इलाहाबाद में स्टील ट्रंक के कारखानों को दिया जाता है उसको उचित ढंग से देने के लिये सरकार ने कोई जांच कराई थी ? यदि हां, तो उसके अनुसार किन-किन कारखाने वालों को किस-किस श्रेणी में रक्खा गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां । इसकी सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १८५–१८६ पर)

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जांच क्यों करायी गयी और किसके द्वारा करायी गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह इन्क्वायरी प्राविन्शियल आयरन ऐन्ड स्टील कन्ट्रोलर के द्वारा सन् ५८ में करायी गयी थी और शिकायत यह थी कि एक ही आदमी की कई बोगस फर्म्स हैं ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—जिन १३ व्यापारियों का कोटा रद्द किया गया वह क्यों किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—ये ज्यादातर डाउनग्रेड किये गये 'ए' से 'बी' में । यह इसी वजह से किया गया कि उनका काम अच्छा नहीं था ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि तालिका में १५ वें नम्बर पर जो प्यारेलाल गुप्त नाम दर्ज है, उनका कोटा अभी भी कायम है ? क्या यह सही है कि यह फर्म बोगस है और नगर कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी के नाम वह फर्म है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—हमारे पास जो रिपोर्ट है उसम यह कहीं नहीं है कि जो आयरन उनको दिया गया था उसका उन्होंने मिस्यूज किया या जिस चीज के लिये दिया गया था उस चीज में उसे प्रयोग में नहीं लाया गया।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि एक ही फर्म जो वहां कई बोगस नामों से चल रही थी, उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की और उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मैंने बतलाया है कि मेसर्स अब्दुल खलीक फर्म को नीचे उतार कर 'ए' से 'डी' क्लास में कर दिया गया।

स्वामी योगानन्द गिरि, मायाकुंड, ऋषिकेश के पत्रों पर विचार

*२५—**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार का ध्यान हाल में मुख्य मंत्री के नाम भेजे गये स्वामी योगानन्द गिरी, माया कुंड, ऋषिकेश द्वारा भेजे गये छपे हुये पत्रों की ओर गया है जिसमें बाबा काली कमली वाले क्षेत्र, ऋषिकेश वर्तमान प्रबन्धकों के सम्बन्ध में आरोप लगाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस विषय में क्या कार्यवाही की गई ?

सहायता तथा पुनर्वासन राज्य मंत्री (श्री गोविन्दसहाय)—जी हां, स्वामी योगानन्द गिरी, मायाकुंड, ऋषिकेश के छपे हुये पत्रों पर न्याय विभाग के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

झांसी जिले में बनने वाली कथित हरिजन औद्योगिक बस्ती

*२६—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में जिस हरिजन औद्योगिक बस्ती के बनाये जाने की योजना है वह कब तक कार्यान्वित हो जावेगी ?

हरिजन कल्याण राज्य मंत्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)—झांसी जिले में हरिजन औद्योगिक बस्ती बनाने की कोई योजना नहीं है।

*२७-२९—**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—[६ सितम्बर, १९६१ के लिए स्थगित किये गये।]

वाराणसी जिले में ईंट के भट्ठों को कोयला

*३०—**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी जिले में कितने ईंटे के भट्ठे ऐसे हैं जिनको कोयले का लाइसेंस दिया गया है और कितने बिला कोयले के परमिट से चल रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—वाराणसी जिले में ५५ स्थायी भट्ठे कोयले द्वारा चल रहेहैं। इसके अतिरिक्त ४० अस्थायी भट्ठे भी कार्य कर रहे हैं जो किसी संस्था या सरकारी विभाग से कोयला प्राप्त कर या लकड़ी से ईंटा पका रहे हैं।

*३१—**श्री ऊदल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सितम्बर, सन् १९६० में वाराणसी जिले की खाद्य सलाहकार समिति ने सर्वसम्मति से २० नामों की सिफारिश सरकार से कोयले का परमिट देने के लिये की थी ? यदि हां, तो क्या कोयले का परमिट सरकार ने दे दिया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां, इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया, अतः कोयले का कोई नियमित कोटा या परमिट देने का प्रश्न नहीं उठता ।

*३२—श्री ऊदल (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् ५७ से अब तक कितना वैगन कोयला वाराणसी जिले को ईंटा के भट्ठों के लिये दिया गया और वाराणसी का कोटा कितने का था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सन् १९५७ से सन् १९६१ तक वाराणसी जिले में ३,१७० वैगन ईंट भट्ठों में वितरण के लिये प्राप्त हुये जब कि इन वर्षों में जिले का कुल कोटा ५,२३९ वैगन था ।

*३३—कुंवर श्रीपालसिंह—[६ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

हरिजन औद्योगिक बस्तियां

*३४—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने प्रत्येक जिले में हरिजनों के लिये एक औद्योगिक इकाई स्थापित करने की योजना बनाई है ? यदि हां, तो प्रदेश में इस योजना पर कितना धन व्यय किया जायगा ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—नहीं, कुल ३० लाख रुपये की लागत से १० जिलों में हरिजन औद्योगिक बस्तियां बनाई जा रही हैं ।

*३५—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त योजना के अधीन उन्नाव जिले के लिये कितना धन निर्धारित किया गया है और यह औद्योगिक इकाई किस स्थान पर कायम करने के सुझाव जिले से आये हैं तथा स्थान निश्चित करने का आधार क्या रक्खा गया है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—उक्त योजना के अधीन उन्नाव जिले में कोई बस्ती नहीं बनाई जायगी ।

श्री भीखालाल—क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ये १० जिले कौन-कौन हैं और किस आधार पर छांटे गये हैं ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—ये १० जिले—फैजाबाद, वाराणसी, फतेहपुर, हरदोई, रामपुर, मुजफ्फरनगर, नैनीताल (हलद्वानी,) देवरिया (छितौनी), मथुरा (कोसी कलां) और जालौन (कालपी) हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हरिजनों की संख्या को देखते हुये और जिलों के अलावा ये १० जिले ही क्यों चुने गये और इसका आधार क्या है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—ऐसे क्षेत्र जहां रा-मेटिरियल्स मिल सकते हैं, और हैं, ऐसी दस जगहों में एक-एक क्षेत्र को छांटा गया ।

श्री भीखालाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बकिया जिलों में भी यह योजना वे तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में लागू करने का विचार कर रहे हैं?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—इस समय जितना धन है, उससे तो इन दस जगहों पर ही योजना लागू की गयी है। अगर आवश्यकता होगी और रुपया होगा तो और जगहों में भी इसको बढ़ाया जायगा।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये जो दस जिले चुने गये हैं, उनमें हरिजनों की संख्या बनिस्बत और जिले के अधिक है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि दस जिलों में सर्वप्रथम मेरठ जिले को छांटा गया था जहां हरिजनों की जनसंख्या अधिक है, तो फिर वहां की योजना क्यों स्थगित कर दी गयी ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—इसकी मुझे कोई खबर नहीं है कि उसे छांटा गया था। इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन दस जिलों में हरिजनों की संख्या क्या अधिक है, जिससे ये सब जिले लिये गये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ये जिले इस आधार पर छांटे गये कि जिले-जिले से योजना आयी थी और वह योजना साधनों की बुनियाद पर, रोजगार जहां कुछ चल रहे थे उस बुनियाद पर और जहां रोजगार में लगे हुए व्यक्ति मिल सकते हैं, इस आधार पर पिछले वर्ष ही जब कि योजना तैयार हो रही थी, छांटे गये थे।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि कानपुर जिले में कुरीलों की संख्या बहुत अधिक है और जो देसी तरीके से चमड़े का काम करते हैं और ट्रेनिंग का कार्य करते हैं क्या सरकार औद्योगिक बस्ती, कानपुर में चलाने के लिये विचार करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कानपुर तो स्वयं ही बड़ा केन्द्र औद्योगीकरण का है और वहां पर बहुत से पिछड़ी जाति के भाई स्वतः बहुत से उद्योगों में लगे हुये हैं। यह औद्योगिक बस्तियां तो हरिजन विभाग के तहत में बनने वाली हैं और वे उन क्षेत्रों में विकसित और स्थापित होंगी जहां कि अभी उद्योग-धन्धे नहीं फैले हैं और जहां उन भाइयों को उद्योगों में लगाने के लिये हमें अधिक धन आमंत्रित करना है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि कानपुर की जो मिलें चमड़े की हैं या जो फैक्टरियां हैं वे गैर कुरीलों के हाथ में हैं या ऐसे लोगों के हाथ में हैं कि जो चमड़े का काम नहीं करते हैं, ऐसी हालत में क्या वह उन ग्रामीण क्षेत्रों में वह औद्योगिक बस्तियां बनाने की कृपा करेंगे जिससे कानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के हरिजनों को लाभ पहुंच सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस सरकार की इच्छा तो हर क्षेत्र में जहां उद्योग-धन्धे चलाये जा सकते हैं उनको संचालित करने और प्रसारित करने की है, लेकिन यह सरकार साधनों से बंधी हुई है, सीमित साधनों के रहते हुये हर स्थान पर इस योजना के अन्तर्गत यह औद्योगिक बस्तियां नहीं बनाई जा सकतीं और उसी कारण से कानपुर भी अभी इस योजना में शामिल नहीं हो सका है।

*३६-३७—श्री सजीवनलाल—[६ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*३८–३९––श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)––[हटा दिये गये ।]

*४०–४२––श्री भजनलाल (जिला इटावा)––[६ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

सर्राफा कमेटी, गाजियाबाद का आवेदन-पत्र

*४३––श्री रामस्वरूप वर्मा––क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुख्य मंत्री के पास सर्राफा कमेटी, गाजियाबाद की ओर से अप्रैल, १९६१ के द्वितीय या तृतीय सप्ताह में कोई आवेदन-पत्र सोने, चांदी पर से बिक्री-कर घटाने के विषय में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

श्री हरगोविन्दसिंह––जी हां । मामले पर सरकार विचार कर रही है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार का यह विचार कब तक पूर्ण हो जायगा और कार्यवाही हो सकेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह––मैंने पहले ही इसी से संबंधित जो नम्बर २ का आज प्रश्न था उसके संबंध में उत्तर दे दिया था ।

राजकीय मूक-बधिर विद्यालय, बरेली के प्रधानाध्यापक की नियुक्ति पर आपत्ति

*४४––श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)––क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय मूक-बधिर विद्यालय, बरेली में मार्च, १९५९ से प्रधानाध्यापक पद पर जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनकी योग्यता क्या है और उनकी नियुक्ति से पहले लोक सेवा आयोग से सलाह न लेने का क्या कारण है ?

समाज कल्याण उप-मंत्री (श्रीमती प्रकाशवती सूद)––राजकीय मूक-बधिर विद्यालय, बरेली में प्रधानाध्यापक के पद पर ११–५–५९ से श्री कृष्ण रतन कार्य कर रहे हैं । इनकी योग्यता बी० ए०, एम० एस० टी० है । इनकी नियुक्ति स्थानापन्न रूप से श्री एम० के० टिल्लू, प्रधानाध्यापक के निलम्बित किये जाने के कारण उक्त पद पर की गई थी । उनकी नियुक्ति छः महीने के अन्दर ही अन्दर समाप्त होने की सम्भावना थी, अतः लोक सेवा आयोग से सलाह लेने का तब कोई प्रश्न नहीं था ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)––क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस पद के लिये किसी व्यक्ति की निम्नतम योग्यता क्या होनी चाहिये और जो नियुक्ति की गई है क्या वह उस योग्यता को पूरा करती है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद––यह उनकी वैभागिक नियुक्ति थोड़े समय के लिये की गई थी, वैसे उनकी योग्यता इस पद पर काम करने के लिये पूरी नहीं थी ।

श्री भगवतीसिंह विशारद––क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब वह नियुक्ति ६ मास के अन्दर समाप्त नहीं हुई और सवा २ वर्ष हो गये तो अभी तक सेवा आयोग से उसकी पुष्टि क्यों नहीं कराई गई ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद––पब्लिक सर्विस कमीशन को इनके लिये लिखा गया और वहां से इनकी नियुक्ति अस्वीकृत कर दी गई है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद––क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब लोक सेवा आयोग ने उनकी नियुक्ति को अस्वीकृत कर दिया है तो अब भी उनको उस पद पर बनाये रखने का क्या कारण है और उन्हें क्यों नहीं हटाया गया ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—इस समय उनको हटाने का विचार सरकार के विचाराधीन है। चुनंचे पब्लिक सर्विस कमीशन को इनकी जगह पर दूसरी नियुक्ति के लिये लिख दिया गया है ताकि वह ऐडवरटाइज करने के बाद इसका सेलेक्शन कर सकें।

श्री शिवप्रसाद नागर—अध्यक्ष महोदय, बड़ी बदकिस्मती है कि मेरा नाम आपको जल्दी याद नहीं आता। केवल नागर कहकर पुकार दिया कीजिये तो आपको सुविधा होगी।

मेरा प्रश्न यह है कि क्या मंत्राणी जी कृपया बताएंगी कि यह कौन हैं और इनका नाम क्या है? क्या यह वही हैं जो लखनऊ के ब्लाइंड स्कूल के प्रिन्सिपल थे?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—जी हां।

*४५-४६—श्री त्रिलोकीसिंह—[६ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*४७—श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)—[५ वें गुरुवार के लिये प्रश्न ३९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

गोरखपुर जिले में सीमेंट की कमी

*४८—श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार को पता है कि सीमेंट की कमी के कारण गोरखपुर जनपद में सीमेंट इस समय १०-१०॥ रु० प्रति बोरी बिक रही है? यदि हां, तो सरकार इस कमी को दूर करने के लिये क्या कदम उठाने जा रही है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी नहीं। गोरखपुर जनपद में इस वर्ष सीमेन्ट की कमी अवश्य रही परन्तु सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि सीमेन्ट १० रु० या साढ़े १० रु० प्रति बोरी बिक रही है। इस समय सीमेन्ट पर पूर्ण प्रतिबंध है, और सीमेन्ट कन्ट्रोल रेट पर परमिट पर बिक रहा है।

श्री इस्तफा हुसैन—क्या मंत्री जी बताएंगे कि यह जो पूर्ण प्रतिबन्ध जिलाधीश ने गोरखपुर जनपद में सीमेन्ट की बिक्री पर लगा दिया है वह किस तिथि से लगाया और उस तिथि के पहले सीमेन्ट कितने रुपया प्रति बोरा बिक रही थी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जनवरी, १९६१ से पहले मालूम होता है कि वहां पर सीमेन्ट की कुछ कमी रही होगी और इसलिये प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन जनवरी से मार्च, १९६१ तक २ हजार मीट्रिक टन का इनका एलाटमेन्ट था और २ हजार ११५ मीट्रिक टन पहुंचा और सेकिन्ड क्वार्टर में अप्रैल से जून तक २ हजार ५०० मीट्रिक टन का एलाटमेन्ट था और ४ हजार ५७४ मीट्रिक टन पहुंचा और जुलाई से सितम्बर तक का २ हजार ५०० मीट्रिक टन का एलाटमेन्ट था जिसमें से १ हजार १९० मीट्रिक टन अब तक पहुंच चुका है। तो मालूम होता है कि दूसरे क्वार्टर में तो डबल से भी ज्यादा पहुंच गया। इसलिये वहां कमी नहीं मालूम होती है।

श्री इस्तफा हुसैन—दूसरे भाग का उत्तर नहीं मिला। उस तिथि से पहले कितने रुपये प्रति बोरी सीमेन्ट बिक रही थी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—वही कंट्रोल रेट से जो ६ रुपये कुछ पैसे हैं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी बतावेंगे कि जो इत्तला मिली है कि कंट्रोल रेट से सीमेन्ट बिकती है वह उनको जिले के सिविल सप्लाई विभाग द्वारा मिली है? और क्या यह सही है कि सिविल सप्लाई विभाग की साजिश से कंट्रोल से ऊपर दाम पर वह बिकती है?

श्री अध्यक्ष--पहले आप एक सवाल कर लें कि उसी एजेन्सी से खबर मिली है या नहीं ।

श्री गेंदासिंह--किस एजेन्सी से उनको खबर मिली कि कंट्रोल रेट से ही सीमेन्ट बिक रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट, जिसकी डी० एम० की जिम्मेदारी होती है, उसके द्वारा मालूम हुआ ।

श्री गेंदासिंह--क्या मंत्री जी को यह भी खबर मिली है और वे इस एलीगेशन पर जांच कराएंगे कि सिविल सप्लाई विभाग खुद इस मामले में ब्लैक मार्केटिंग में शामिल है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--आप लिखकर दे दीजियेगा तो मैं जांच करा लूंगा ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--अभी उन्होंने उत्तर में कहा कि साढ़े दस रुपये प्रति बोरा नहीं बिक रही है, तो क्या मंत्री जी बताएंगे कि उन्होंने बाजार में किसी खास एजेन्सी से जांच कराई थी कि कंट्रोल रेट से ज्यादा पर नहीं बिक रही है या साढ़े १० रुपये बोरी नहीं बिक रही है, या सिर्फ जिलाधीश के उत्तर पर ही संतोष कर लिया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जितने सीमेंट की आवश्यकता होती है लोग कन्ट्रोल रेट पर दूकानों से लेते हैं । चुपक से कोई क्या कर रहा है इसका कोई प्रमाण सरकार के सामने नहीं है । अगर आप प्रमाण दें तो उनको पकड़ा जाय ।

श्री गौरीशंकर राय--मंत्री जी ने कहा कि जांच करा ली जायेगी । क्या मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि इस जांच को जिलाधीश से न करा के सी० आई० डी० या किसी अन्य एजेन्सी से कराया जायगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--मैं तो इसकी आवश्यकता समझता नहीं क्योंकि सामान कोटे से ज्यादा आ रहा है इसलिये वहां इस तरह की गुंजाइश हो ही नहीं सकती ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--मंत्री जी बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में कितने मन सीमेंट की आवश्यकता की अर्जियां जनता की ओर से आयीं और कितने मन की वास्तविक सप्लाई हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इसके लिये नोटिस चाहिये ।

रुढ़लपुर-गोठीनी घाट सड़क निर्माण में पैना ग्रामवासियों को कुंआ व जमीन का मुआवजा न मिलना

*४९--श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम व पोस्ट पैना, जिला देवरिया के काश्तकारों ने जनवरी व फरवरी, १९६१ ई० में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, पी० डब्लू० डी०, गोरखपुर को और फरवरी व मार्च, १९६१ ई० में माननीय उपमंत्री निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेशीय सरकार को ऐसी लिखित शिकायतें दी हैं कि पी० डब्लू० डी० के अधिकारियों ने जो सड़क रुढ़लपुर से पैना ग्राम होकर गोठीनी घाट को निकाली है उसमें हम लोगों का पक्का कुआं दबा दिया है और सड़क में काश्त की काफी जमीन ले ली है, पर अभी तक कुआं और जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है ?

श्री धर्मसिंह--प्रथम भाग--अधिशासी अभियन्ता, गोरखपुर को प्रेषित पत्र, दिनांक १६ जनवरी, १९६१ की प्रतिलिपि सरकार को भी प्राप्त हुई है ।

द्वितीय भाग--जी हां, मुआवजा अभी नहीं दिया गया है ।

*५०—श्री गनेशचन्द्र काछी—यदि हां, तो उन शिकायतों में क्या हो रहा है ?

श्री धर्मसिंह—भूमि के प्रतिकर का नक्शा तथा कुएं आदि का विवरण तैयार किया जा चुका है तथा जिलाधीश के लेखे से प्रमाणित करने के पश्चात् मुआवजे का भुगतान किया जायगा ।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतायेगी कि काश्तकारों को मुआवजा किस तारीख तक दे दिया जायगा ?

श्री धर्मसिंह—तारीख तो बताना कठिन है, लेकिन कोशिश की जायगी कि जल्द से जल्द मुआवजा दे दिया जाय ।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतायेगी कि जो काश्तकारों का कुआं सड़क में दब गया है उसकी कीमत और जमीन का मुआवजा किस हिसाब से दिया जा रहा है ?

श्री धर्मसिंह—नक्शे सब तैयार किये जा रहे हैं । उसकी फीगर्स मेरे पास नहीं है जिससे बताया जा सके ।

औरंगाबाद में पी० डब्ल्यू डी० की रोड-बाउण्डरी पर से दूकानें हटाने का आदेश

*५१—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कस्बा औरंगाबाद, जिला बुलन्दशहर के नागरिकों ने पी०डब्ल्यू० डी० की रोड बाउन्डरी पर बनी हुई दूकानों को हटाने के लिये १९६०-६१ में शिकायत की है ? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

श्री धर्मसिंह—प्रथम भाग—नागरिकों की ओर से कोई शिकायत ऐसी नहीं प्राप्त हुई ।

द्वितीय भाग—१९५६ में वहां २२ अनधिकृत दूकानें थीं । उनकी सूचना जिलाधीश, बुलन्दशहर को उन्हें हटाने के लिये भेज दी गई है ।

*५२—श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार को यह मालूम है कि कस्बा औरंगाबाद, जिला बुलन्दशहर में पी० डब्लू० डी० की रोड बाउन्डरी पर सन् १९५८, १९५९, १९६० तथा १९६१ में अनधिकृत दूकानें बनी हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

श्री धर्मसिंह—केवल १९६० में एक दूकान बनी है ।

*५३—श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कस्बा औरंगाबाद, जिला बुलन्दशहर में पी० डब्लू० डी० की रोड बाउन्डरी पर:—

(क) दूकानें किसने बनाई हैं ?

(ख) क्यों बनाई हैं ?

(ग) किस की आज्ञा से बनी हैं ?

(घ) किराया कौन वसूल करता है ?

श्री धर्मसिंह—(क) यह सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी तालिका में दी हुई है ।

(ख) स्वार्थ सिद्धि के अतिरिक्त और कोई कारण प्रतीत नहीं होता ।

(ग) ऐसा मालूम होता है कि बिना किसी आज्ञा के बनी हैं ।

(घ) इसकी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १८७ पर)

श्री हिम्मतसिंह---मंत्री जी बतायेंगे कि जिलाधीश को यह आदेश कि दूकानें वहां से हटा दी जायं १९५६ में दिया गया या मेरे प्रश्न करने के बाद दिया गया ? अगर १९५६ में हटाने की आज्ञा दी गई थी तो अब तक क्यों नहीं हटायी गयीं ?

श्री धर्मसिंह---जिलाधीश को इसके बारे में लिख दिया गया था १९५९ में कि उनको हटायें ।

श्री हिम्मतसिंह---मंत्री जी बतायेंगे कि जिलाधीश को कब तक इन दूकानों को हटाने की आज्ञा दी गई कि हटायी जायं ?

श्री धर्मसिंह---अभी तक तो नहीं हटायी गईं, जैसा कि उत्तर में बताया गया है । लेकिन जिलाधीश को खासतौर से अब और लिख दिया जायगा कि उसके बारे में वह कार्यवाही करें ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मंत्री जी बतायेंगे कि १९५६ में जो २२ दूकानों के बारे में जिलाधीश को लिखा गया और जिलाधीश ने अभी तक ५ साल तक कोई कार्यवाही नहीं की अथवा जिलाधीश को अब लिखा जा रहा है जब से प्रश्न उठाया जा रहा है ?

श्री धर्मसिंह---उससे पहले ही लिख दिया गया था, जैसा मैंने कहा । क्या कार्यवाही जिलाधीश ने की है उसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है । लेकिन चूंकि अभी सरकार को मालूम हुआ है कि दूकानें वहीं पर हैं अतः अब विशेष रूप से और लिख दिया जायगा ।

कुंवर श्रीपालसिंह---मंत्री जी बतायेंगे कि प्रश्न संख्या ५३ के (घ) के लिये कहा गया है कि ऐसा मालूम होता है बिना किसी आज्ञा के दूकानें बनायी गईं । तो किस प्रकार से मालूम होता है इसको स्पष्ट बतायेंगे, आज्ञा से बनी हैं या बिना आज्ञा के बनी हैं ?

श्री धर्मसिंह---इसमें कहा गया है कि ऐसा मालूम होता है कि बिना किसी आज्ञा के बनी हैं । किसी की आज्ञा तो है नहीं , अगर आज्ञा होती तो बता दिया जाता ।

लखनऊ के आवारा लड़कों की कथित सुधार योजना

*५४---**श्री झारखंडेराय**---क्या सरकार ने लखनऊ शहर के लगभग ५ हजार आवारा लड़कों के सुधार के लिये स्थानीय शिक्षा संस्थाओं के सहयोग से कोई योजना बनाई है ?

आबकारी मंत्री (डाक्टर सीताराम)---लखनऊ शहर के आवारा लड़कों के सुधार के लिये स्थानीय शिक्षा संस्थाओं के सहयोग से कोई योजना नहीं बनाई गई है ।

*५५---**श्री झारखंडेराय**---यदि हां, तो उस योजना की रूप-रेखा क्या है ?

डाक्टर सीताराम---प्रश्न नहीं उठता ।

कोपागंज-कसारा सड़क

*५६---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री दिनांक १८ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि यह सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कब ली गई है और चाल वर्ष में कितना रुपया उस पर व्यय किया जायेगा ?

श्री गिरधारीलाल---प्रथम भाग---दिनांक ४ अगस्त, १९६१ ।

द्वितीय भाग---वर्तमान वित्तीय वर्ष में सड़क के रख-रखाव के लिये १५,००० रुपये का अनुदान दिया गया है ।

नोट---तारांकित प्रश्न ५३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

सहकारिता विभाग के आडिटर्स का वेतन-क्रम

*५७—श्री सुरथ बहादुर शाह (जिला खीरी)—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहकारिता विभाग के आडिटर्स का वेतन-क्रम क्या है और उनको पेंशन तथा प्राविडेंट फंड न देने का क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—कोआपरेटिव आडिट आर्गेनाइजेशन में आडिटर्स का दो प्रकार का वेतन-क्रम है। एक तो पुराना ७५–५–१२० रु० का है और दूसरा नया १२०–६–२१०–१०–२५० रु० का है।

केवल स्थायी सरकारी कर्मचारीगण पेंशन और सी० पी० फंड के अधिकारी होते हैं इसलिये जो अपने पदों पर स्थायी हैं वही इसका लाभ उठाते हैं, इसके अतिरिक्त वह कर्मचारी जो ऊंचे वेतन-क्रम के पदों पर स्थानापन्न रूप से काम करते हुये रिटायर होते हैं वह नियम के अनुसार अपने वेतन-क्रम वाले पद पर ही, जिस पर वह स्थायी हैं, उसी हिसाब से पेंशन वगैरह पाते हैं। अगर वह किसी भी पद पर स्थायी नहीं हो सके हैं तो वह किसी प्रकार के पेंशन या प्रावीडेंट फंड के अधिकारी नहीं हो पाते।

श्री विश्वनाथ शर्मा के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को एक दुखद सूचना देनी है। हमारे सदन के एक पुराने माननीय सदस्य श्री विश्वनाथ शर्मा जो १९४८ से १९५२ तक इस सदन के सदस्य थे और १९५२ से १९५८ तक विधान परिषद् के सदस्य थे, वह संसार से चले गये।

अभी दो-तीन रोज हुये, वे बख्शी के तालाब पर जो शिविर अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्षों का लग रहा था उसमें सम्मिलित हुये थे और परसों रात्रि को उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ। उनका सारा शरीर पैरेलाइज्ड हो गया और कल तीन बजे के करीब उनका स्वर्गवास हो गया।

वे हमारे उन साथियों में से थे, जो जब से स्वतंत्रता का आन्दोलन गांधी जी के नेतृत्व में इस देश में चला, उस आन्दोलन में जीवन पर्यन्त हिस्सा लेते रहे और वे बराबर १९२१ से १९४२ तक विभिन्न आन्दोलनों में हिस्सा लेते हुये, जेल की यातनायें सहते हुये सार्वजनिक जीवन में कार्य करते रहे। वे ही कार्य करते नहीं रहे, उन्होंने अपनी माता, अपनी स्त्री और अपने बच्चों में वह भावना पैदा की थी, जिसने उनमें भी सार्वजनिक जीवन में कार्य करने की क्षमता पैदा की और वे सब समय-समय पर जेलखाने की यातनायें सहते रहे। वे उन सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं में से थे जिन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने जिले में, विभिन्न संस्थाओं का निर्माण किया। वे इतने संतुलित विचार के थे कि जहां कहीं भी संघर्ष या लड़ाई होती थी, जहां कहीं द्वेष की बातें पैदा होती थीं, वे सदा उनके निराकरण की चेष्टा करते रहे और सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं में अपनी क्षमता से एक ऐसी भावना उत्पन्न करते रहे जिससे अधिक से अधिक लोग सार्वजनिक जीवन में सम्मिलित हों और अपने कर्त्तव्यों का पालन करें। ऐसा व्यक्ति, इस अवसर पर जब कि उन्हें अन्तरिम जिला परिषद् के नाते हमारे बीच में कार्य करना था, हमारे बीच से उठ गये हमें इस बात का दुख है। सारे सदन को इस बात का दुख है। जो क्षति हमारे सार्वजनिक जीवन में हुई है, उस क्षति के प्रति सहानुभूति रखते हुए, और उनके निधन पर समवेदना प्रकट करते हुये उनके संतप्त परिवार को, उनकी इस परेशानी के समय में, सांत्वना देने के लिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि सदन की सहानुभूति के विचार और जो दुख उनके परिवार पर पड़ा है उसके लिये जो हम सब को दुख है, इसको उनके परिवार तक, उनके लड़कों तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय विश्वनाथ शर्मा के संबंध में माननीय नेता सदन ने जो विचार अभी प्रकट किये हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। शर्मा जी गाजीपुर जिले के एक मशहूर समाजसेवी थे। पिछले ४० वर्षों के अन्दर वहां, चाहे जिस क्षेत्र में हो, कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ, जिसमें शर्मा जी की शिरकत न रही हो। बड़ी सुलझी हुई तबियत के, मीठे बोल बोलने वाले और धीमे धीमे बात करने वाले, ऐसे व्यक्ति कम देखने में आते हैं। शर्मा जी के न रहने से हमारे प्रदेश का एक पुराना और सच्चा समाजसेवी उठ गया। मैं मान्यवर से यह निवेदन करूंगा कि उनके दुखी परिवार को मेरी ओर से और इस तरफ के बैठने वाले दूसरे माननीय सदस्यों की ओर से हमारी समवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, शर्मा जी के आकस्मिक निधन से निश्चय ही हमारे प्रदेश की क्षति हुई है, क्योंकि ऐसे समाजसेवी, जिन्होंने अपना सारा जीवन देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में लगाया और उसके बाद देश की रचना में, कम पाये जाते हैं। ऐसे स्नेही और सरल हृदय व्यक्ति का निधन सममुच ही दुख का विषय है और इस क्षति की पूर्ति होना मुश्किल है। अतः मैं श्रीमान् से मैं निवेदन करूंगा कि मेरे और मेरे दल की ओर से उनके संतप्त परिवार के प्रति हमारी समवेदना भेजने का कष्ट करें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, दिवंगत विश्वनाथ जी शर्मा के साथ कम से कम २० वर्ष तक मुझे भी काम करने का सौभाग्य और सुअवसर प्राप्त हुआ है। उसके आधार पर सदन के माननीय नेता तथा विरोधी दल और सोशलिस्ट पार्टी के माननीय नेताओं ने उनके संबंध में जो भावनायें व्यक्त की हैं और उनकी सेवाओं की जो सराहना की है उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आप से प्रार्थना करता हूं कि हमारे और हमारे दल की ओर से भी उनके शोक संतप्त परिवार के पास समवेदना भेज दी जाय।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शर्मा जी के विषय में माननीय मुख्य मंत्री तथा अन्यान्य नेताओं ने जो बातें कही हैं उसमें मैं अपने को और भारतीय जनसंघ को सम्बद्ध करता हूं, और आपसे निवेदन है कि हम सभी की समवेदना आप उस दुखी और संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय माननीय शर्मा जी से मेरा परिचय २२ साल से पुराना रहा है। जब गाजीपुर में १९३९ में पिपरीडीह षडयंत्र केस मेरे ऊपर चल रहा था और मैं भी एक अभियुक्त की हैसियत से वहां पर था तब से उनसे और गाजीपुर के जो अन्य राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता या नेता थे उनसे मेरा सम्पर्क हुआ था। उस समय से, और कल मरने के दो घंटे पहले भी जब मैंने उनको देखा, उनके पूरे जीवन से, उनके चेहरे से, उनकी मुद्रा से, उनके स्वभाव से मैंने एक ही अनुभव किया कि वे सर्वमान्य साइलेंट वर्कर थे, उनमें शो कम था कार्य ज्यादा। जीवन का उनका यही क्रम मैंने सर्वदा देखा। गांधी जी के अनन्य भक्तों में निजी रूप से वे सर्वदा रहे। उनमें एक विशेषता मुझे सब से अधिक अच्छी यह मालूम हुई जो आजकल की बहुदलीय राजनीति में कम पायी जाती है, जो कतिपय व्यक्तियों में ही मिलती है कि विरोधियों के प्रति भी सहिष्णुता उनमें थी। यह अब कम होती जा रही है हमारे जनजीवन में। यह उनके अन्दर स्थानीय पैमाने पर भी और प्रांतीय स्तर पर भी मैंने देखा, जिसका प्रशंसक मैं सर्वदा रहा हूं। समाज की सेवा कुछ लोग यदा-कदा करते हैं, किन्हीं खास परिस्थितियों से अनुप्रेरित होकर करते हैं, लेकिन कुछ के जीवन का पेशा हो जाता है समाज सेवा। मेरा अपना खयाल है कि शर्मा जी का भी समाज सेवा पेशा हो गया था।

मैं अन्त में उनके संतप्त परिवार के प्रति अपनी और अपने दल की सच्ची सहानुभूति और समवेदना प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि उनके निधन से कम से कम गाजीपुर के

राजनीतिक और समाज सेवा क्षेत्र में जो स्थान खाली हुआ है उसकी पूर्ति होना आसान नहीं है और हमारी इन भावनाओं को आप कृपा करके उनके शोक संतप्त एवं दुखी परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष—श्री विश्वनाथ शर्मा के आकस्मिक निधन पर नेता सदन तथा अन्य पार्टियों के नेताओं ने अपनी पार्टियों की तरफ से जो भावना और दुख प्रकट किया है उन भावनाओं के साथ मैं भी अपने को सम्बद्ध करता हूं। श्री विश्वनाथ शर्मा एक ऐसे सप्पुरुष थे जिनमें जरा भी अभिमान नहीं था और दूसरे वे ऐसे उदारचित्त के थे कि कितना भी उनका विरोध किसी पार्टी से क्यों न हो जाय या किसी व्यक्ति से क्यों न हो जाय, लेकिन उसके प्रति उनका सहानुभूति पूर्ण व्यवहार रहता था और हमेशा रहा। मैं उनको १९३३ से जानता रहा हूं। वे और उनके सब कुटुम्बी राष्ट्रीय आन्दोलन में लगे रहे और हर तरह की मुसीबत उन्होंने बरदाश्त की और स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उन्होंने सामाजिक कार्यों में अपना अधिक समय व्यतीत किया। वह इतने निर्लिप्त थे कि उन्होंने कभी इस बात का डंका नहीं पीटा कि मैंने यह काम किया और वह काम किया। उनसे जब कभी किसी बात की प्रार्थना की जाती थी कि आप यह जिम्मेदारी संभालिये तभी वे उसको स्वीकार करने के लिये सदैव तत्पर रहते थे। ऐसे सज्जन, देश सेवी और समाज सेवी व्यक्ति के निधन पर हम सबको दुख होना स्वाभाविक है। आपने जो अपनी भावनायें और दुख प्रकट किया है उनको उनके संतप्त परिवार के पास मैं भेज दूंगा। अब हम सब परमात्मा से प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को शांति दे। अब हम लोग दो मिनट के लिये खड़े हो कर उनकी आत्मा की शांति के लिये परमात्मा से प्रार्थना करें।

(सब सदस्य दो मिनट के लिये अपने अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। सदन के नियम, सदन की मर्यादा और अपनी नीति के अनुसार जो सज्जन सदन में उपस्थित नहीं होते अपनी रक्षा करने के लिये उनका नाम मैं नहीं लेता हूं। नाम तो मैंने कल भी नहीं लिया था लेकिन नाम न लेने पर भी उन सज्जन के दो पदों का नाम मैंने ले दिया उससे उनका नाम स्पष्ट रूप से इंगित हो जाता है। इसलिये मैं आवश्यक समझता हूं कि कल मैंने जो बात कही उसके बारे में उसको स्पष्ट कर दूं। इस संबंध में मैं आश्वस्त हूं कि लोगों को वायरलेस सैट द्वारा तथा एस० एस० पी० द्वारा बुलाया गया। लेकिन इस संबंध में मैंने भी अपने को आश्वस्त नहीं किया कि वे उन व्यक्तियों····

श्री अध्यक्ष—उन से आपका मतलब?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—जो प्रादेशिक कांग्रेस के अध्यक्ष और पुलिस कमीशन के अध्यक्ष हैं जिनका नाम श्री अजितप्रसाद जैन है। मैं समाधान के साथ नहीं कह सकता हूं कि उन्होंने ही वायरलेस किया और एस० एस० पी० के जरिये लोगों को बुलाया, लेकिन मैं यह दोहराता हूं कि वायरलेस तथा एस० एस० पी० के जरिये अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्षों के चुनाव में लोगों को बुलाया गया।

धर्मार्थ प्रयोजनों के लिये चांदगंज योजना भूमि हस्तान्तरण नियमावली*

स्वशासन मंत्री के सभासचिव (श्री गनेशीलाल चौधरी)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निवास विभाग की विज्ञप्ति संख्या २८४(१)/एच—३७-१४१-एच-५९, दिनांक १७ मई

*छापी नहीं गई।

[श्री गनेशीलाल चौधरी]

१९६१ के अधीन प्रख्यापित "धर्मार्थ प्रयोजनों के लिये चांदगंज योजना भूमि-हस्तांतरण नियमावली" को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासक की नियुक्ति) विधेयक, १९६१

सचिव, विधान सभा--माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से सदन को निम्न-लिखित सूचना देता हूं :--

(१) सन् १९६१ का उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासक की नियुक्ति) विधेयक जो विधान सभा द्वारा २ अगस्त, १९६१ को पारित किया गया था, विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के २२ अगस्त, १९६१ को वापस प्राप्त हो गया है ।

इंडियन इलेक्ट्रिसिटी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१

सचिव, विधान सभा--सन् १९६१ ई० का इंडियन इलेक्ट्रिसिटी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, जो विधान सभा द्वारा ८ अगस्त, १९६१ को पारित किया गया था, विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के २२ अगस्त, १९६१ को प्राप्त हो गया है ।

द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति का दशम प्रतिवेदन*

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से इस समिति का दसवां प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं ।

यों तो श्रीमन्, बारबार सदन में मैंने कहा है कि विभागों की ओर से आश्वासनों के प्रति दुर्लक्ष्य किया जाता है, विलम्ब होता है । वह सारा इस प्रतिवेदन में है, परन्तु चूंकि गृह मंत्री जी मौजूद हैं इसलिये पुलिस की ओर से जो विशेष रूप से दुर्लक्ष्य किये गये हैं उनके बारे में मैं आपका ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करता हूं । समिति ने आश्वासनों की जांच करने में इस बात का अनुभव किया कि पुलिस को जो कोई भी मामला जांच के लिये भेजा जाता है उसकी आख्या प्रस्तुत करने में उन्हें आवश्यकता से अधिक समय लग जाता है । समिति चाहती है कि जो कोई भी मामला पुलिस विभाग की जांच के हेतु भेजा जाय उसकी पूर्णतया शीघ्र जांच की जाय । यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो पुलिस विभाग के निर्माण का जो उद्देश्य है वह पूरा नहीं हो पाता । समिति आशा करती है कि पुलिस विभाग समिति की इस भावना का पूर्ण रूप से आदर करेगा ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--अब एक या दो कामरोको प्रस्ताव आये हैं जिनको मैंने स्वीकार नहीं किया है क्योंकि आज अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस में उनका भी जिक्र हो सकता है और दूसरे मैं समझता हूं कि इस संबंध में अगर उत्तर में सरकार की तरफ से कोई ज्यादा सूचना न मिले तो अल्पसूचित तारांकित प्रश्न भी इस विषय में किये जा सकते हैं ।

---

*छापा नहीं गया ।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--नियम ५२ के अनुसार सिर्फ एक राजनारायण जी के प्रस्ताव को छोड़कर मैंने किसी को स्वीकार नहीं किया है। श्री राजनारायण जी ने जो प्रस्ताव दिया है वह यह है कि गत २० अगस्त, १९६१ को बलिया जिला जेल में हवालाती बंदियों पर लाठीचार्ज किये जाने के फलस्वरूप १८ बन्दी घायल हुये। जिस निरंकुश तरीके से हवालातियों पर जेल में लाठी चलाई गई है उससे आम जनता में व्यापक असंतोष है। इस संबंध में मैं कोई दूसरी तारीख रख दूंगा क्योंकि २९ तारीख तक निश्चित हो चुका है। उससे पहले अगर वे इसके बारे में सूचना चाहें तो अल्पसूचित तारांकित प्रश्न भी भेज दें तो ज्यादा अच्छा हो लेकिन इसको मैंने स्वीकार कर लिया है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--अगर सरकार आज ही दे दे।

श्री अध्यक्ष--आज सरकार नहीं दे सकती, लाठी चार्ज का मामला जो है।

श्री राजनारायण--हमारी जानकारी तो यह है कि सरकार के पास सूचना आ गयी है।

श्री अध्यक्ष--अगर मंत्री जी के पास आ गयी है और वे देना चाहें तो दे सकते हैं।

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)--मैंने पूरी बात तो सुनी नहीं है, लेकिन लाठी चार्ज का मामला है। मेरे पास उसकी कोई खबर नहीं है।

श्री अध्यक्ष--वह तो जेल से संबंधित है आपसे तो संबंधित भी नहीं। तो यह बाद में ही रहेगा।

उत्तराखंड में पुलिस स्टेशनों, पी० ए० सी० आवागमन के मार्गों तथा कैलास और मानसरोवर के यात्रियों की अन्य सुविधाओं में अव्यवस्था से उत्पन्न परिस्थितियों के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--अब राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड में पुलिस स्टेशनों, पी० ए० सी० आवागमन के मार्गों तथा कैलास और मानसरोवर के यात्रियों की अन्य सुविधाओं में अव्यवस्था से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में श्री राजनारायण द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत दिनांक ३१ जुलाई, १९६१ को दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, कृपया उसे पढ़ तो दें।

श्री अध्यक्ष--इसमें है कि मैं नियम ५२ के अन्तर्गत राज्य सरकार का ध्यान निम्नलिखित महत्वपूर्ण जनहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और माननीय मंत्री से एक वक्तव्य की अपेक्षा करता हूं :--

"राज्य सरकार के उत्तराखंड में पुलिस स्टेशनों की सुरक्षा के लिये उन्हें पूर्णरूप से सुसज्जित न करने, पी० ए० सी० के जवानों की दवादारू की व्यवस्था ठीक न होने, आवागमन के मार्गों के पूर्णरूप से ठीक न होने तथा कैलास और मानसरोवर की यात्रा में यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में न रखने से गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है।"

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--(१) पुलिस स्टेशनों के रक्षार्थ शस्त्र साधारणतया पुलिस रेग्युलेशंस के पैरा ६२ के अनुसार दिये जाते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक पुलिस

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

स्टेशन में हवालात के बन्दियों की देखरेख, खजाना, मालखाना तथा पुलिस स्टेशन की सभी सम्पत्ति की रखवाली के लिए एक सन्तरी दिन-रात तैनात रहना चाहिए। उत्तराखंड मंडल के पुलिस स्टेशनों को भी इसी नियम के अनुसार शस्त्रों से सुसज्जित किया जा रहा है। इस मंडल के पुलिस स्टेशनों को वृहत् रूप में शस्त्रों से सुसज्जित करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि इन स्टेशनों को न तो आन्तरिक गड़बड़ी से कोई भय है और न किसी विदेशी आक्रमण से।

(२) उत्तराखंड मंडल में स्थित पी० ए० सी० के सदस्यों की दवादारू के लिए शासन द्वारा समुचित प्रबन्ध किया गया है। इस काम के लिए चार डाक्टर्स, २४ कम्पाउन्डर्स तथा २४ नर्सिंग आर्डरलीज रखे गए हैं।

(३) कैलास तथा मानसरोवर को अधिकांश भारतीय यात्री जिला पिथौरागढ़ तथा तिब्बत सीमा पर स्थित लीपूलेख दर्रे से जाते हैं। जिला अधिकारियों से पूछताछ करने पर यह विदित हुआ है कि ऐसे यात्रियों को उनके रुकने के स्थान पर स्थानीय माल तथा पुलिस विभाग के कर्मचारियों तथा स्थानीय जनता द्वारा रहने के लिए स्थान, खाद्य पदार्थ, औषधियां तथा यातायात के साधनों को प्राप्त करने में पूर्ण सहायता दी जाती है। यात्रा मार्ग में सफाई आदि की उचित व्यवस्था तथा देखभाल के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष यात्राकाल के लिए कुछ कर्मचारी नियत किये जाते हैं। जिला अधिकारियों ने यह भी सूचित किया है कि यात्रियों से सीमा के इस ओर आवश्यक सुविधाओं की न्यूनता के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं मिली है, अपितु यात्रियों ने कैलास, मानसरोवर जाते समय तथा लौटते समय उनको जो सुविधायें दी गईं, उनके लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट की।

कैलास, मानसरोवर यात्रियों को अधिक सुविधाएं दिलाने के लिए यह निश्चय किया गया कि यात्रियों के मुख्य यात्रा मार्ग (धारचुला-लीपूलेख) के निम्नलिखित आठ स्थानों पर २,७०,००० रुपये लागत के विश्राम-गृह बनाये जायं--

१--धारचुला, २--खेला, ३--सिरका, ४--जिप्ती, ५--माल्पा, ६--गुन्जी, ७--गर्व्यांग, तथा ८--कालापानी।

सीमान्त के जिले बनने के कारण उन क्षेत्रों में यातायात के साधनों में शीघ्रता से सुधार किया जा रहा है। इससे कैलास तथा मानसरोवर को जाने वाले यात्रियों को भी यात्रा में अधिक सुविधा मिलेगी।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ११ मई को जबकि जोशीमठ में हम लोग ठहरे हुए थे तो वहां के सिविल अस्पताल में दो ऐसे फौजी आदमी जिनका पैर जल गया था, वह भर्ती थे और उनकी दवा की गयी, वहां निकट कोई और व्यवस्था नहीं थी, उनके लिए केवल वही एक सिविल अस्पताल था जहां पर कि उस समय तक एक्स-रे की मशीन भी फिट नहीं थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--हां, अभी उन स्थानों में, जहां अस्पताल हैं, वहां आधुनिक सुविधायें पहुंच नहीं पायी हैं जिनको कि आप प्लेन्स के अस्पतालों में देखते हैं, जिनके साधन उचित मात्रा में प्लेन्स के अस्पतालों में मुहैया कर दिये गये हैं। उत्तरोत्तर इस बात की चेष्टा की जा रही है कि इन अस्पतालों का स्तर ऊंचा किया जाय और इन अस्पतालों में भी वे सुभीते दे दिये जायं जो सुभीते प्लेन्स के अस्पतालों में बड़ी-बड़ी जगहों पर आधुनिक विज्ञान की देनों के द्वारा मिल रहे हैं।

श्री राजनारायण--क्या सरकार इसको स्पष्ट करेगी कि जबकि एक्स-रे की मशीन कई महीने पूर्व से सिविल अस्पताल में रखी है तो उसको फिट इन कराने में अब तक क्या दिक्कत है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—असली दिक्कत तो बिजली की होती है। बिजली के अलावा डीजल इत्यादि के प्रबन्ध का भी प्रश्न होता है, उसी में कभी कमी रहती है और इसलिए देर हो जाती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं जहां तक समझ पाया माननीय मुख्य मंत्री ने अपने बयान में यह कहा कि वहां पर इसलिए पुलिस स्टेशनों को इक्विप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां विदेशी आक्रमण का भय नहीं है। मैं समझता हूं कि कुछ शायद मिसअन्डरस्टैंडिंग या गलतफहमी के आधार पर यह बयान हुआ है, क्योंकि इस बात को देखते हुए कि वहां पर बारा होती का विवाद चल रहा है और उस पर एक वर्ष चीन ने कब्जा भी कर लिया था, इस वर्ष वह डिस्प्यूटेड टेरीटरी नहीं है, और प्रदेश के छः हिस्सों को चीन सरकार आज भी मांग रही है, उसके लिए भारत सरकार से लिखापढ़ी चल रही है तो मैं यह जानना चाहूंगा कि यह शब्द कैसे बयान में आ गए कि वहां विदेशी आक्रमण का भय नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह प्रश्न तो आर्डिनरी पुलिस के सिलसिले में किया गया है। जहां तक डिफेन्स का प्रश्न है, उसके विषय में न तो मैं यहां पर चर्चा करना चाहता हूं और न ही मुझे अधिकार है उसकी चर्चा करने का। आक्रमण का जो जिक्र किया गया है, आर्डिनरी पुलिस से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। जो आर्डिनरी पुलिस का इन्तजाम किया गया डिफेन्स से उसका कोई सन्तुलन नहीं है और वह कार्य उनका नहीं है जो डिफेन्स के लिये पुलिस या फौज इत्यादि करती है। आर्डिनरी पुलिस के बारे में जो बात कही गई कि उसमें जो डर हो उसका इन्तजाम पुलिस करे, क्या इसकी व्यवस्था करने का विचार है? तो उस प्रश्न को सामने रखते हुए, उस व्यवस्था को सामने रखते हुए उत्तर में यह कहा गया है कि कोई उसके डर से या कोई आक्रमण होने वाला हो, उस प्रश्न को हल करने के लिये आर्डिनरी पुलिस वहां नहीं रखी गई और न उसकी व्यवस्था की गई।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि कैलास, मानसरोवर का जो बहुत पुराना ऐतिहासिक मार्ग है वाडेछीना और बेरीनाग उस मार्ग से ३०, ४० मील का टुकड़ा मिलाने के लिये कुछ दिन पूर्व मांग की गई थी जिससे यात्रियों के लिये सुविधा होगी? उसके उत्तर में मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि उसके लिये १ करोड़ ४६ लाख की योजना है जिसमें उस सड़क को भी बनाया जायगा तो क्या कारण है कि अब उसको ड्राप कर दिया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सब पहाड़ों के नाम तो मुझे अभी याद नहीं रहते। अभी मैं इतना पहाड़ी नहीं बना हूं कि बाडेछीना इत्यादि नाम याद रहें, लेकिन बाडेछीना की सड़क बनाने की कोई योजना का प्रबन्ध उसमें है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलायेंगे कि कैलास, मानसरोवर जाने वाले यात्रियों को जो सुविधा १९५९–६० में हुई थी उससे अधिक सुविधा १९६०–६१ में हुई है, यह यात्रा अब आसान हो गई है, क्या यह बात सही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कांफिडेन्शियल रिपोर्ट आती रहती है उनसे ऐसा मालूम हुआ कि इस साल वह कठिनाई उनके बीच में नहीं आई जो गत वर्ष आई थी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इस बात को देखते हुए कि पिछले वर्ष खम्पा विद्रोह के कारण कैलास-मानसरोवर यात्रा बन्द हो गई थी और इस वर्ष भी सरकार ने कैलास-

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

मानसरोवर जाने वाले यात्रियों को यह सूचना दी है कि वह अपने रिस्क पर, अपने खतरे पर, जा सकते हैं, तो सरकार कोई इस प्रकार की सुविधा देने का प्रयास कर रही है कि जो वहां पर आन्तरिक विद्रोह तिब्बत में चल रहा है उससे प्रोटेक्शन के लिये यात्री पुलिस लेकर लीपूलेक के पास के आगे मानसरोवर तक जा सकें ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित रह सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--पुलिस को दूसरे की टेरीटरी में ले जाना यह ऐसा प्रश्न है कि जिसको शायद दूसरी सरकार मंजूर न करे। इस प्रकार का प्रश्न हमारे सामने आया भी नहीं है और न इस प्रदेशीय सरकार ने इस बात को करने की धृष्टता की है कि वह केन्द्रीय सरकार को इस प्रकार का सुझाव दे क्योंकि इतना ज्ञान इस सरकार को है कि दूसरे की टेरीटरी में पुलिस ले जाना जब तक कि दूसरे देश पर इस प्रकार से आक्रमण न हो कदाचित वर्जित ही है।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जोशीमठ से दो मील के अन्दर चाईछाई गांव है जिसके बारे में चीन का अभी तक प्रचार होता है कि यह गांव हमारा है ?

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कैलास-मानसरोवर के आस-पास या वहां से लीपूलेक के बीच में उन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था की है जिससे जाने वाले यात्रियों को कुछ सुविधा दे सकें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अभी मैंने बतलाया कि एक व्यवस्था यह हो रही है कि जगह-जगह विश्रामगृह बनायें। वह एक सुविधा है जिसकी आवश्यकता थी और उसको देने का उचित प्रबन्ध किया जा रहा है।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि १९५४ तक तिब्बत की सरकार बदरीनाथ कमेटी के पास बराबर रस्म भेजती रही है और उसके एवज में बदरीनाथ का प्रसाद वहां जाता रहा है और उसके बाद उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने उसको रोका है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मुझे तो इस बात की जानकारी के लिये नोटिस चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि सरकार की ओर से कैलास-मानसरोवर जाने वाले यात्रियों को यह सूचित किया गया है कि वे अपने खतरे पर वहां जा सकते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रस्ताव को वापस ले कर उन्हें ऐसी सुविधायें प्रदान करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार से चर्चा करेगी कि तिब्बत सीमा के अंदर भी जब वे जायं तो उनके प्रोटेक्शन के लिये चीन की सरकार कुछ व्यवस्था करे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--एक देश की सरकार का दूसरे देश की सरकार से क्या संबंध हो यह विषय केन्द्रीय सरकार से संबंध रखता है। प्रदेशीय सरकार स्वतः इस प्रकार का संबंध रखने की बात को और इस प्रकार की सहूलियत प्राप्त करने की बात को विदेशी सरकार के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकती। केन्द्रीय सरकार ने जब यह कहा कि जो यात्री जायं अपने रिस्क पर जायं वह इस व्यवस्था के अन्तर्गत कहा कि जो हालात तिब्बत में चल रहे हैं उनमें यह संभव हो सकता है कि जो यात्री वहां जायं वे किसी झगड़े में फंस जायं या किसी दिक्कत में फंस जायं। इसलिये केन्द्रीय सरकार का यह परम कर्त्तव्य था कि वे यात्रियों का ध्यान इस ओर दिला दें और साथ ही उस खतरे को भी बता दें कि जो वहां की परिस्थितियों के अनुसार यात्रियों के बीच में पैदा हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस पर बहुत काफी बात हो गयी। एक सवाल और पूछ लें।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जब बदरीनाथ कमेटी की ओर से एक सांस्कृतिक मंडल जा रहा था कैलास और मानसरोवर की ओर तो उस सांस्कृतिक मंडल को उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने रोका था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने कहा कि इसकी जानकारी नहीं है। सारी बातें थोड़े ही मेरे सामने आती रहती हैं।

लखीमपुर-खीरी नगरपालिका की आज्ञा से दूकानों को उखाड़ने के संबंध में नियम ५२ के अंतर्गत वक्तव्य

स्वशासन राज्य मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—श्रीमन्, लखीमपुर खीरी में, खास तौर से लखीमपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की कुछ सड़कें थीं और कुछ म्युनिसिपैलिटी की सड़कें थीं। इन सड़कों पर इंक्रोचमेंट (अतिक्रमण) हुआ।

श्री अध्यक्ष—आप माइक्रोफोन को सामने कर लें। सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—श्रीमन्, मैं अर्ज कर रहा हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की खास तौर पर तीन सड़कें हैं जिन पर इंक्रोचमेंट हुआ। एक लखीमपुर से गोला वाली सड़क, दूसरी लखीमपुर से सिगाही रोड और तीसरी है लखीमपुर-सीतापुर रोड। यह सड़क स्टेशन से सिनेमा हाउस और इसके एक प्रसिद्ध स्थान को जाती है जिसका जिक्र माननीय शुक्ल जी ने किया था। यह इंक्रोचमेंट बहुत दिनों से था और इससे जनता को यातायात में बड़ी तकलीफ होती थी। कई एक्सीडेंट भी हुए। इसलिये कई बार उनको हटाने के लिये चेष्टा की गयी, उनसे कहा गया कई बार कि इस अतिक्रमण को हटा दो। यह इंक्रोचमेंट कई किस्म के थे। कुछ लोगों ने छप्पर डाल रखे थे, कुछ ने टीन शेड डाल रखे थे, कुछ ने पक्के और कुछ ने कच्चे चबूतरे बना लिये थे, कुछ लोगों ने लकड़ी के स्टाल लगा रखे थे और कुछ ने जिनके चबूतरे पहले से थे उनको बढ़ा लिया था। इस तरह से तरह-तरह के इंक्रोचमेंट वहां थे जिससे पब्लिक को असुविधा होती थी। इसको हटाने के लिये सरकार की नीति के अनुसार वहां कार्यवाही ४ और ५ अगस्त को की गयी। इस कार्यवाही में पी० डब्ल्यू० डी० के तथा म्युनिसिपैल्टी के कर्मचारी थे। पुलिस के केवल दो कान्सटेबिल वहां पर रहे, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। एस० डी० एम० साहब को भी बुला लिया गया था और उनके सामने यह सारी कार्यवाही हुई। पहले उन लोगों से कहा गया कि वे अपने-अपने इंक्रोचमेंट को खुद हटा लें। इस पर ६७ आदमियों ने अपने आप ही इंक्रोचमेंट हटा लिये, केवल ६ आदमी ऐसे रह गये जिन्होंने हटाने में आनाकानी की। इस पर उन कर्मचारियों ने उनको हटा दिया और जो भी सामान निकला उसकी एक सूची बना ली और उसको म्युनिसिपल कम्पाउन्ड में रख लिया। जिन लोगों का यह सामान था, उनमें से अधिकतर लोग अपने सामान को ले भी गये हैं।

इस तरह से यह जो कार्य हुआ इसमें किसी तरह का कोई फोर्स आदि इस्तेमाल नहीं किया गया और उसका न कोई मौका ही आने पाया, क्योंकि किसी तरफ से इन्टरफिएरेंस आदि हुआ ही नहीं। यह जो कहा गया कि वहां पर लूटपाट हुई, उसका सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जैसा कि मैंने अर्ज किया, वहां कोई सामान बरबाद नहीं किया गया और न कोई लूटपाट हुई।

इन लोगों में कोई भी म्युनिसिपैलिटी के लाइसेंसी नहीं थे और यह कार्य बहुत पहले से ड्यू था और पहले हो जाना चाहिये था। जब उन लोगों से बार-बार कहने पर भी इन्होंने

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

नहीं किया, तब इस तरह से उनको हटाया गया। इस तरह की कार्यवाही और भी शहरों में हुई है और उससे जनता को खुशी हुई है, क्योंकि इससे यातायात में बड़ी रुकावट पड़ती थी, और एक्सीडेंट भी हो जाया करते थे जो अब रुक गये हैं।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो दूकानें हटा ली गयी हैं, या लूट ली गयी हैं, इनमें कितने लोग ऐसे थे जो नगरपालिका को टैक्स देते थे और लड़कर मुकदमा भी जीत चुके थे और वह उनकी पुश्तैनी दूकानें थीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैंने तो अर्ज किया था कि इनमें कोई भी ऐसी दूकानें नहीं थीं जिन्हें नगरपालिका की तरफ से कोई अधिकार मिला हो। हां, यह जरूर था कि कुछ लोगों ने अपनी दूकानें नगरपालिका द्वारा नक्शा आदि पास कराने के बाद बनवाई थीं, लेकिन उन्होंने अपना चबूतरा वगैरह काफी बढ़ा लिया था या और तरह से इन्क्रोचमेंट कर लिया था। तो जिन लोगों ने नगरपालिका के नक्शे के मुताबिक अपनी दुकानें आदि बनवाई थीं और जो उसका टैक्स देते थे, उनको नहीं हटाया गया है, जिन्होंने इंक्रोचमेंट किया था उनको ही हटाया गया है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखीमपुर में भुंईफोरवानाथ चौराहे पर जो सीमेन्टेड बिल्डिंग थी और जो नगरपालिका के नक्शे के अनुसार ही बनी थी उसको भी तोड़ कर गिरा दिया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि ७ इंक्रोचमेंट हटा दिये गये जिससे जनता को खुशी हुई। तो क्या माननीय मंत्री जी अपने उसी विचार को सामने रखते हुये यहां सदन में माननीय झारखंडे राय जी की सीट पर कांग्रेस की तरफ से जो इंक्रोचमेंट हुआ है और एक नयी सीट बढ़ा दी गयी है, उसको भी हटाने की कृपा करेंगे ?

(हंसी—उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर के अलावा खीरी टाउन एरिया में जो सड़क के किनारे करीब ५० वर्ष पुरानी इमारतें थीं और जो टाउन एरिया की इजाजत से बनी थीं, उनको भी तोड़ कर गिरा दिया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जो इन्क्रोचमेंट लखीमपुर में हटाये गये हैं ये वह नहीं हैं जो म्युनिसिपैलिटी से पास नकशे के मुताबिक बनाये गये, बल्कि उनके बाद में जो किये गये वह निकाले गये।

श्री अध्यक्ष—उनका कहना यह है कि जो टाउन एरिया पहले था और उसकी आज्ञा से बने तो उनको भी तोड़ दिया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैं अर्ज कर रहा हूं कि ऐसा नहीं हुआ।

श्री बंशीधर शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि फरधान और रजागंज वाली सड़कों के किनारे बने मकान क्यों तोड़े गये ? वह किसकी आज्ञा से तोड़े गये और किसने तोड़ा है ?

श्री अध्यक्ष—पहले गिराये गये या नहीं, यह तो पूछिये।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय मंत्री जी ने सवाल का उत्तर देने से पूर्व क्या जिला बोर्ड के रेकार्डों को देख लिया है या पी० डब्ल्यू० डी० के रेकार्ड्स से बता रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी रिपोर्ट मंगायी गयी है, रेकार्ड किसी से नहीं मंगाया है। रिपोर्ट पी० डब्ल्यू० डी० और जिलाधीश से ली गयी, उसी के अनुसार जवाब दिया गया।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—जितनी दूकानें तुड़वायी गयी हैं वह कितने दिनों से उस स्थान पर निर्मित थीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तो नहीं कह सकता, लेकिन यह जरूर है कि उनके हटाने का सवाल दो-तीन साल से चल रहा था। १९५९ में पहली मर्तबा कहा गया था। उनसे लिखित भी ले लिया गया था कि वह हटा लेंगे, बहुतों ने लिख कर दिया कि हटा लेंगे, लेकिन नहीं हटाया।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—इस तरह से सड़कों पर इंक्रोचमेंट लोग करते हैं कि जिनको हटाया जाता है तो वह फिर कर लेते हैं, इस संबंध में मंत्री जी क्या इन्तजाम कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री शिवप्रसाद नागर—प्रश्न यह है कि लखीमपुर से खीरी को जाने वाली सड़क डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की पिछले तीन साल से पी० डब्ल्यू० डी० को हैन्डओवर कर दी गयी और ये दूकानें २५ और ५० वर्ष पुरानी बनी हुई हैं, तो जो हैंड ओवर करते वक्त नकशा पी० डब्ल्यू० डी० को दिया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने उसके मुताबिक पी० डब्ल्यू० डी० को क्या अधिकार था कि ५० वर्ष पुरानी दूकानें उसने हटा दीं जबकि सड़क पाये हुए ३ वर्ष ही हुए ?

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य बार बार पूछते हैं कि ५० वर्ष से बनी दूकानें हैं उनको तोड़ा गया, आप कहते हैं कि इंक्रोचमेंट थे। तो पूरे मकानों का इंक्रोचमेंट था या प्रोजेक्शन का था, यह स्पष्ट जब तक नहीं होता है तब तक स्थिति समझ में नहीं आ सकती।

श्री चतुर्भुज शर्मा—मेरे पास सूचना किसी मकान के गिराने की नहीं है। मैंने बतलाया था कि किस प्रकार के इंक्रोचमेंट को हटाया गया, जैसे छप्पर, लकड़ी के स्टाल या बढ़ा हुआ चबूतरा, या टिन शेड बढ़ा हुआ, इस तरह के इंक्रोचमेंट की इत्तला है, किसी मकान की नहीं है।

श्री अध्यक्ष—किसी सीमेंटेड मकान की नहीं है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं।

श्री शिवप्रसाद नागर—श्रीमन्, १५ अगस्त को मैं और जिलाधीश फरधान स्टेशन पर गये थे, वहां मैंने देखा कि पूरी बिल्डिंग्स गिरा दी गयीं, उस पर जिलाधीश ने अफसोस भी जाहिर किया था और नये तौर से उनको बसाने का आश्वासन दिया था। हमने अपनी आंखों से गिरे हुए मकान देखे और टाउन में भी यही स्थिति बनी हुई है, मकान की छतें, सीमेंटेड मकान भी गिराये गये हैं, मैं नहीं जानता कि किसकी सूचना के आधार पर मंत्री जी कह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह तो सूचना हुई, प्रश्न नहीं हुआ।

श्री बंशीधर शुक्ल—श्रीमन्, गोला रोड या निघासन या खीरी रोड कितने दिन से सार्वजनिक निर्माण विभाग के हाथ में गयी, कितने दिन नगरपालिका के हाथ में रही और इसके पहले जिला बोर्ड के हाथ में कितने दिन से थी और ये मकान कितने दिन से थे, इसकी व्याख्या मंत्री जी कर दें ?

श्री अध्यक्ष—यह बहुत ब्योरे का सवाल है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जिस समय जिला बोर्ड ने सड़कें दी गयीं पी० डब्ल्यू० डी० को तो क्या यह भी सूचना दी कि यह हमारे एनक्रोचमेंट हैं पुराने और ये नहीं हटा रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री अध्यक्ष---अब इसको खत्म किया जाय । मैं समझता हूं कि आदरणीय सदन के एक सदस्य ने यह स्पष्ट कहा है कि पक्की इमारतें गिरायी गयीं और माननीय मंत्री जी ने कहा कि फुटकर एनक्रोचमेंट्स थे । यह चीज स्पष्ट नहीं होती है । मेरे विचार से इसमें फिर से जांच करके मंत्री जी किसी और दिन संक्षेप में वक्तव्य दे दें ।

श्री शिवप्रसाद नागर---श्रीमन्, जिनके मकान वहां से उखाड़ कर फेंक दिये गये, उनको बसाने का माननीय मंत्रीजी ने क्या प्रबन्ध किया ?

श्री अध्यक्ष---यह तो वे मानते ही नहीं हैं कि उनको उखाड़ा गया, फिर बसाने का सवाल कहां पैदा होता है ।

श्री वंशीधर शुक्ल---श्रीमन्, वहां दूकानें जो लूट ली गयीं उनका सामान कहां गया ? उसकी जिम्मेदारी आपकी है या नगरपालिका की ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

मंत्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष---कल श्री हरीसिंह जी बोल रहे थे, वे अपना भाषण जारी रखेंगे ।

***श्री हरीसिंह** (जिला मेरठ)---अध्यक्ष महोदय, मैं कल सोशलिस्ट पार्टी के कर्णधारों के बारे में कह रहा था कि वे दूसरी पार्टियों के कितने विश्वासपात्र हैं । जब वे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में सम्मिलित थे तब उन्होंने उन पर विश्वास न करके उनके अनुशासन को नहीं माना और अपनी नयी पार्टी स्थापित की ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है । सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं का अनुशासन नहीं माना आदि आदि बातें कल भी माननीय सदस्य ने कहीं थीं । मैं अब तक समझता रहा कि वे अनजान हैं, इसलिये उसका कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन अगर किसी पार्टी के विरुद्ध इस प्रकार से अनर्गल और अनावश्यक प्रचार होता रहेगा तो उचित न होगा ।

श्री अध्यक्ष---यह बात सही है कि उस प्रस्ताव में यह नहीं है कि कौन पार्टी किस पार्टी में चली गयी ।

श्री हरीसिंह---श्रीमन्, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के भीतरी विवाद के बारे में कल जिक्र किया था ।

श्री अध्यक्ष---आप जरा बैठें । उन्होंने जो कांग्रेस के आपस के झगड़े के बारे में कहा वह इसलिये नहीं कहा कि वह उनका आन्तरिक मामला है, बल्कि इसलिये कहा कि उनके झगड़े का प्रभाव शासन पर पड़ रहा है । लेकिन सोशलिस्ट पार्टी शासक दल नहीं है । यह उनका बिलकुल घरेलू मामला है । इसके बारे में आप कोई जिक्र न करें ।

---

†२२ अगस्त, १९६१ की कार्यवाही से ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हरीसिंह—श्रीमन्, कल मैं आपके द्वारा अपने आदरणीय सदस्यों को यही बतला रहा था कि हमारा यह घरेलू मामला है, पहले आप अपने घरों को देखिये। आप तो अपने घर में आग लगाकर तमाशा देख रहे थे। हमसे तो आपको प्रेरणा लेनी चाहिये। हमसे शिक्षा लेनी चाहिये कि लड़ाई के बाद भी हम संगठित बने रहते हैं। यही करण है कि देश की जनता हम पर विश्वास करती है, हमारी सरकार पर विश्वास करती है और इसीलिये प्रदेश की जनता ने किसी दूसरी पार्टी को सरकार बनाने नहीं दिया। श्रीमन्, जब कभी विरोधी दल के माननीय सदस्यों के भाषण होते हैं तो हम लोग शान्ति के साथ सुनते रहते हैं लेकिन जब हमारा भाषण होने लगता है तो वे बौखला जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—आप उत्तेजित न हों, यहां शांति से बोलें।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—अध्यक्ष महोदय, इन कांग्रेस के सदस्यों ने अंधेर मचा रखा है.....

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठें। (फिर भी बोलते रहने का प्रयत्न करने पर) आप कृपा करके बैठ जायं नहीं तो मुझे सदन को छोड़ने के लिये आपको कहना होगा। मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। (फिर भी न बैठने पर) अगर आप अब भी नहीं बैठते तो मैं आपको सदन से बाहर जाने की आज्ञा देता हूं।

(श्री टीकाराम पुजारी बैठ गये।)

श्री हरीसिंह—अध्यक्ष महोदय, कल हमारी सरकार पर यह दोषारोपण किया गया कि इस सरकार ने चपरासियों को निकाल दिया। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं इस आदरणीय सदन को बतला देना चाहता हूं कि बजाय सीधे नाक पकड़ने के उसे टेढ़े तरीके से पकड़ा गया। हमारी सरकार का यह परम कर्त्तव्य है और उसका यह एलान है कि हम अपने राज्य में सब को समानता का अधिकार देते हैं, और समानता तभी आ सकती है, जब हम सब एक मत से किसी को छोटा और बड़ा समझने के तरीके में परिवर्तन करें। आज चपरासियों को एक छोटी निगाह से देखा जाता है और उनसे वे काम भी लिये जाते हैं जिन्हें करने की उनकी ड्यूटी नहीं है। हम चाहते हैं कि उस तरीके में परिवर्तन होना चाहिये, लेकिन जब उसे दूर करने में हमने सफलता नहीं पायी तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि धीरे-धीरे चपरासी की पोस्ट को समाप्त किया जाय और अब तक चपरासी जो काम करते रहे हैं उन्हें स्वयं करने की प्रेरणा आफिसरों को हो। लिहाजा हमने शनैः-शनैः चपरासियों को हटाना आरम्भ किया। तो जब सरकार कहती है कि चपरासियों के साथ ऐसा गन्दा और बुरा बर्ताव होता है, तो फिर उस पर दोषारोपण क्यों हो? हां, मैं एक बात मानने के लिये तैयार हूं कि जो लोग हटाये जायं उनको तुरन्त रोजगार दिया जाय और वे बगैर रोजगार न रहें।

जहां तक सरकार का संबंध है, वह जनहित में जो भी शुभ और अच्छे काम करना चाहती है, हमारे विरोधी दल उसका भी विरोध करते हैं। मैं आपके द्वारा विरोधी पार्टीज के सदस्यों को बदला दूं कि जिस चन्द्रभानु गुप्त की आज सरकार है, कल तक वे स्वयं उनकी सराहना करते थे और उनकी हर बात की प्रशंसा करते थे तथा जनता में प्रचार करते थे, लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी के अन्दर का जो संघर्ष है उससे विरोधी पार्टियां लाभ उठाना चाहती हैं, लेकिन यह गलत है। क्योंकि हमारे शास्त्रों और नोंपुराण में भी इस तरह के उदाहरण मिलते हैं कि जब-जब यहां के लोगों के आपसी संघर्ष से दुश्मनों ने कभी अनुचित लाभ उठाने का प्रयत्न किया तो यहां के सब लोग एक हो गये। हमारे समने पांडवों का उदाहरण ही मौजूद है। जब दुर्योधन और पांडवों में आपसी संघर्ष था तो दुमश्नों ने यह समझा कि पांडव दुर्योधन के खिलाफ हैं इसलिये इस समय दुर्योधन पर हमला करके इसका

श्री हरीसिंह]

अनुचित लाभ उठाया जाय। लेकिन जब पांडवों को इसका पता लगा तो उन्होंने कहा कि हम दुर्योधन के साथ लड़ते तो हैं, लेकिन अगर दूसरा कोई दुर्योधन पर हमला करेगा तो उसके लिये वे १०० तथा हम पांडव ५ मिल कर १०५ है। इसलिये म आपके द्वारा आदरणीय सदन से कहना चाहता हूं कि जहां तक सरकार का संबंध है, वह तो जनता का कल्याण कर रही है और करती रही है, लेकिन चूंकि १९६२ का चुनाव आ रहा है, इसके प्रोपेगेंडा के लिये इस तरह की साजिश की जा रही है। आज भी किसानों तथा मजदूरों की शुभचिन्तक यह सरकार ही है, जिसके शासन को वे पसन्द करते हैं। सन् १९५२ और ५७ में भी जनता ने इस सरकार पर विश्वास प्रकट किया और सन् १९६२ में भी यह जाहिर हो जायगा कि यहां की जनता इस सरकार पर विश्वास करती है या नहीं। शनैः-शनैः यह बात सामने आ जायगी।

आपके द्वारा मैं इस आदरणीय सदन से कहना चाहता हूं कि कमियां हर सरकार में होती हैं, लेकिन इस उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य मंत्री वे लौह पुरुष हैं जिनका लोहा आज सारा प्रदेश मानता है और जिन्हें आदर की दृष्टि से देखता है। ऐसे व्यक्ति के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव नहीं हो सकता।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संयुक्त विरोधी दल की ओर से अविश्वास का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के विरुद्ध आया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

कल से शासक दल की यह सबसे बड़ी शिकायत है कि विरोधी दल गैरजिम्मेदार ढंग से अविश्वास का प्रस्ताव लाकर सदन के समय और जनता के धन का अपव्यय करते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ इस प्रकार की बात सुन कर। श्रीमन्, जब गणतंत्र की दुहाई है, और यह सब मानते हैं कि हम गणतंत्र में विश्वास करते हैं तो गणतंत्र में मतभेद का होना, सिद्धान्तों का भेद होना, विचारों का भेद होना आवश्यक है। और हर व्यक्ति और हर दल को हर व्यक्ति और हर दल के कार्यकलापों और उसके सिद्धान्तों को अपने सिद्धान्तों की कसौटी पर कसने और उस पर तौलने का हक है। और उस कसौटी पर कसने और तौलने के बाद अगर खोटापन आता है तो अवश्य ही शासन वर्ग में अविश्वास होगा, उसकी आलोचना और मीमांसा होगी, वह आवश्यक है। उसको जनतन्त्र के रहते हुये कोई रोक नहीं सकता। उस पर अविश्वास इन अवस्थाओं में होगा इस दृष्टि से नहीं विचारा जाता। यहां जनतन्त्र की तो केवल दुहाई मात्र दी जाती है लेकिन भावना यह है कि वह किसी तरह से भी कोई आलोचना या प्रत्यालोचना सुनना नहीं चाहते, तो क्या आप यह चाहते हैं कि यहां के विरोधी दल सब आप के लिये रबर-स्टाम्प बाडीज बन जांय? यह 'दुर्दैव' है इस देश का कि किसी भी जनतन्त्र में किसी दल के अन्दर इस प्रकार की छिपी हुई भावना रहे और ऐसे विचार हो जायं कि जो विरोधी दल हैं वे शासक दल की आलोचना न करें। मुझे दुख है कि आज यह भावना हमारे शासक दल में है और उन के इस तरह के कार्य भी हुये हैं। उन्होंने शासन और दल कर एक कर दिया है। इस विषय में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि और लोगों ने भी कहा है और माननीय पालीवाल जी ने तो स्पष्ट आरोप लगाया है। मैं ज्यादा दूर नहीं जाता अभी प्रादेशिक कांग्रेस के अध्यक्ष श्री ए० पी० जैन.....

श्री अध्यक्ष—आप किसी बाहर वाले व्यक्ति का यहां जिक्र नहीं कर सकते।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—मैं श्रीमन् आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं तो केवल उन का भाषण कोट कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि उसका भी जिक्र यहां नहीं करना चाहिये, क्योंकि वह यहां मौजूद नहीं हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—उन्होंने जो आरोप लगाये हैं उन्हीं के विषय में मैं कह रहा हूं लेकिन आप की आज्ञा है तो मैं वह भी नहीं कहूंगा। मैं तो उन्हीं के दल के अन्दर जो आपस के मतभेद हैं जिन को कि दल के अन्दर की बात कहा जाता है लेकिन जब मामला डाइवोर्स कोर्ट तक पहुंच जाय तो वह दल के अन्तर्गत कोई भीतरी विषय नहीं रह जाता। रोज समाचार-पत्रों में और अन्यत्र कहा जाता है कि हम को कुचला जा रहा है, हमें शासक दल मिटा रहा है और स्पष्ट आरोप लगाये जाते हैं। हम आप सब जानते हैं कि शासन का प्रयोग दल के कार्यों के लिये रोज किया जाता है। माननीय चरण सिंह जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि शासक दल की गुटबन्दी के परिणाम-स्वरूप अलीगढ़ जिले में कत्ल बढ़ गये .....

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)—मैंने यह नहीं कहा .....

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—आप ने कहा था कि अलीगढ़ में ४६ की जगह ५४ कत्ल हो गये। आप ने खुद सप्लीमेंटरी में स्वीकार किया था कि उस गुट में दलबन्दी है जिसके ऊपर शासन की जिम्मेदारी है, आपस की फूट बढ़ी है और दलबन्दी के फलस्वरूप अलीगढ़ में लोगों की जानें गई हैं और हत्यायें हुई हैं। आज इस प्रकार के शासन से कैसे यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह जन-जीवन की सुरक्षा कर सकेगा? आज जनजीवन उसके हाथ में असुरक्षित हो गया है क्योंकि गुटबन्दी के कारण कत्ल होते हैं, पोलिटिकल मर्डर्स होते हैं। जिस राज्य में पोलिटिकल मर्डर आरम्भ हो जायं और जरा-सी विचाराधाराओं की विभिन्नता पर हत्यायें होने लग जांय तो हमें कहना होगा कि उस राज्य में डिक्टेटरशिप के लिये दरवाजा खुलता जाता है। पर्टीबाजी में क्या-क्या किया जाता है मैं नाम नहीं लूंगा केवल इतना ही कहूंगा कि जौनपुर के कलेक्टरका तबादला तीन मास में कर दिया गया केवल इसलिये कि वह आदमी निष्पक्ष था और किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं मानता था, जो नियमतः उस को करना चाहिये था वही वह करता था। इस के अलावा माननीय चौधरी साहब ध्यान से सुन लें कि स्वयं मेरे खिलाफ उन के पुलिस वाले कनवेंसिंग करते हैं, अगर वह कहेंगे तो मैं नाम और स्थान भी बता दूंगा। जलालगंज और फजलगढ़ के दरोगा कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ १०७ चलाई जायगी।

श्री चरणसिंह—श्रीमन्, मैं सुन नहीं पाया माननीय सदस्य फिर दोहरा दें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—मैं फिर दोहराये देता हूं कि मेरे क्षेत्र में मेरे खिलाफ पोलिटिकल कनवेंसिंग दो दरोगा कर रहे हैं, जलालगंज के और फजलगढ़ के, वह अगर नाम चाहेंगे तो वह भी मैं लिख कर दे सकता हूं, किस व्यक्ति से कहा वह भी मैं बता सकता हूं। इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन और दलगत स्वार्थों को एक रूप दिया जा रहा है। इस चीज के बड़े घातक परिणाम हैं। मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी का ध्यान उस ओर आकृष्ट हो। यह जरूर है कि आज यह बात अच्छी लगती है। हो सकता है कि इलेक्शन में इसका उपयोग भी हो और हो रहा है, परन्तु इसका भीषण परिणाम क्या होगा, इसको भी उन्हें देखना चाहिये। इसके लिये दूर जाने की जरूरत नहीं है। आज अगर ब्यूरोक्रेसी को आप पार्टीबाजी के अन्दर खींचते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में प्योरिटी नहीं रह सकती। आज अगर एक कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एस० पी० या थानेदार से आपने अनुचित आब्लीगेशंस ले लिये तो अगर कल वह १० गड़बड़ियां करेगा तो आप उसको रोक नहीं पायेंगे। सूबे में करप्शन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है। आज शासन असमर्थ है करप्शन को रोकने में, क्योंकि उनसे अनुचित आब्लीगेशंस ले लिये और उसके परिणामस्वरूप करप्शन की तरफ से आंखे बन्द करनी पड़ती हैं। दूसरा परिणाम यह होगा कि ब्यूरोक्रेसी के मुंह अगर यह शोरबा लग गया कि वह उनके प्रयास से सरकार और मंत्रिमंडल बदल सकती है तो उनकी इच्छा होगी कि हमारा ही राज्य क्यों न हो? सीरिया में क्या हुआ? शमाउन के समय ब्यूरोक्रेसी को राजनीति के मैदान में लाया गया और वहां डिक्टेटरशिप हुई। हिटलर के उदय होने पर भी यही हुआ। पाकिस्तान में सिकन्दर मिर्जा ने ब्यूरोक्रेसी को साथ लेकर

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

अपना दल बनाया और वहां भी उसे हटाकर अयूब खां ने मिलेट्री तानाशाही बना ली। इसी तरह से आप भी धीरे-धीरे ब्यूरोक्रेसी की हत्या करते जा रहे हैं। एक दिन में जादू हो जायगा, यह मैं नहीं कहता, लेकिन धीरे धीरे डिक्टेटरशिप की तरफ आप रास्ता खोलते चले जा रहे हैं और दूसरी ओर जन जीवन में नैराश्य पैदा कर रहे हैं। क्रान्ति कैसे होती है ? क्रान्ति का उदय तब होता है जब समाज के अन्दर भीषण नैराश्य और फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। इस तरह से जब आप करेंगे और विरोधियों को दबाने के लिये शासन सत्ता और अधिकारियों का उपयोग करेंगे और एक भीषण नैराश्य की भावना जनता में पैदा करेंगे तो उसका परिणाम बहुत घातक होगा।

श्रीमन्, डेमोक्रेसी की कुछ मान्यताएं हैं। उनको छोड़ देंगे तो डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। जैसा कि पालीवाल जी ने कल आरोप लगाया था कि एक दल विशेष के लिये एक डी० एस० ओ० चन्दा वसूल कर रहे थे। क्या मुख्य मंत्री जी ने उसकी जानकारी की और अगर की है तो अपने भाषण में उत्तर दें। अगर आज अधिकारियों के बल पर चन्दा वसूल किया जायगा तो शासन की पवित्रता और निष्पक्षता को आप कायम नहीं रख सकेंगे और निश्चित ही पतन और विनाश होगा।

जनतंत्र के लिये प्रेस भी स्वतंत्र होना चाहिये। क्या प्रेस स्वतंत्र है इस राज्य में ? मैं नहीं जानता कि कहां तक सही है, मुख्य मंत्री जी बतावें कि कहां तक यह बात सही है जोकि मैं कहने जा रहा हूं। कुछ प्रेस वालों ने मुझ से कहा है कि मुख्य मंत्री जी ने जब उनसे कोई वार्तालाप हो रहा था तो यह कहा कि सी० आई० डी० के द्वारा मेरे पास यह सूचना आई है कि तुम यह यह करते हो.....

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—आप बड़े जोर से बोलते हैं, कुछ सुनाई नहीं पड़ता, धीरे बोलिये।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—मुझे दुख है कि मुख्य मंत्री जी सुन नहीं पा रहे हैं। कुछ समय बढ़ा दें, श्रीमन्, क्योंकि मुझे दोहराना पड़ेगा।

मैंने यह कहा कि मुझे पता नहीं कि यह बात कहां तक तक सही है, लेकिन कुछ प्रेस वालों ने मुझसे जरूर कहा कि मुख्यमंत्री जी ने, जब कोई वार्तालाप हो रहा था तो, यह कहा कि सी० आई० डी० के द्वारा मेरे पास यह सूचना है कि तुम ऐसा ऐसा करते हो। तो माननीय मुख्य मंत्री जी इसका स्पष्टीकरण करें। जनतंत्र में प्रेस का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। It is eyes and the ears in the democracy. जब जनतंत्र की आंख और कान को बन्द कर दिया जायगा, उनके पीछे सी० आई० डी० लगेगी, भय का प्रयोग होगा, लालच देकर दबाने का प्रयास किया जायगा और उसका उपयोग निज प्रशंसा में कराया जायगा तो जनतंत्र नहीं चलेगा।

निज प्रशंसा के सिलसिले में मैं "ग्राम्या" अखबार की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सूचना विभाग के एक अधिकारी को यह पत्र भेजा गया कि मैं यह लेख भेज रहा हूं, आप इसको छापें मगर लिखने वाले का नाम न प्रकाशित करें, और वह छापा गया। मुख्य मंत्री जी की केवल व्यक्तिगत प्रशंसा—वह प्रशंसा के पात्र हैं, सत्य है, लेकिन अगर गुण-चरम सीमा तक पहुंच जाय अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते हुए, सौजन्य का उल्लंघन करते हुए तो वह केवल वंचना होगी, प्रशंसा नहीं। "ग्राम्या" अखबार सरकार का है उसके अन्दर व्यक्तिगत वंचना करवाना डिक्टेटरशिप का द्योतक है। जितने भी डिक्टेटर हुए हैं वह इसी भावना को ले कर चले हैं। रूस में अगर पानी बरसता तो यही समझा जाता था कि स्टैलिन के कारण ही ऐसा हुआ है, जर्मनी में कोई उत्थान हुआ तो समझा जाता कि हिटलर के कारण ही ऐसा हुआ। तो यह चीज डिक्टेटरशिप की द्योतक है। आज जनतंत्र की खाल के अन्दर डिक्टटरशिप की मनोवृत्ति प्रविष्ट करती जा रही है।

माननीय मुख्य मंत्री ने बार बार कहा कि जनसंघ को कुचल देंगे। यह मनोवृत्ति क्या डिक्टेटरशिप की नहीं है कि आप विरोधियों की बात सुनना पसन्द नहीं करते, मतभेद पर इतना रोष, बात से मतभेद को समझने में स्वयं असमर्थ हैं और कहेंगे कि हम कुचल डालेंगे। दुनिया में दूसरे को कुचलने वाले बहुत आये और चले गये और जिनको कुचला गया वे आगे बढ़ते ही रहे। जनसंघ के जनक से पार्लियामेंट में जो बात कही गई थी कि कुचल डालेंगे तो उसका उन्होंने यही जवाब दिया था। मैं कहना चाहता हूं कि जो कुचलने चलता है उसकी कुचलने की मनोवृत्ति भी कुचल दी जाती है। इसलिये मुख्य मंत्री को चाहिये कि वे सहानुभूति से बात करें। इस तरह की बात कहना मुख्य मंत्री के लिये अशोभनीय है। यह द्योतक है तानाशाही मनोवृत्ति का कि जहां तर्क नहीं चल सकता वहां भय से काम लिया जाय। माननीय मुख्य मंत्री को एक गलतफहमी है जिसे श्रीमन्, आपकी आज्ञा से दूर करना चाहता हूं। हम लोग उनकी गर्जना से डर नहीं जायेंगे। मैं अर्जुन का वह पद कहना चाहता हूं "अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न दैन्यं न पलायनम्"। जितनी सामर्थ्य मुख्य मंत्री में कुचलने की हो उतना प्रयास कर के देख लें, क्या होता है।

इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कई बार कि जनसंघ साम्प्रदायिक है, साम्प्रदायिकता फैलाता है। साम्प्रादयिकता की आज तक परिभाषा नहीं की गई कि साम्प्रदायिकता क्या है। साम्प्रदायिक कौन है। भाषण साम्प्रदायिक नहीं होते, वरन् कृत्य साम्प्रदायिक होते हैं। सारे देश में मरी हुई मुस्लिम लीग को किसने जगाया? बर्न कमीशन की सेपरेट इलेक्शन की रिपोर्ट मानकर साम्प्रदायिकता को जन्म दिया और जगाया गया। इसका भार शासक दल पर है, न कि हम पर। और सबसे बड़ा कंडमनेशन साम्प्रदायिकता का यह है कि आज १५ साल के बाद भी देश के अन्दर इमोशनल इन्टीग्रेशन नहीं कर सके। आज कमेटी बैठायी जाती है। भाषा, भूषा के आधार पर प्रान्तों का निर्माण करा कर आपने डिसइंटीग्रेशन पैदा किया देश में। कैसे इस देश का इंटीग्रेशन होगा? इसलिये सब से बड़े साम्प्रदायिक आप हैं न कि हम। अपनी गलती छिपा कर आप दूसरे पर दोष लगाते हैं। जो साम्प्रदायिकता देश में कांग्रेस ने फलायी है उसके लिये पूर्णरूप से आप और आप की सरकार दोषी है, इसलिये हमें सरकार पर अविश्वास है और समझते हैं कि देश का भविष्य उज्ज्वल नहीं हो सकता।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, जिस अविश्वास के प्रस्ताव पर सदन में चर्चा हो रही है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। मैं क्यों समर्थन करना चाहता हूं उसके सम्बन्ध में कुछ मोटी-मोटी बातें आप के सामने रखना चाहता हूं।

मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्तमान सरकार है वह न तो जनता के प्रति उत्तरदायी है और न माननीय सदन के प्रति, वरन् वह किसी एक व्यक्ति के लिये उत्तरदायी है। यह सही है कि वह व्यक्ति देश में अद्वितीय कहा जाता है जिसके लिये यह सरकार उत्तरदायी है और मैं क्यों ऐसा समझता हूं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वर्तमान सरकार से पहले जो सरकार निकाली गयी, उसको इस सदन ने नहीं निकाला, किसी एक व्यक्ति ने निकाला और क्यों निकाला यह कारण मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। उस गवर्नमेन्ट की तरफ से १९५९-६० के आन्दोलन में यह बात कहने का साहस किया गया कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ प्रदेश है इसलिए इसके साथ इंसाफ होना चाहिए और भारत सरकार इसके साथ अन्याय करती है। उसके बाद वह सरकार निकाली गयी। उसके बाद इस सरकार ने क्या किया वह मैं संक्षेप में रखना चाहता हूं। इस सरकार ने जो हमारी मांग थी ७०० करोड़ रुपये की तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए उस पर सुलह किया, सुलह क्या सबमिट किया और मैं तो समझता हूं कि हमारी प्राविन्शिल आटोनामी गयी।

अब हम जरा दूसरी स्टेट्स से मुकाबला करें। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों अलग हो गये और जिनकी आबादी ६ करोड़ की है उनकी तीसरी पंचवर्षीय योजना में, जो उसका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

आउटले कायम किया गया है वह ६२५ करोड़ का है। दो करोड़ की आबादी का पंजाब है उसको २३१ करोड़ रुपया मंजूर हुआ। २५० लाख की आबादी का मैसूर है, उसको २५० करोड़ रुपया मंजूर हुआ और १७० लाख की आबादी का केरल है १७० करोड़ रु० उसको मंजूर हुआ। हमारी आबादी ७३७ लाख है। उसके लिए ४९७ करोड़ मंजूर हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि ७०० करोड़ रुपए की मांग जो सम्पूर्णानन्द गवर्नमेन्ट ने की थी उसको ४९७ करोड़ रुपये पर क्यों मंजूर कर लिया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, चूंकि सारी बातें एक ही कथन के ऊपर आश्रित हैं, तो यदि आपकी आज्ञा हो तो सूचना दे दूं कि ४९७ करोड़ की रकम इस सरकार के आने के बहुत पहले ही सरकार ने प्लानिंग कमीशन से मिल कर तय कर ली थी।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, मेरी जानकारी कम हो सकती है, लेकिन इतना मैं समझता हूं कि यह सरकार तो इस बुनियाद पर आयी थी कि वह सरकार निकम्मी है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हममें से यहां कोई निकम्मा नहीं था।

श्री गेंदासिंह—खैर, फाइनलाइज किसने किया ? अभी तीसरी पंचवर्षीय योजना फाइनलाइज हुई है। फाइनलाइज करने में माननीय मुख्य मन्त्री जी का हाथ है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—फिर गलत बात कही जा रही है।

श्री अध्यक्ष—आप अपने जवाब में कह लीजियेगा। आप प्रश्न पूछेंगे तो वे समय ज्यादा ले लेंगे और मैं १५ मिनट से ज्यादा समय नहीं दूंगा।

श्री गेंदासिंह—अगर आज इस वक्त सरकार इस बात को कबूल कर ले कि वह सारी स्टेट्स के मुकाबले में उत्तर प्रदेश को ले जाने के लिये तैयार है और भारत सरकार के सामने सबमिट नहीं करेगी—क्योंकि एक ही मामला नहीं है, दो-एक मामले और बता रहा हूं—तो आज मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले महोदयों से यह कह सकता हूं कि इस पर दूसरी तरह से विचार करें। लेकिन मैं निवेदन करूं श्रीमन्, कि यह सरकार सबमिट एक जगह नहीं करती है, बल्कि अनेक जगह सबमिट करेगी और करती जायगी। आपने देखा होगा कि इस सदन में एक बड़ा शोरो गुल हुआ, श्री पाटिल साहब ने यह कह दिया कि गन्ने की क़ीमत हम कम करेंगे। इस दुस्साहस की मैंने बड़ी दाद दी।

श्री चरणसिंह—गन्ने के अलावा और भी बहुत-सी फसलें यहां होती ह। (हंसी)

श्री अध्यक्ष—वह गन्ने की मीठी बात कह रहे हैं ? (हंसी)

श्री गेंदासिंह—मैं होम मिनिस्टर साहब को कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं उनकी सेवा में कुछ कहूंगा। इस सरकार के जब प्लानिंग मिनिस्टर माननीय गुप्ता जी थे उस जमाने में जो स्टेट की हालत हो चुकी है उसकी चर्चा मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि इस वक्त जो अविश्वास का प्रस्ताव है मैं समझता हूं कि उसके पेश करने वालों की असली मंशा यह है कि आज जो मंत्रिपरिषद् है और जिस मंत्रिपरिषद् ने बड़ी-बड़ी डींग हांकी थी उसके विरुद्ध यह प्रस्ताव है। साढ़े ६ परसेंट की नेशनल इन्कम सारे भारत की बढ़ी है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि १९६०–६१ में तब वह नहीं थे, लेकिन उनकी बागडोर का कुछ हिस्सा उसमें जाता है—उस वक्त इस स्टेट की माली हालत क्या थी ? यह इसी तरह से मालूम हो सकता है कि जो जल्दी-जल्दी रिपोर्ट इन्कम की यहां से गयी है, पर-कैपिटा इन्कम की भी गयी है, उसको मुख्य मंत्री जी अपने भाषण में जरूर सुना दें। मैं यह समझता हूं कि हमारी अभी भी हालत ख़राब है, और उस ख़राब हालत के लिये कौन जिम्मे-

दार है ? उस जिम्मेदारी में जो जानबूझ कर काम हो रहा है उसकी चर्चा मैं करना चाहता हूं और वह यह कि प्लानिंग ही किसी गवर्नमेन्ट की कसौटी है उससे जो रिटर्न आता है वह कसौटी है किसी गवर्नमेन्ट की कारगुजारी की। पहले वाला रिटर्न तो जाने दें, लेकिन यह पहला वर्ष है कि जिसमें जब बूम पीरियड हो शुगर का उस वक्त शुगर इंडस्ट्री वाले कहें कि हमारे पास गन्ने का दाम देने के लिये पैसा नहीं है, हम चीनी बिकने के बाद पैसा देंगे और गवर्नमेन्ट उसकी पीठ पर खड़ी हो। सेल्स टैक्स वह नहीं देंगे, करोड़ों रुपये उन पर बाक़ी हैं वह बाकी रहेगा, कोई हर्ज नहीं, बिजली का रुपया वह नहीं देंगे, करोड़ों रुपया बाकी है, कोई हर्ज नहीं, केन सेस वह नहीं देंगे, इन्कम टैक्स वह नहीं देंगे, करोड़ों रुपया बकाया रहेगा, उसमें कोई हर्ज नहीं है; लेकिन हमारे माननीय उपनेता सदन बैठे हुये हैं जो रेवेन्यू मिनिस्टर भी हैं, सी० एल० आर० डी० में अगर दो रुपये भी बाकी रह गये तो कमर में रस्सा डाल दिया जायगा, जेल भेज दिये जायेंगे और ८-८ वर्ष का बकाया वसूल किया जाता है। सन् १९५०-५१ में हमारे ग्रामीणों की आमदनी जो २१० रुपये थी वह श्रीमान् जी के राज्य में १९० रुपये पिछले वर्ष हुई और इसके बाद भी ८-८ वर्ष का बकाया लगान भी वसूल करेंगे और वह बकाया उन कागजात से निकला है जो ९० फीसदी गलत हैं और उस ९० फीसदी गलती को दुरुस्त करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं करते। श्रीमन्, साढ़े ५ करोड़ जिन किसानों का गन्ने का दाम बाकी है उन्हीं की कमर में रस्सी भी लग सकती है। अगर एक आदमी की भी कमर में रस्सी लगे तो मैं समझता हूं कि उसकी जिम्मेदारी सरकार पर है। यह सही है कि एक हुक्म सरकार ने भेज दिया है, लेकिन उस हुक्म को कोई सरकारी अफसर आनर नहीं करता है। मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आज किसानों के ऊपर जो ज्यादती हो रही है उसका मिलान कीजिये उन लोगों से जिन पर इन्कम टैक्स, सेल्स टैक्स, केन सेस आदि का करोड़ों रुपया बाकी है और जो खुद करोड़पति हैं।

जब हमारी आमदनी घटी और उसके बाद हमारे ऊपर यह सख्ती की जो हमें पहले सिंचाई में तीन आने की छूट दी गई थी उसको भी इस सरकार ने रद्द कर दिया और उसको वसूल करना चाहती है। यह सरकार की कारगुजारी है। जब हमारी आमदनी घट रही है तो इसको वसूल करने का क्या जस्टीफिकेशन है। एक कर ही नहीं, बल्कि सारे करों में वृद्धि होती चली जा रही है। यह किसानों की बात है।

श्रीमन्, अब मैं मजदूरों की बात लेता हूं। १९४८ में लाखों मजदूरों की निम्नतम मजदूरी २६ रुपये कर दी गई। हम लोगों ने इस तरह का कदम उठाया जिससे किसी को शिकायत न हो और ३२ रुपये से लेकर ४५ रुपये की हमने सर्वसम्मति से सिफारिश की, लेकिन श्रीमन् बावजूद इसके कि मैं श्रम मंत्री जी तथा मुख्य मंत्री जी से मिला, उसमें एक कानूनी पच सेक्रेटेरियट ने लगा दिया कि किसी भी हालत में हम जो ४५ रुपये निम्नतम मजदूरी मजदूरों को देना चाहते हैं वह नहीं दी जा सकती है। मैं कहता हूं कि कानून के पास होने में कितनी देर लगती है। अभी परसों एक कानून पेश हुआ और उसी दिन वह पास हो गया और उसमें गुंजाइश की गई थी कि वेश्यालयों के लिये मकान खाली कराये जायेंगे। यह पढ़कर मुझे बड़ी हैरत हुई और जब मैंने चर्चा की तो कहा गया कि यह रूटीन का काम है। मैं कहता हूं कि वेश्यालयों के लिये मकान खाली कराने की तो फुरसत है, लेकिन मजदूरों के लिये निम्नतम मजदूरी तय करने के लिये फुरसत नहीं है, जिससे उनकी आमदनी बढ़े और देश की आमदनी बढ़े और देश की हालत सुधरे। यह दो तीन चीजें ऐसी हैं जिनमें गरीबों के साथ ज्यादती हो रही है और इस गवर्नमेंट के जरिये हो रही है।

श्रीमन्, इकोनोमी बहुत अच्छी चीज है और होनी चाहिये। लेकिन जब मैं जिलों में जाता हूं तो देखता हूं कि सौ दो सौ चपरासियों का एक गिरोह वहां बैठा रहता है। जो ३०० रुपये के मुलाजिम हैं उनके पास तो चपरासी रहेंगे नहीं और इस तरह से जिले में बेकार बैठे रहेंगे। मैं समझता हूं कि यह इकोनोमी नहीं है। मैं समझता हूं कि ऊपर से इकोनामी करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि कमिश्नरों के रखने की जरूरत नहीं है। मैं

[श्री गेंदासिंह]

माननीय श्री मन्ननारायण जी की बात मुख्य मंत्री जी को याद दिलाता हूं जब उन्होंने चीन की यात्रा की थी तो उन्होंने कहा था कि यदि भारत ने चीन की तरह से ऐश-आराम किया तो हिन्दुस्तान का भविष्य अच्छा नहीं होगा। मैं समझता हूं कि १,०००, १,५०० और २,००० रुपये माहवार के वेतन हमारे देश की मौजूदा परिस्थिति के अनुकूल नहीं हैं।

श्रीमन्, मैं दो एक बातों की चर्चा करना चाहता हूं। कल वन मंत्री जी ने अन्तरिम जिला परिषद् की चर्चा की, जिसमें थोड़ी-सी सिद्धांत की रक्षा हुई। कांस्टीट्यूशन बनाने में सभी कांग्रेस दल के लोग हार कर चले आते हैं, लेकिन मुख्य मंत्री जी का गिरोह जो कानून बनाता है उसमें विरोधियों के जीत कर आने की कोई गुंजाइश नहीं होती है और सही बात तो यह है कि जो इस समय कानून बन रहे हैं वे ऐसे हैं जिनमें कोई विरोधी जीत नहीं सकता है, यह दृष्टिकोण इनका रहता है। चाहे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का हो चाहे कोआपरेटिव का हो, ऐसे कानून बनाये जाते हैं और बहुमत दल द्वारा बनाये जाते हैं जिनमें ५४ में से ४ विरोधी दल के लोग जीत सकें और ५० शासक दल के आ सकें और पता नहीं कैसे वे चार आ गये। श्रीमन्, मुझे भविष्य बड़ा अंधकारमय मालूम होता है। मैं चाहता हूं कि यह अविश्वास का प्रस्ताव विचार बदले, जहनियत बदले और लोगों के सुख में वृद्धि हो। यद्यपि मैं जानता हूं कि यह अविश्वास का प्रस्ताव पास नहीं होगा, लेकिन फिर भी कहता हूं कि अविश्वास का प्रस्ताव एक गैरमामूली चीज है और जब हम सारी चीजों से थकते हैं तब अविश्वास के प्रस्ताव की शरण में जाते हैं।

मैं एक चीज जरूर निवेदन करता हूं कि यह हाउस अविश्वास का प्रस्ताव पास करे, क्योंकि यह प्रस्ताव बड़ा पवित्र है, सरकार की जहनियत बदलने वाला है, क्योंकि सरकर की जो जहनियत है वह डेमोक्रेसी के लिये, जनजीवन के लिये और मानवता के लिये घातक है।

*सहायता तथा पुनर्वासन राज्य मंत्री (श्री गोविन्दसहाय)—अध्यक्ष महोदय, आदरणीय पालीवाल जी ने जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा है उसका विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मैं उसका विरोध इसलिये नहीं कर रहा हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी का एक सदस्य हूं या इस गवर्नमेंट का सदस्य हूं, बल्कि इसलिये भी कर रहा हूं कि मेरा यह विश्वास है जो बातें इस प्रस्ताव के संबंध में कही गयी हैं अगर वही अविश्वास का कारण बन जाती हैं तो मेरा खयाल है कि इस देश में जनतंत्र का भविष्य उज्ज्वल नहीं है। उसके लिये खतरा है। इसका कारण यह है कि अविश्वास का प्रस्ताव पार्लियामेंटरी डिमोक्रेसी में एक आखिरी शस्त्र है जिसका प्रयोग अपोजीशन करता है और अगर अपोजीशन उस शस्त्र का प्रयोग बिना कारण या बिना कारण बहुत ज्यादा कर दिया जाय तो उसकी कीमत खत्म हो जायगी। उस शस्त्र की ताकत कुंठित न हो उसके लिये जरूरी है कि उसका उपयोग बहुत ही ठीक दिशा में होना चाहिये और जब उसके लिये उपयुक्त कारण हों तभी उसका प्रयोग होना चाहिये।

जो दलीलें दी गयी हैं उन पर कहा जा सकता है कि वे अविश्वास का कारण नहीं बन पाती हैं। आदरणीय पालीवाल जी ने कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसमें आन्तरिक संघर्ष है और उस आन्तरिक संघर्ष का इस देश के संवारने, उसके काम करने के तरीके पर, आबोहवा पर, और प्रदेश की सभी चीजों पर जिनके द्वारा तरक्की होती है पूरा असर पड़ रहा है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि बिल्कुल ठीक इसी किस्म की दलील जो डिमोक्रेसी के विरोधी है वह मल्टी-पार्टी डिमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में कहते हैं। यह लोग यही कहते हैं कि चूंकि डिमोक्रेसी में बहुत-सी पार्टियां हैं, पार्टियां आपस में लड़ती हैं और जो सर्विसेज हैं वह किसी भी दल का काम ठीक तरह से नहीं कर पाती हैं और नतीजा यह होता है कि वह खुद पालिटिक्स में किसी न किसी के साथ एलाइन करती हैं। तो जो दलील माननीय पालीवाल जी दे रहे हैं वह बड़े पैमाने पर डिमोक्रेसी के विरोधी डिमोक्रेसी के असफलता के नाम पर देते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहांतक कांग्रेस पार्टी के आन्तरिक संघर्ष का ताल्लुक है यह सही बात है और इस हकीकत को छिपाने से कोई फायदा नहीं है। आज हमारे देश में पोलिटिकल पार्टियां ठीक उसूलों के ऊपर नहीं बन पाती हैं। यह संघर्ष कांग्रेस में भी है और कांग्रेस में तो तब है जब उसके हाथ में सत्ता है, लेकिन जिनके हाथ में सत्ता नहीं है अगर गहराई से देखा जाय तो यह संघर्ष उनके यहां भी बड़ी तेजी से बढ़ा रहा है। मिसाल के तौर पर अभी माननीय दुबे जी ने इस संघर्ष का जिक्र किया था। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ लोगों का ख्याल है कि उनकी आजादी का गला घुट जायगा यदि उनके कार्य-संचालन में फर्क न हुआ। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि अभी जनसंघ के अन्दर डेमोक्रेटिक जनसंघ बन रहा है। उनके बयान को जरा वह पढ़ लें। उन्होंने क्या कहा है कि जनसंघ का जो नेतृत्व है उसने हमारा गला घोंट दिया है और यह देश के लिये अभिशाप है और इसे तोड़कर हमें नया जनसंघ बनाना है।

(इस समय १ बजकर २९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये।)

इसी तरह की बात प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में भी दिखाई देती है। केरल में जब उनकी हुकूमत आयी और आज भी उनके दल में आन्तरिक संघर्ष है। कुछ लोगों का खयाल है कि सत्ता में आने के कारण उनकी पार्टी कमजोर हुई है। जो शुद्ध सोशलिस्ट पार्टी है माननीय राजनारायण जी की उसमें भी बड़ा ट्रांसफार्मेशन हो रहा है। अभी कुछ लोगों ने यह भी कहा कि सोशलिस्टों, की यूनिटी होनी चाहिये। तो मैं इशारतन कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में अभी पार्लियामेंटरी डिमोक्रेसी के लिये, उसकी प्रगति के लिये जिस किस्म का पार्टी का विकास होना चाहिये वह नही है। और कांग्रेस में वह स्थिति इसलिये और भी है, क्योंकि कांग्रेस पहले एक राष्ट्रीय संस्था थी, एक राष्ट्रीय आन्दोलन था और चूंकि राष्ट्रीय आन्दोलन से एक पार्टी का रूप वह ले रही है तोट्रा न्जीशन के पीरिअड में उसमें छोटी-मोटी इस किस्म की बेचैनी का होना, संघर्ष का होना मैं अनिवार्य समझता हूं।

अब इसी को मैं दूसरी नजर से पेश करता हूं। संघर्ष जीवन का नियम है, कहा जाता है। साइंटिस्ट्स का यह कहना है कि ह्यूमन आर्गेनिज्म में भी दो फोर्सेज रहते हैं– पाजिटव और निगेटिव। उनमें भी संघर्ष होता रहता है जब पाजीटिव फोर्स विजयी होता है तब मनुष्य उन्नति की ओर बढ़ता है। तो ऐसे ही एक पोलिटिकल पार्टी के अन्दर भी संघर्ष का होना आवश्यक है। संघर्ष का न होना उसका स्टैगनेशन है। संघर्ष का डाइरेक्शन बदल जाय यह हम कह सकते हैं, लेकिन संघर्ष बिलकुल हट जायगा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत पुराने जमाने में भी यह संघर्ष रहा है और हमेशा रहेगा। इसलिये मैं न इससे परेशान हूं और न मैं समझता हूं कि कोई इससे नुकसान होने वाला है। मेरा ऐसा खयाल नहीं है कि उसका कोई बुरा असर हमारी जिंदगी पर पड़ रहा है। अगर बुरा असर पड़ता है तब जरूर हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे हम अपनी संस्था में पाजिटिव फोर्स को बढ़ायें लेकिन इसकी चिन्ता माननीय पालीवाल जी को हमसे ज्यादा मालूम पड़ती है। मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमें भी उसकी चिन्ता है और हम उसके लिये सचेष्ट हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अगर सही मानी में आप चाहते हैं कि कांग्रेस का आन्तरिक संघर्ष कम हो तो अपनी ताकत को आप बढ़ायें तभी यह कम हो सकता है, क्योंकि उसके अन्दर जो फोर्सेज हैं जब बाहर उनका अपोजीशन नहीं होगा तो अन्दर अपोजीशन होगा। इसलिये इस विषय को अविश्वास के प्रस्ताव का विषय बनाने से कोई लाभ नहीं होगा।

पालीवाल जी ने भी और श्री राजनारायण जी ने भी कुछ और बातों की चर्चा की जिनमें एक यह थी कि यूनिवर्सिटीज में रिटायर्ड जजेज को मुकर्रर करना नामुनासिब है और इससे जूडीशियरी को एक तरीके से पतित करना है। मैं नहीं जानता कि यह कोई कांग्रेस गवर्नमेंट की एक पालिसी है कि ऐसा किया जाय। इतना मैं जरूर जानता हूं कि अन्तरिम अरेंजमेंट में सवाल यह था कि किसे वाइस-चांसलर बनाया जाय। अगर पोलिटिकल लोगों को बनाते हैं तो यह होता है कि गजब हो जायगा, यूनिवर्सिट संस्था में राजनीति लायी जा रही है। तो पोलिटिकल लोगों को बना नहीं सकते थे, ब्यूरोक्रेट को भी नहीं बना सकते थे। यह सोचा गया कि यह तबका सबसे कम कंट्रोवर्शियल है। हालांकि मैं निजी तरीके से कुछ और सोचता हूं, मेरी राय

[श्री गोविन्द सहाय]

जजों के बारे में कोई बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि आज हमारा समाज जिसको मानता है, जिस ओहदे की इज्जत करता है वह यही ओहदा है। इसलिए मुनासिब समझा गया कि इस इंटरिम गैप के अन्दर जो रिटायर्ड जजेज हैं उनको बनाया जाय। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कभी भी इस मसले पर इस तरीके से नहीं सोचा गया, बल्कि एक फौरी तरीके से सोचा गया। फिर दूसरी बात यह कि आखिर जजेज आज हमारी सोसाइटी के एक बहुत ही सम्मानित अंग हैं, उनके लिए आप ऐसा समझते हैं तो इसके मानी यह हैं कि आप यह मानकर चलते हैं कि अंग्रेजी काल की भांति जूडिशियरी और एक्जीक्यूटिव में निरन्तर संघर्ष रहना चाहिए, उनको लड़ाई में लगे रहने देना चाहिए। मैं ऐसा नहीं समझता। मैं समझता हूं कि सोशलिस्ट ट्रांसफार्मेशन और पुलिस स्टेट में फर्क है। इसमें जूडिशियरी और एक्जीक्यूटिव दोनों एक दूसरे से मिलकर चलती हैं। हमें अपने यहां इन दोनों को इस तरह से इवाल्व करना है कि दोनों एक दूसरे के कोलैबोरेशन में चलें। बहरहाल, इस सम्बन्ध म मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जहां तक मैं समझ पाया हूं इन जजेज की नियुक्ति के पीछे कोई बहुत बड़ी पालिसी की बात नहीं है।

माननीय राजनारायण जी ने कुछ और बातों की भी चर्चा की। आखिर राजनारायण जी की वाणी तेज है, इफेक्टिव आदमी हैं, जो बात रखते हैं बहुत जोर से रखते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर वह उस बात पर जरा ठंडे दिल से गौर करते तो उन्हें मालूम होता कि वह दलील जो दे रहे थे वह उन्हीं के खिलाफ जा रही थी। उनका कहना था कि इस सरकार ने जो ऐलानात किये उसके बिलकुल बरअक्स काम किये और उसमें मिसाल यह दी कि हिल एक्सोड्स का ऐलान किया कि नहीं जायेंगे। अब आप जरा रैशनली लीजिए। एक कोशिश की गयी। इस बात को छोड़ दीजिये कि मेरी निजी राय क्या है, मैं गवर्नमेंट लेविल पर कहता हूं कि एक गवर्नमेंट के कर्णधार ने यह ऐलान किया कि एक पुराना तरीका जो हिल एक्सोडस का है उसको हम रोकना चाहते हैं। उन्होंने १०० फीसदी रोकने की कोशिश की। १०० फीसदी नहीं, मान लीजिये ७०, ७५ फीसदी ही वह रोक पाये तो यह भी बहुत है। आखिर बहुत से लोग नहीं गये। जो लोग गये उन्होंने अपना किराया दिया। उसमें कोई नीयत की बात नहीं थी। कुछ अमली दुश्वारियां भी होती हैं, लेकिन फिर भी एक तरह से कोशिश की गई और जिस कोशिश का ऐलान किया गया उसमें यदि १०० फीसदी कामयाबी हासिल हो जाय तब तो वह आइडियल होती है। वह आइडियल तरीका नहीं होता है जो १०० फीसदी पूरा हासिल हो जाय। यह तो संकेत था और एक इरादा था जिसको पूरा करने की कोशिश की गई। यह ऐसी बात नहीं या ऐसी भयानक चीज नहीं कि जिसके कारण इस प्रदेश की सरकार को पलटने की नौबत आ जाय। यह एक इच्छा थी, आकांक्षा थी और उस आकांक्षा को पूरा करने की कोशिश की गई। उस कोशिश में पूरी सफलता नहीं हुई। जितनी सफलता हुई उसके लिये आपको बधाई उनको देना चाहिये।

तीसरी चीज जिसका उन्होंने जिक्र किया और दूसरे लोगों ने भी जिक्र किया और जो बार-बार कही जाती है कि यह गवर्नमेंट जो है उसमें लोगों को बहुत असन्तोष है, यह काफी चार्ज होता है और प्लेटफार्म पर भी होता है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि मैं थोड़ा बहुत पार्टी के तरीके से और आर्गनाइजेशन के तरीके से वाकिफ हूं। मेरा अपना यह विश्वास है कि इस पिछले १६ साल में कांग्रेस वालों को जितनी उपेक्षा की दृष्टि से राज्य की तरफ से देखा गया है उतना दुनियां में कहीं भी इस प्रकार से देश के लिये काम करने वालों को नहीं देखा गया है। इस मुल्क में अगर कोई रोटी भी चाहे और रोटी के सिलसिले में कोई काम भी करना चाहे और वह कांग्रेस वाला हो तो उस पर क्रिटिसिज्म होता है। जो लोग पार्टी गवर्नमेंट को चलाते हैं वह जानते हैं कि इस प्रकार की कोशिश होती है। हिन्दुस्तान के अन्दर उस तरह की कोशिश हरगिज सम्भव नहीं है। यह चार्ज लगाना कुछ मुनासिब नहीं है। इसके लिये मैं केसेज बता सकता हूं, लेकिन जहां तक कांग्रेस गवर्नमेंट का ताल्लुक है, कांग्रेस आर्गेनाइजेशन को जितनी मदद दी जा सकती थी

उतनी मदद उसको नहीं मिली। इस बात को आसानी से गले के नीचे नहीं उतारा जायगा। मुझे भी ५ साल अपोजीशन में रहने का मौका हुआ है। अपोजीशन में रह कर मैं आपसे कह सकता हूं कि मुझे यह शिकायत नहीं है कि कांग्रेस सरकार की वजह से कोई मेरे काम में मुझको नुकसान पहुंचा है। यह राज्य का एक सिस्टम होता है। जैसा कि अंग्रेजी जमाने में होता था कि सरकारी मुलाजिम अंग्रेजों को सलाम करते थे। आज वे सफेद टोपी को सलाम करते हैं। यह एक तरीका ब्यूरोक्रेसी का हुआ करता है। इसलिये आप घाटे में नहीं हैं, और बिलकुल घाटे में नहीं हैं। अगर आप ऐसा नहीं समझते हैं तो मैं यह कहूंगा कि असलियत में यह बात नहीं है।

एक बात और भ्रष्टाचार की आती है। भ्रष्टाचार हमारे समाज में है, यह सही बात है। उसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है, लेकिन क्या भ्रष्टाचार इस कांग्रेस पार्टी की हुकूमत की वजह से है? या भ्रष्टाचार हमारी आर्थिक और सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं उसकी वजह से है। सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं के अन्दर भ्रष्टाचार है। उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि सारा आर्थिक और सामाजिक जो हमारा ढांचा है वह लोभ के ऊपर बना हुआ है। हर एक आदमी अपना-अपना इन्तजाम करता है। हर एक आदमी आज छीना झपटी में लगा हुआ है। जिसको जो मिल जाता है वह उसको किसी को नहीं देता है। उसको यदि दूर करना है तो उसके लिये सब को मिल कर कदम उठाना पड़ेगा। महज़ एक गवर्नमेंट के कदम उठाने से भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। भ्रष्टाचार एक व्यसन बन गया है। जिन्दगी के रहन-सहन का तरीका बन गया है जिसके अन्दर हमारे लोग जब शादी की बात करते हैं तो तनख्वाह को पहले पूछते हैं, फिर पूछते हैं कि ऊपर से कितनी आमदनी होती है। हमारी सोसाइटी के अन्दर भ्रष्टाचार को बुराई नहीं समझा जाता है। हां, एक बात आज बहुत तेज़ से जरूर बढ़ रही है। एक बेईमानआदमी दूसरे बेईमान से कहता है कि बेइमानी नहीं करनी चाहिये। जहां तक इसको व्यवहार में लाने की बात है उसमें इस बात की जरूरत है कि आज जो समाज के अन्दर भ्रष्टाचार है अगर इसको आप मिटाना चाहते हैं और इसको रोकना चाहते हैं तो इसको जरा गौर से देखें। मौजूदा सरकार के खिलाफ जो आज इस तरह की आवाज उठाते हैं वे सब इसके लिये जिम्मेदार हैं, हमारा सारा जुडिशियल मेक-अप जिम्मेदार है, इकनामिक स्ट्रक्चर, पोलिटिकल स्ट्रक्चर इसके लिये जिम्मेदार है और यह एक बड़ा मर्ज है जिसको हम प्लानिंग में आहिस्ता-आहिस्ता दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम भ्रष्टाचार से संघर्ष नहीं कर सकते। अभी तो हमें संघर्ष करना है खाने के लिये, कपड़े के लिये, सुरक्षा, शिक्षा, और उद्योगों के लिये, और मैं समझता हूं कि अभी यही बहुत काफी होगा। चौथी या पांचवीं प्लान में हम कहीं भ्रष्टाचार के विरुद्ध मोर्चा ले सकते हैं। इसलिये भ्रष्टाचार का सवाल जिस तरह से बार-बार यहां पेश होता है, मैं समझता हूं कि उससे कोई बहुत ज्यादा मदद हमें उससे लड़ने में मिलने वाली नहीं है। हां, एक बात जरूर होती है। इतना भ्रष्टाचार हमारे समाज में नहीं है जितने की कि हम चर्चा करते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि हम गलत दिशा की तरफ बढ़ते हैं।

जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी फेल हुई है वहां की हालत आप स्टडी करें। वहां एक ही मुख्य कारण था कि तमाम पोलिटिकल पार्टीज ने एक दूसरे पर कीचड़ उछाल कर ऐसा विषाक्त वातावरण पैदा कर दिया था कि समूची जनता कहने लगी थी कि हम को ऐसा प्रजातंत्र नहीं चाहिये और उसके बाद तानाशाही आती है। तमाम टोटलिटेरियन सेक्शन भ्रष्टाचार का नारा लगाता है। कौन भ्रष्टाचार करता है, कौन नहीं करता है, इसकी परिभाषा बदल गयी है। २० साल पहले जो भ्रष्टाचार था आज वह कानूनी सत्य बन जाता है। तो इस विषय पर हमको और आपको विचार करने की जरूरत है। हमको चाहिये कि मिल जुलकर एक मोर्चा बनायें, सेमिनार करें और उसके काजेज ढूंढें। कोई कोड आफ कंडक्ट मुकर्रर करें। मैं समझता हूं कि कई किस्म के भ्रष्टाचार हमारी जिन्दगी में हैं जिनका मुकाबला हम कर सकते हैं उसके कारणों में जाकर... (व्यवधान)....आप चाहें तो आज शाम को ही बैठ लीजिये, चाहे कल बैठ लीजिये। मैं तैयार हूं।

मेरे मित्र दुबे जी ने एक बात कही। वैसे तो उसका जवाब मुख्य मंत्री जी देंगे, उसका खास तौर से मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं, लेकिन सिलसिले में आ गया इसलिये एक बात

[श्री गोविन्द सहाय]

अर्ज कर दूं। मुख्य मंत्री जी ने कोई कुचल देने की बात कही थी। क्या उन्होंने कहा था, क्या नहीं, इसका जवाब वे स्वयं देंगे, लेकिन जिस विचारधारा के दुबे जी मानने वाले हैं उनके यहां यह सिद्धान्त जरूर माना जाता है कि शक्ति का प्रयोग अपने विरोधियों को कुचलने में हो। मैं कोट करता हूं। १६ दिसम्बर, १९४७ को, जब शक्ति भी हाथ में नहीं थी, सिर्फ उम्मीद थी कि शक्ति आ जायगी, श्री गोलवालकर जी दिल्ली में कहते हैं कि आज हमारी शक्ति इतनी बढ़ गयी है कि यदि ईश्वर भी चाहे तो हमारे रास्ते में हायल नहीं हो सकता। तो जब शक्ति नहीं आयी थी तो उनकी यह राय थी। शक्ति में कुछ ऐसा है ही कि वह बैलेन्स खराब कर देती है। कांग्रेस के खिलाफ इतना अपोजीशन होता रहता है, लेकिन हमारी परम्परा दूसरी है। हम उस शक्ति से बैलेन्स कायम रखते हैं। (व्यवधान) बहरहाल, मेरी बात सही निकल आयी। मेरे कहने से आपको प्रोवोकेशन हुआ, और मैं तो केवल कोट कर रहा हूं। जब किसी बात का फौरन रिएक्शन हो तो समझ लीजिये कि वह बात अपनी ठीक जगह पर पड़ी है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि जो बातें आपने कहीं उनका कारण हम नहीं समझ पाये।

मैं आखिर में त्रिलोकीसिंह जी को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने जो कल अपनी स्पीच दी उसमें डिबेट के स्तर को जितना ऊंचा वह कर सकते थे उसे उतना ऊंचा करने का प्रयत्न उन्होंने किया। यह सही बात है, और मेरा यह ख्याल है कि जहां तक समूची कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है उसका कंडक्ट हिन्दुस्तान के बारे में एक डेमोक्रेटिक कंडक्ट है। उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं। आप कोई भी ऐसी पब्लिक मीटिंग नहीं बतला सकते जिसको कांग्रेस वालों ने डिस्टर्ब किया हो। हमारी मीटिंग्स ज्यादा डिस्टर्ब होती हैं। इसके अलावा अखबारों को आप देख लीजिये। जितनी सरकार की खिलाफत अखबार यहां करते हैं दुनिया में कहीं नहीं करते। अगर पार्टी गवर्नमेंट चाहे तो उन्हें काफी कुछ तोड़ा-मोड़ा जा सकता है। डिसेन्ट्रलाइजेशन का जहां तक ताल्लुक है, काफी बड़े पैमाने पर हम काम कर रहे हैं, हां, यह हो सकता है कि किन्हीं बातों में हम पूरे लक्ष्य प्राप्त न कर सकें हों और वे आपको अनडेमोक्रेटिक लगें।

(लाल बत्ती होने पर)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट का समय और दे दिया जाय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। एक बात कहने से रह गयी है, हालांकि मैं उसे कहना नहीं चाहता था।

एक्सटेन्शन के बारे में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। मैं भी एक उन्हीं लोगों में से हूं जिनके खिलाफ यह बात कही जा सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि शिकायत इस बात की हो सकती थी कि यह विस्तार इतनी देर में क्यों हुआ, न कि यह कि क्यों हुआ? इतनी बड़ी स्टेट है, अगर इसमें २८ व्यक्ति हैं तो यह ज्यादा कैसे हो गये। आप बंगाल में देखें, वहां ४८ आदमी हैं। सरकार का काम महज इतना ही नहीं होता कि वह अधिक से अधिक फाइलों को निकाल दे, बल्कि उसका यह भी काम होता है कि जो भी पोलिटिकल काम करने वाले हों, उनके सम्बन्ध में वह डे टु डे डाइरेक्शन्स दे। इसके पहले की कैबिनेट में भी ३३ व्यक्ति रह चुके हैं। ज्यों-ज्यों एक स्टेट का काम फैलता है त्यों-त्यों उसके लिये व्यक्तियों को बढ़ाने की भी जरूरत होती है। आज अगर हमारे यहां २८ आदमी सरकार में हैं तो ज्यादा नहीं हैं। इस सम्बन्ध में जो आपका आरोप है वह मुनासिब नहीं है।

मुझे खुशी होती अगर अपोजीशन वाले उन बातों की चर्चा करते जो सरकार की पालिसीज के बारे में हैं। जो हमारी मूल बातें हैं उनसे उन्हें कोई विरोध नहीं है, किन्तु जो छोटी-छोटी बातें हैं उनको उन्होंने इस अविश्वास के प्रस्ताव में कह डाला कि किसी को थानेदार ने बहुत परेशान किया, किसी को फलानी जगह ट्रान्सफर क्यों हो गया। इस तरह की छोटी-छोटी बातें अविश्वास के प्रस्ताव का आधार नहीं बन सकतीं। यह तो उसी प्रकार से है जैसे कि किसी छोटे से मच्छर को मारने के लिये कोई बहुत बड़ा हथियार उठाया जाय। इस तरह की छोटी-

छोटी बातों को यहां लाकर इस अविश्वास के प्रस्ताव की ही हत्या कर दी है। इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—मैं बड़े ध्यान से गोविन्द सहाय जी की स्पीच को सुन रहा था। उनकी विरोधी दल के नेता के भाषण के विषय में तारीफ व अन्य पसन्द की बातों को ही लेकर कहने को सुनने के बाद मुझे एक कहानी याद आ गयी। एक बार एक लड़की के पिता ने अपनी लड़की को सारी महाभारत सुना डाली और सुनाने के बाद अपनी लड़की से पूछा कि बेटी तुझे महाभारत से क्या शिक्षा मिली तो बेटी ने उत्तर दिया कि पिता जी, यह ठीक है कि द्रोपदी के ५ पति थे। तो अपने मतलब की बात चाहे वह पालिटिकल पार्टी की हो, या अन्य पार्टी की हो, गोविन्द सहाय जी अवश्य सुन लेते हैं, लेकिन वह बातें जिनका यहां जिक्र किया गया और जिनका जवाब, उनकी तरफ से आना चाहिये था, उनका कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया गया। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी बातों का कोई उत्तर उस तरह से नहीं दिया गया और जो आरोप विरोधी पक्ष की तरफ से लगाये गये थे वे अब भी ज्यों के त्यों हैं। मैं उन आरोपों को दोहराना नहीं चाहता, मेरे सामने एक ही सवाल है जिसके कारण मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्रीमान्, सत्तारूढ़ दल की तरफ से इस बात का दावा किया गया है कि वे इतनी संख्या में हैं कि कोई उनको बदल नहीं सकता या इस अविश्वास के प्रस्ताव को पास नहीं करा सकता। इस संख्यासुर के बल के अलावा और कोई तर्क उस तरफ से प्रस्तुत नहीं किया गया। मैं, श्रीमन्, यह बतलाना चाहता हूं कि अविश्वास का प्रस्ताव क्यों आता है या किसी में किसी का अविश्वास क्यों होता है। उसके तीन कारण होते हैं। पहला कारण तो यह होता है कि जब कोई व्यक्ति कोई वायदा करे कि हम यह काम करेंगे और फिर वह काम न करे या उस वांछित सीमा के अन्दर न हो जो कहा गया हो, तो उस व्यक्ति पर अविश्वास हो जायेगा। लोगों के दिलों में अविश्वास पैदा हो चुका है। मैं सही तरीके पर कहता हूं कि उधर के लोग यह दिलों में महसूस करते हैं कि सरकार ने इस ९ महीने के कार्यकाल में वादे के खिलाफ काम किया है।

दूसरा कारण इस अविश्वास के प्रस्ताव का यह होता है कि जब कोई नयी सरकार नया घोषणा-पत्र लेकर तैयार होती है तो जनता के दिमाग में एक कल्पना आती है, जनता विश्वास रखती है, एक अपना अनुमान ले लेती है कि यह यहां तक जायगी। अगर वह परिकल्पना जनता की अधूरी रह जाय तो चाहे हम जनता के प्रतिनिधि होकर न कहें, लेकिन यदि जनता से सीधे पूछा जाय तो निश्चित रूप से मालूम होगा कि उसके दिल में अविश्वास पैदा हो गया है।

तीसरी कसौटी यह है कि किसी सरकार को चलाने वाले व्यक्तियों का सार्वजनिक चरित्र कैसा है, आचरण कैसा है? अगर वह श्रद्धा के योग्य है तो हम उनके प्रति श्रद्धा करेंगे और अगर वह स्वार्थपर्ता, पद-लोलुपता, पक्षपात इत्यादि से भरा हुआ है तो जनता श्रद्धा नहीं कर सकती है, इस आदरणीय सदन के सदस्य श्रद्धा नहीं कर सकते हैं और कोई विश्वास का कारण नहीं रह जाता है कि एक सेकेंड के लिए भी ऐसे मंत्रि परिषद् पर विश्वास किया जाय। अगर माननीय मित्रों को इन कसौटियों पर एतराज हो या उन्हें गलत समझते हों तो कहें, क्योंकि ये कसौटियां ऐसी हैं कि विश्वास और अविश्वास का प्रश्न दो मिनट में हल हो सकता है। पहली कसौटी यह है कि जो वादे सरकार ने किये थे उनका निर्वाह किया। यह वादा था कि कम से कम जो सुविधाएं जनता को दी गयी हैं वह दी जाती रहेंगी, उनको सरकार वापस नहीं लेगी। श्रीमन्, आप देखें कि सोशलिस्ट पार्टी के अन्दोलन पर ६ साल पहले आबपाशी में ३ आने की छूट सरकार ने दी, लेकिन अब उसको वापस ले लिया और सरकार दावा नहीं कर सकती है कि किसानों की जितनी क्षति हुई उसको वह पूरा कर रही है। चाहे उस पैसे से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ हो या अपने आदमियों को बी० डी० ओ० और दूसरे पदों पर रखा गया हो, लेकिन उन गरीब किसानों की क्षति-पूर्ति नहीं हो सकती जिन्होंने अपनी खून-पसीने की गाढ़ी कमाई से अपने पेट पालन के लिए प्रयत्न किया था और आबपाशी में वृद्धि के कारण वह उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ और देश

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

की पैदावार को भी धक्का लगेगा और जो गरीबों की आह पैदा होगी उसको यह सरकार बर्दाश्त नहीं कर पायेगी। आखिर हमसे पूछने की क्या बात है, क्योंकि प्रदेश भर अविश्वास कर रहा है।

अब दूसरी तरफ जो सरकार से आशा की जाती थी और जो हमेशा की जाती रहेगी, अगर सच्ची प्रतिनिधि सरकार है तो उसे उसे पूरा करना चाहिए। बेन्थम के सिद्धान्त को माना जाय कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित हो, "बहु-जन हिताय" हो, वह भी गनीमत है, लेकिन यहां मुट्ठी भर लोगों का हित, "अल्प-जन हिताय" होता है। करोड़ों प्रदेश के लोगों पर मुट्ठी भर लोगों के हितों के लिए सरकार छुरी चला रही है। ५ करोड़ ७० लाख गन्ने का बकाया है। सरकार का तर्क यह है कि मिल-मालिक की हालत बहुत खराब है, क्योंकि चीनी ज्यादा पैदा हो गयी। अगर किसी व्यापारी का व्यापार ज्यादा चले, ज्यादा बिक्री हो तो उसको घाटा कैसे हो जायगा और गरीबी उस पर कैसे लद जायगी? लेकिन यह सरकार कहती है कि नहीं, उनकी हालत खराब है और उसका परिणाम यह है कि एक तरफ इस प्रदेश के लाखों गरीब किसान हैं जिनके गन्ने का पैसा अदा नहीं हुआ, जब कि कानून यह है कि अगर १५ दिन के अन्दर पैसा न मिले तो ७॥ रुपया सैकड़ा की दर से मिल-मालिकों को उसका ब्याज अदा करना पड़ेगा। आज यह सरकार नहीं कह सकती है कि इस कानून का भी पालन इस सरकार ने किया है और जो नियम बना रखा है उसकी प्रतिष्ठा और मर्यादा को सरकार ने रखा है। एक भी किसान को जिसे १५ दिन के बाद पैसा मिला हो, ७॥) सैकड़े का ब्याज नहीं दिया गया। यह इस सरकार के कारनामे हैं, तो कैसे जनता का इसमें विश्वास हो?

अगर सोशलिस्ट पार्टी की तरह से कांग्रेस पार्टी भी यह दावा कर दे कि जिन विधायकों के विरुद्ध उनके क्षेत्र के १०० में से ५१ मतदाता यह लिख कर दे दें कि इन पर हमारा विश्वास नहीं रह गया है क्योंकि इन्होंने जनमत की अवहेलना की है, तो आज उनके दल के सैकड़ों विधायक यहां से अलग हो जावेंगे या कांग्रेस की नीति के साथ मोह छोड़ कर उन्हें अलग होना पड़ेगा। लेकिन ऐसा वे नहीं कर सकते हैं। पूंजीपतियों के नोटों के बल पर यह सरकार आई है और उसी के बल पर टिकी हुई है।

अब, श्रीमन्, जरा देखा जाय कि गन्ना किसानों के साथ इस सरकार ने क्या किया है। खांडसारी पर सरकार ने टैक्स लगाया। जितनी खांडसारी हर साल बनती थी उससे आधी इस साल बनी। खांडसारी बनाने वाले लोगों को कोई मुनाफा नहीं रह गया और लोगों ने मजबूर होकर अपना गन्ना मिलों को दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि शकर उसी अनुपात में ज्यादा बनी और उसकी खपत के लिये सरकार अब परेशान है। चुनाव निकट है, सरकार को पैसे की आवश्यकता है, इसलिये नकली बनावटी तर्क तैयार करके अब सरकार कहती है कि चीनी बिक नहीं रही है। गन्ने का भाव कम हो सकता है। केन्द्र के मंत्री कहते हैं, उन्होंने कहा कि गन्ना कम जमीन में उगाओ, उस पर कोई प्रतिबन्ध लगाया जाय, यह कैसी बात है? इन बातों का क्या नतीजा होगा? जरा सोचा तो जाय।

और आगे चलिये। बाढ़ रोकने की बड़ी चर्चा हुई। प्रदेश भर में बाढ़ के ऊपर ही कल बहस रखी गई है। सरकार कह देती है कि दैवी आपदा है बाढ़, इसलिये वह कुछ नहीं कर सकती है वह मजबूर है। कई जिलों से प्रस्ताव आये, बनारस का मुझे याद है। वहां की अन्तरिम जिला परिषद् ने कहा था कि यहां सड़कों और नहरों का जाल इस तरह बिछ गया है कि वहां पहली ही बारिश से बाढ़ आ गई। नियोजन के नाम पर मंत्रियों के क्षेत्रों में जो काम होता है उससे वहां की जनता की तबाही आ जाती है। इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को दैवी प्रकोप का बहाना नहीं लेना चाहिये क्योंकि "सर्वस्य कारणं कालः राजा कालस्य-कारणम्।" सबका नियामक काल, लेकिन राजा, काल समय का नियामक है। राजा ने तो बटेश्वर में ६ मील तक यमुना को उल्टा बहा दिया तो फिर क्यों नहीं सरकार बाढ़ रोक पाती है? हमारे प्रान्त के बहुत से जिलों में, मेरठ, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मथुरा, कानपुर, और पूरब के कई जिलों में गरक़ी की समस्या इतनी बढ़ रही है कि उसका प्रबन्ध यह सरकार

नहीं कर पा रही है। पानी का स्वाभाविक बहाव शीघ्रता से हो नहीं पाता है। अतः वह स्थिर पानी ज़मीन में जज्ब होकर वर्षा में ऊपर उबलता है। पानी के कारण ईख के अलावा पश्चिमी जिलों में कोई और फसल नहीं रह गई है। यह सरकार इसका प्रबन्ध करने में असमर्थ रही है। तो कैसे इस सरकार के ऊपर विश्वास किया जा सकता है कि यह जनता की तकलीफ़ों को दूर कर सकेगी ?

एक कहावत है, श्रीमन्, कि चौबे जी छबे होने गये और दुबे रह गए। ठीक यह कहावत हमारी सरकार के ऊपर चरितार्थ होती है। इस सरकार के पहले सम्पूर्णानन्द जी की सरकार कहा करती थी कि दो योजनाओं के बाद हम बिजली के कुओं को काफी मात्रा में बिजली दे सकेंगे। किसान सोचता था कि अब गुप्ता जी की सरकार आ गई है और अगर सम्पूर्णानन्द जी की सरकार उसकी तकलीफ़ दूर नहीं कर सकी तो गुप्ता जी की सरकार अवश्य कुछ कर सकेगी। मगर यह उसका कोरा सपना ही रह गया। अंग्रेज के जमाने में जो कुंए बिजली के २४ घंटे चलते थे, उन पर प्रतिबन्ध हो गया कि वे ८ घंटे चलें। श्रीमन्, इस बात से कोई इंकार नहीं करेगा कि अनाज को सर्वाधिक महत्व देना चाहिये। रोज हम भुखमरी और बेकारी का तांडव यहां सुना करते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा परम कर्तव्य था कि अनाज के उत्पादन के लिये, कृषि के कार्यों के लिये, हम सबसे पहले प्राथमिकता देते और बिजली के कुओं को बराबर बिजली मिलती। मगर अंग्रेज के जमाने में जो बिजली मिलती थी वह भी आज नहीं रह गई है। उससे भी यह सरकार गिर गई है। तर्क यह दिया जाता है कि क्या करें, जिलों में भी हमें बिजली देनी होती है। श्रीमन्, किसी मिल में बिजली बन्द रहने से उत्पादन के एक हिस्से को नुक़सान होता है लेकिन किसान के खेत को समय पर पानी न मिलने से तो उसकी सारी फसल की तबाही हो जाती है और देश के अनाज के उत्पादन में कमी आती है। कहावत है कि १३ कार्तिक और ३ अषाढ़ किसान को तो समय पर पानी चाहिये। अगर समय पर पानी नहीं मिलता है तो उसकी फ़सल नष्ट हो जाती है। प्रदेश के जन-जीवन और तमाम मानवी जीवन का स्रोत सूख रहा है। तरक्क़ी तो गई भाड़ में, अगर किसान को अपने स्तर पर क़ायम रखने के लिये कुछ प्रबन्ध कर दिया जाता तो हम समझते और सरकार कह सकती कि ३, ४ योजनाओं में वह सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन वे सब योजनायें किसान के लिये तो हैं नहीं।

माननीय गोविन्द सहाय जी ने कहा कि हमारे चरित्र में जो गिरावट आ गई है वह पूरे समाज में छा गई है। तो आखिर इस गिरावट को लाने की जिम्मेदारी किसकी है ? माध्यमिक शिक्षकों का जीवन देखें, जो बच्चों को पढ़ा कर आगे बढ़ाते हैं, प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का जीवन जरा देखें जिनको ४५ रुपये देकर सरकार चाहती है कि वह पूरा काम करें। यह सब किसने किया ? एक चपरासी को उनसे ज्यादा मिलेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं मैनेजर हैं। ऐसी स्थिति में निःस्वार्थ के अतिरिक्त कोई विशेष आदर्श उनके सामने है ही नहीं। माननीय गुप्त जी, ध्यान से सुन लें कि उनका कोई ऐसा आदर्श है चरित्र का जिससे जनता प्रोत्साहन प्राप्त करे ? कोई उन्होंने ऐसा आदर्श जनता के सामने रखा है कि जिस पर वह चले ? सम्पूर्णानन्द जी अध्यापक रह चुके थे, वह एक बिल लाए। उससे अध्यापकों को कुछ राहत मिली। अब गुप्ता जी आ गये हैं जो मैनेजर हैं, जैसा मैंने अभी निवेदन किया।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आपने क्या कहा ? गुप्ता जी कहां के मैनेजर हैं ?

श्री रामस्वरूप वर्मा—मोती लाल नेहरू ट्रस्ट के। जिसके संरक्षण में बहुत-सी संस्थायें चल रही हैं। इसीलिये तो मैनेजरों का रिप्रेजेन्टेशन चलता है। श्रीमन्, देखें, जैसा अभी गोविन्द सहाय जी ने कहा कि अगर कोई बात किसी को तुरन्त चुभ जाय तो समझना चाहिये कि गोली ठीक बैठी। तो माननीय मुख्य मंत्री मेरी बात से उछल पड़े जिससे स्पष्ट है कि मेरी बात भी अपनी जगह ठीक ही बैठी। माननीय गुप्ता जी की परिभाषा वही है जो सामान्य लोगों की हुआ करती है कि जब रेलगाड़ी के डिब्बे के बाहर हैं तो कहा कि डिब्बे में बहुत जगह है, लोग चढ़ने क्यों नहीं देते, लेकिन जब डिब्बे में चढ़ गये तो दूसरे मुसाफिरों से कहने लगे कि जगह नहीं है आगे के डिब्बे में जगह होगी, अब सब सहानुभूति खत्म हो गयी। माननीय गुप्ता जी इसी प्रकार

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

के आदमी हैं। अपना स्वार्थ जिसमें हो उसी को रिप्रेजेन्ट करने लगेंगे। दूसरे आदमियों के बारे में उनको कोई चिन्ता नहीं है। तभी तो उन्होंने बड़े दावे के साथ कह दिया कि वे प्रदेश के ही मुख्य मंत्री नहीं है बल्कि मंत्रियों के भी मुख्य मंत्री हैं। लेकिन हमारी शिकायत है कि उनमें पक्षपातहीनता समान व्यवहार तथा न्यायप्रियता नहीं है और जनता के ऊपर वे अपने को जबरदस्ती लादे हुए हैं इसीलिये उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है।

अब विद्यार्थियों के साथ क्या हो रहा है। जरा इसे देखा जाये, सरकार ने बड़ा ढोल पीटा कि हमने ६ठवें दर्जे तक की फीस माफ कर दी। लेकिन मेरे पास प्रमाण मौजूद हैं। यहां पर लखनऊ में एक लड़कियों का स्कूल है जिसकी जुलाई मास की रसीद में सवा रुपया फीस लिखी हुई है और उसके पीछे सवा तीन रुपया और लिखा हुआ है। इस संबंध में मैंने एक पत्र माननीय शिक्षा मंत्री जी को लिखा था किन्तु उत्तर अब तक न मिला। इस तरह की हालत है और यह सरकार कहती है कि हमने फीस माफ कर दी। इस प्रकार से आज माध्यमिक और प्राइमरी शिक्षा संस्थाओं में फीस ली जा रही है फिर कैसे इस सरकार पर विश्वास रहे?

उन्होंने जो वायदे किये उनको पूरा नहीं किया जनता की कल्पना साकार नहीं हुई और सार्वजनिक आचरण इसका श्रद्धा के योग्य नहीं, फिर किस प्रकार से सरकार पर विश्वास रह जाय। आज तमाम प्रदेश में एक अजीब प्रकार का नक्शा बना हुआ है।

मैं तो थर्ड क्लास में चलने वाला आदमी हूं और बस में भी प्राय पीछे बैठ जाता हूं। वहां पर जनता जो भावनायें प्रकट करती है वह मैं जानता हूं। वह कहती है कि इस प्रदेश में जाने क्या हो गया है कि जिस जाति का मुख्य मंत्री है उसी जाति को न्याय मिलता है और पदवृद्धि होती है। जब डाक्टर सम्पूर्णानन्द थे तो चीफ सेक्रेटरी, आई० जी० और दूसरे लोग जो यहां आफिसर थे वे उनकी जाति के थे और अब जब माननीय गुप्ता जी हैं तो यूनिवर्सिटी के कई वाइस चांसलर, चाहे वह वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के ही क्यों न हों, चीफ सेक्रेटरी, आई० जी०, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटर, लखनऊ लोकसेवा आयोग के चेयरमैन, सब बनिया हैं। मैं योग्यता अथवा अयोग्यता के प्रश्न में नहीं जाता। प्रश्न यह है कि इस देश में यह क्या व्यवस्था चल रही है कि जिस कौम का मुख्य मंत्री होगा उसी कौम के साथ इंसाफ हो सकेगा? अगर श्रीमन् यही बात है तो वह प्रदेश की जनता के सामने स्पष्ट नीति के रूप में आनी चाहिये (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, हमें २५ मिनट मिलने चाहिये। आपने अभी से बत्ती जला दी। हमें कुछ समय और दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—जी हां, आपको २५ मिनट ही दिया जा रहा है। आपके दो मिनट ही बाकी हैं। आप बाद में हिसाब लगा कर देख लीजिये।

श्री रामस्वरूप वर्मा—मैं यह कह रहा था कि किसी जाति के लोगों को इन्साफ तब मिलता है जब उसका कोई आदमी ऊपर पहुंच जाता है। जहां ऐसी व्यवस्था हो वहां तो फिर अविश्वास का प्रस्ताव बिलकुल पास ही हो जाना चाहिये, क्योंकि १५ दिन के लिये चौधरी गिरधारीलाल आ जायेंगे तो वे भी अपनी जाति वालों को कुछ फायदा पहुंचा सकेंगे, फिर श्री रामस्वरूप यादव आ जायेंगे तो वे भी बैकवर्ड क्लास का कुछ लाभ कर जायेंगे, चौधरी चरण सिंह आ जायेंगे तो वे भी अपनी जाति वालों को कुछ लाभ पहुंचा जायेंगे। जनता के लाभ से किसी को कोई मतलब नहीं है, सब अपने-अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं।

जहां तक सार्वजनिक आचरण की बात है वहां मंत्री लोग जनता के बजाय पहले अपनी सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं। ठाकुर हुकुम सिंह के यहां बहराइच में घर तक सड़क बन गयी, श्री रामपूर्ति जी का बरेली में जहां फार्म है वहां तक सड़क बन गयी, लेकिन रामस्वरूप वर्मा जैसे करोड़ों लोगों के यहां सड़कें नहीं बन पायीं। ऐसी स्थिति में जनता का इस सरकार में कैसे विश्वास रह सकता है?

श्रीमन् यहां तक होता है कि आगरा के एक एस० एस० पी० जिनके खिलाफ कई भ्रष्टाचार के चार्ज लगाये गये थे और जिसमें सी० आई० डी० ने जांच की थी और उन आरोपों को सही पाया था, वे ही आज सरकार की नाक के बाल बने हुए लखनऊ में बैठे हुए हैं। इस तरह का तो जमाना हो गया है फिर क्या कहा जाय।

शिक्षा संस्थाओं तक में इस तरह की पक्षपात की बातें घुसी हुई हैं। अभी इसी साल की बात है कि हाई स्कूल एन्ड इन्टरमीजिएट बोर्ड के ऐडिशनल सेक्रेटरी नकल करने के सम्बन्ध में जांच करने के लिये एक कमरे में तीन घंटे रह और रपट दी इस कमरे के छात्रों ने कोई नकल नहीं की, लेकिन परीक्षक ने उस कमरे के २३ छात्रों द्वारा नकल करने की रपट दी। अतः कमेटी ने जांच की तो ऐसे दो लड़के जिनमें से एक बड़े कांग्रेस नेता व दूसरा किसी बड़े आफिसर का लड़का था, को छोड़ कर बाकी २१ को नकल करने वाला ठहराया। तब फिर दूसरी कमेटी बैठी और उसने विशेष रूप से उन विद्यार्थियों को बाकी २१ को बाद में नकल करने वाला बताया। पहले तो यही कहा गया कि यहां कोई नकल नहीं हुई, लेकिन बाद में जांच करने पर परीक्षक ने रिपोर्ट की कि २३ लड़कों ने नकल की है। पहली जांच में २१, लेकिन जब फिर दोबारा उसके लिये जांच कमेटी बैठायी गयी तो उसने रिपोर्ट दी कि ये दो लड़के ही पहले नकल करने के दोषी हैं, बाद में और २१ लड़कों ने नकल की। तो जहां शिक्षा संस्थाओं व पुलिस ऐडमिनिस्ट्रेशन में यह स्थिति हो वहां कैसे सरकार पर विश्वास किया जा सकता है? इन शब्दों के साथ मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—उपाध्यक्ष महोदय, जो अविश्वास का प्रस्ताव आया है उसका मैं विरोध करती हूं। वैसे तो डिबेट में कोई भाग लेने की मेरी मंशा नहीं थी, लेकिन कल मेरे खिलाफ कुछ व्यक्तिगत आक्रमण किया गया, इसीलिये मैंने जरूरी समझा कि दो चार बातें कह दूं...

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—जरा धीरे-धीरे बोलियेगा ताकि हम लोग भी समझ सकें।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—धीरे-धीरे बोलने की शिकायत जिस तरफ से की गयी है, हम लोगों को सबसे ज्यादा शिकायत उसी तरफ से रहती है कि उधर से कही हुई बातें हमारी समझ में नहीं आतीं। फिर भी मैं धीरे-धीरे बोलने की कोशिश करूंगी।

श्रीमन् मैं भी पार्लियामेंटरी जीवन में काफी समय बिता चुकी हूं। मेरे खयाल में अविश्वास का प्रस्ताव एक आखिरी चीज है, एक महान शस्त्र है और वह महान शस्त्र तब प्रयोग किया जाता है जब सरकार को हटाने की नौबत आती है। जब यह समझ लें कि सरकार बिलकुल गिर गयी है और हमारी ताकत है इसको हटाने की, तब अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाता है। मगर आम तरीके से रोजाना अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाय तो वह महान शस्त्र बेकार हो जाता है। एक तलवार से आलू को काटने लगें तो तलवार का महत्व घट जाता है। अगर हर सेशन में अविश्वास का प्रस्ताव आ जाय तो यह माना जायगा कि अविश्वास का प्रस्ताव लाने वाले इसको लाइटली लेते हैं और जिनके खिलाफ लाया जाय वे भी इसको लाइटली लेते हैं इसीलिये अविश्वास के प्रस्ताव के रूप में एक अच्छे शस्त्र का, शक्तिशाली शस्त्र का हम दुरुपयोग करते हैं।

कुछ लोगों ने कहा कि यह सरकार आलोचना से घबड़ाती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है पार्लियामेंटरी पद्धति में तो क्रीटिसिज्म को पूरी तरह से मान्यता है और अगर यह क्रीटिसिज्म हट जाय तो मैं समझती हूं कि पार्लियामेंटरी पद्धति ठीक ढंग से नहीं चल सकती। अविश्वास के प्रस्ताव के अलावा भी क्रीटिसिज्म करने की पार्लियामेंटरी पद्धति में काफी गुंजायश है। इसके अलावा भी सारे ऐडमिनिस्ट्रेशन की नुक्ताचीनी करने के लिये दो-तीन मौकों पर आपके लिये पूरी तरह से दरवाजा खुला हुआ है। एक पूरा-पूरा मौका मिलता है सारी गवर्नमेन्ट

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

के ऊपर नुक्ताचीनी करने का, जब कि गवर्नर के भाषण पर डिबेट होती है, उस वक्त सरकार की जितनी कमियां हैं उन सब की आलोचना हो सकती है। उसके बाद जब हर साल फरवरी में बजट पेश होता है, उस पर जनरल डिस्कशन के वक्त सब के लिये पूरा दरवाजा खुला रहता है कि जो भी आलोचना गवर्नमेन्ट के कामों की करना है वह की जाय, उस वक्त हर विषय पर, हर विभाग पर आलोचना की जा सकती है उसके बाद जब फाइनेन्स बिल आता है उस वक्त भी मौका होता है, आप किसी विषय पर बोल सकते हैं। इस तरह से साल में तीन-चार मौके होते हैं कि गवर्नमेन्ट के हर पहलू पर हर तरह की आलोचना की जा सकती है। इसीलिये मेरा खयाल है कि इस अविश्वास के प्रस्ताव का इस्तेमाल करके आप ने एक बड़े भारी शस्त्र का दुरुपयोग किया है और उसके महत्व को घटाया ही है। छुटपन में हम फाक टेल्स सुना करते थे। एक किस्सा था कि एक लड़का रोज चिल्लाया करता था कि शेर आ गया, शेर आ गया, सब दौड़ पड़ते थे, लेकिन वह आता नहीं था, ऐसे शेर का डर लोगों के दिल से निकल गया। इसी तरह से इस सदन में भी अगर रोजाना अविश्वास का प्रस्ताव लाया जायगा तो उसका महत्व घट जायगा।

दूसरी बात यह है कि यहां पर कांग्रेस दल के अन्दरूनी झगड़े को हाईलाइट में लाया गया। ठीक है, पालिटिक्स है, जो अवसर मिलेगा उस का पूरा-पूरा इस्तेमाल करने की बात हो सकती है। उधर से दोनों कांग्रेस के सेक्शन को ललकारा गया और कोशिश की गई कि किसी तरह से हमारी आपस की दरार बढ़े, लेकिन उन्होंने देख लिया कि उनके ललकारने के बावजूद भी इधर से जो भाषण हुये उनमें उनका जवाब दे दिया गया। सही बात है कि कांग्रेस में आपस का झगड़ा है, वह न हो तो अच्छा है, दुख की बात है कि वह है, उसकी कोई खुशी नहीं है। उसको खत्म करने के लिये कांग्रेस की तरफ से कोशिश भी है और अगर वह दूर न हो तो सरकार का चलाना मुश्किल भी है। साथ ही साथ बात यह भी है कि कांग्रेस कोई तानाशाही पार्टी नहीं है कि एक दीवार खड़ी हुई है, कोई कुछ कह नहीं सकता, कोई कुछ जबान नहीं निकाल सकता, बोल नहीं सकता। एक डेमोक्रेटिक तरीका पार्टी फंक्शनिंग का है। लोगों को अपनी अलग-अलग राय रखने की गुंजायश है, लेकिन फिर भी अगर कोई दरार है या झगड़ा है तो उसको मिटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जैसा कि माननीय गोविन्द सहाय जी ने बहुत काबिलियत से, अच्छी हिन्दी में वह बोल सकते हैं, मैं तो कह भी नहीं पाती बताया कि अगर कांग्रेस में झगड़ा है भी तो वह झगड़ा कौन से अन्दरूनी में नहीं है। उन्होंने उसके उदाहरण भी दिये। मैं कोई उदाहरण नहीं देना चाहती लेकिन मैं जानती हूं आज देश की कोई भी ऐसी पोलिटिकल पार्टी नहीं है कि जिसमें आपस का कोई झगड़ा न हो। वह होना स्वाभाविक है, क्योंकि अभी हमारा नया नया जनतन्त्र है उसका एक अर्ली स्टेज है, इसलिये यह मुमकिन हो सकता है कि पार्टियों में कोई न कोई अन्दरूनी झगड़ा हो, परन्तु वह झगड़े कैसे मिटाये जाय इसकी मर्यादाएं अभी हम निश्चित नहीं कर पाये हैं। कांग्रेस एक बड़ा दल है, दूसरे दल उसके मुकाबले में बहुत छोटे हैं उनके भी झगड़े हैं, लेकिन वह छोटे मालूम होते हैं। कांग्रेस का झगड़ा या उसकी दरार बड़ी मालूम होती है, लेकिन जिन्होंने इस आपस के झगड़े के लिये यह कहा कि पार्टी के लोगों का सरकार पर कांफिडेंस नहीं है या प्रदेश के लोगों का सरकार पर विश्वास नहीं है, वह जरा चूंकि वह भी पब्लिक के प्रतिनिधि हैं इसलिये वह एक आइना अपने सामने रखें तो उनको स्वयं मालूम हो जायगा कि किसका झगड़ा धीमा या तेज है। आपस का झगड़ा पब्लिक लाइफ में बुरी चीज है वह दूर होना चाहिये, लेकिन बहुत सी गवर्नमेन्ट में जहां की परम्पराएं बहुत पुरानी हैं वहां भी झगड़ा पोलिटिकल पार्टी में होता है, मसलन ब्रिटिश लेबर पार्टी की आज क्या हालत है यह आप सब जानते हैं, लेकिन मैं यह बताना चाहती हूं कि मनुष्य जीवन में ह्यूमैन अफेयर्स में ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है जो बुरी चीजें हैं वे हटनी चाहियें और ऐसी चीजों को हर तरह से हटाने की कोशिश की जा रही है। इसलिये इस प्रकार की आलोचना कर के विरोध पार्टी वालों ने अपनी शक्ति को किस तरह से बढ़ाया यह मेरी समझ में नहीं आया और न यह ही समझ में आया

कि अगर कांग्रेस पार्टी का अन्दरूनी झगड़ा है वह ठीक न हो तो उसका ढिंढोरा पीट कर किस तरह से वह अपनी ताकत को बढ़ा सके हैं ।

एक बात और छोटी सी थी, लेकिन बहुत बार कही गई । यह कहा गया कि विधान परिषद् के मेम्बर मिनिस्टरी में क्यों हैं, यह गलत चीज है । मैं पूछना चाहती हूं कि हमारे विधान में कहां लिखा है कि विधान परिषद् के मेम्बर मंत्रिमंडल में नहीं आ सकते ? यह बात सही है कि कांग्रेस के लोग अपने सामने प्रजातंत्र की उच्च मर्यादा और उच्चतर आदर्श रखने के उद्देश्य से यह इच्छा जाहिर की है कि हम कोशिश करके अपने मंत्रिमंडल में उन्हीं को रखेंगे जो लोग जनता के वोट से चुनकर आये हैं, परन्तु यह कोई मेन्डेटरी निर्देश नहीं है ।

(सदन में शोर होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—आर्डर, आर्डर ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—यह कोई मैन्डेटरी आर्डर कांग्रेस या विधान की तरफ से नहीं है कि विधान परिषद् के मेम्बर मिनिस्ट्री में न आएं ।

एक माननीय सदस्य ने मेरे ऊपर कुछ प्रहार किया और कहा कि उत्तर प्रदेश से मुझे कोई कांस्टीटुएन्सी नहीं मिल सकती थी इसलिये किसी तरह से मुझे यहां पहुंचाया गया है और उससे उन्हें बहुत शर्म है । मुझे बहुत खुशी है कि विरोधी पक्ष में भी ऐसे माननीय सदस्य हैं, जिन्हें मेरे पब्लिक बिहेवियर से शर्मिन्दगी होती है, यानी वह मुझसे आशा रखते थे कि इस संबंध में मैं कुछ ऊंचा स्टैंडर्ड रखूंगी, लेकिन जिन माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है, मैं उनसे कहना चाहती हूं कि भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी कांस्टीटुएन्सी जो यहां की कांस्टीटुएन्सी से पांच गुना बड़ी है उससे मैं कई बार जीत चुकी हूं और वहां से हारकर नहीं, बल्कि इस्तीफा देकर आई हूं और इस समय इलेक्शन इतने नजदीक होने पर अगर मैं कहूं कि आप सीट छोड़ दीजिये और मैं जीतकर आऊं तो वह ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुत-सी कांस्टीटुएंसीज हैं, कहीं से भी मैं जीतकर आ सकती हूं । माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं यह भी बताना चाहती हूं कि पिछले इलेक्शन में उत्तर प्रदेश की कई जगहों से पार्लियामेंट की सीट के लिये मेरे पास निमन्त्रण आये, लेकिन मैंने पसन्द किया कि नई दिल्ली से खड़ी होऊं । अब भी कई जगह से मुझे निमन्त्रण आये हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि कौन-सी कांस्टीटुएन्सी लूं । तो यह बात नहीं है कि मैं पब्लिक की नुमाइंदगी नहीं कर सकती । मैं पब्लिक की नुमाइंदगी कर सकती हूं, मुझे पूरा कान्फीडेन्स है । जिस दिन मैं समझूंगी कि पब्लिक मुझे वोट नहीं देगी, मैं पसन्द नहीं करूंगी, आपके हाउस में या पार्लियामेन्ट में आऊं, मैं घर पर बैठना पसन्द करूंगी ।

(शोर)

और बहुत सी बातें गवर्नमेन्ट के बारे में कही गयीं । जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ला एन्ड आर्डर के बारे में, संबंधित मंत्री उनका जवाब देंगे । मेरे डिपार्टमेंट के बारे में कोई खास बात नहीं कही गई । इसलिये उस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहती । एक बात की बड़ी चर्चा चल रही है । उसका फुलेस्ट पोलिटिकल मिसयूज हो रहा है । कई महीनों से यह प्रचार चल रहा है कि सरकार ने इकोनामी के नाम पर चपरासियों को हटा दिया है और गरीब लोगों के ऊपर सारी इकोनामी का प्रेशर पड़ रहा है । मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहती हूं कि कौन-सा चपरासी हटाया गया है । प्रेस वाले भी इस बात को नोट कर लें, यह झूठा प्रोपेगंडा बराबर अपोजीशन पार्टी किये जाती है बावजूद हमारे .....

श्री राजनारायण—व्यवस्था का प्रश्न है । क्या "झूठ" शब्द का प्रयोग पार्लियामेन्टरी है ?

श्री उपाध्यक्ष—उन्होंने प्रोपैगंडा के लिये कहा, आपके लिये तो कहा नहीं है ।

श्री राजनारायण—'असत्य' कहना चाहिये, "झूठ" नहीं कहना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—वह प्रोपैगंडा के लिये कहा है । कंटेक्स्ट भी तो आप देखियेगा ।

श्री राजनारायण—किसी मंत्री का कंडक्ट भी झूठा हो सकता है ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—अगर "झूठ" शब्द उनको पसन्द नहीं है तो मैं 'असत्य' भी कह सकती हूं ।

तो परमानेन्ट या टेम्पोरेरी चपरासी किसको नौकरी से हटाया गया? हम एक नई परम्परा लाना चाहते हैं । अपोजीशन की तरफ से बड़ी आलोचना होती है कि बड़ा भारी आडम्बर है, इसको हटाना चाहिये या यह समालोचना की जाती है कि चपरासी पीछे पीछे फाइल लेकर चलता है । तो यह तय किया गया है कि आज के जितने चपरासी हमारे हैं उनको नये आदर्शों के अनुसार एक पूल में रख दिया जाय । एक आफिस में जितने चपरासी रखे जाते हैं या अफसर के साथ रखे जाते हैं उनको घटाकर जो बचें उनको एक पूल में रखा जाय और थर्ड प्लान में जो काम बढ़ रहा है उसमें उनको खपा दिया जाय । जब तक वह पोस्ट न किये जायं तब तक वे पूल में रहेंगे, पूरी तनख्वाह पायेंगे और किसी को हटाया नहीं जायगा । तो यह गलत प्रचार कि गरीबों को हटा कर सरकार बचत कर रही है, बिलकुल गलत है । इसलिये अपोजीशन पार्टीज ऐसा गलत प्रचार न करें । मैं जानती हूं, क्यों ऐसा किया जा रहा है । चुनाव नजदीक है और वोट देने वाले भी गरीब ज्यादा हैं इसलिये उनको ऐक्सप्लायट करने के लिये ऐसा किया जा रहा है । मैं चाहती हूं कि सरकार की जो गलतियां है वह हमारे सामने आप लायें, सरकार जब चलती है तो सैकड़ों गलतियां होती हैं, हमारी जो गवर्नमेंटल मशीनरी है उसके ढांचे में परिवर्तन की जरूरत है। अगर विरोधी दल के लोग सही आलोचना करें तो वेलकम है, हम चाहते हैं कि हमारी गलतियों को बताया जाय, क्योंकि डेमोक्रेसी में विरोधी दल और सरकारी दल, दोनों की जिम्मेदारी है। जहां विरोधी दल के कोई माननीय सदस्य हमारी कोई गलती समझायेंगे वहां उसको मानना हमारा फर्ज है। इसलिये हम आलोचना से नहीं घबड़ाते बशर्ते कि वह सही आलोचना हो ।

एक बात व्यक्तिगत थी जिसको मैं नहीं कहना चाहती थी, मगर मजबूर होकर कहना पड़ रहा है क्योंकि एक छोटी सी बात को एक माननीय सदस्य ने बड़ी बात बना कर कह दी । एक माननीय सदस्य ने कहा कि पब्लिक के लोगों से मैं मिलती नहीं हूं, टेलीफोन पटक देती हूं । मैं पूछना चाहती हूं कि इतने मेम्बरान आप हैं, कांग्रेस के और विरोधी दल के, किनको मेरे खिलाफ इस तरह की शिकायत है ? किसी को नहीं है । पर एक माननीय सदस्य को है और मैं जानती हूं कि क्यों उन्होंने मेरे ऊपर प्रहार लगाया । इतने थोड़े दिनों में जब से मैं उत्तर प्रदश में आयी हूं, मैं समझती हूं कि अगर मैंने कोई प्रशंसा का काम नहीं किया तो निन्दा का भी काम शायद कोई नहीं किया ।

श्री राजनारायण—क्या लगाया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—प्रहार लगाया । माननीय सदस्य के कोई चेले जो भूख-हड़ताल करने की धमकी दिखाये थे उनको यहां बिना appointment किये हुए बुलाया और मुझसे कहा कि उनसे फौरन मिलिये । उस दिन मैं बहुत बिजी थी इसलिये मैंने कहा कि मुझसे इस समय न मिलें, क्योंकि मैं कुछ आवश्यक कार्य में व्यस्त हूं । मैंने अपने एक अफसर को टेलीफोन कर दिया था कि वह उनसे मिलकर बात समझ ले । दूसरे दिन माननीय सदस्य ने ऐसे मौके पर टेलीफोन किया जब मैं बाहर जा रही थी । बात करके मैंने टेलीफोन रख दिया यह समझ कर कि बात खत्म हो गई । उनके दिल में और ज्यादा बात करने की शायद इच्छा थी, चपरासी से कहा कि और बातें करनी हैं । मैंने रिसीवर उठाया, बस रिसीवर उठाते ही जो गर्जन हुआ मैंने कुछ समझने की कोशिश की और उसी सिंह गर्जन की घबराहट के मारे मेरे हाथ से रिसीवर गिर गया । अगर अशिष्ट भाषा का प्रयोग मेरे साथ होगा तो हर दफा रिसीवर गिरेगा । मैं पब्लिक लाइफ में बहुत सालों से हूं और जानती हूं कि पब्लिक लाइफ में बहुत सी कठिनाइयों, परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, मगर पब्लिक

लाइफ में भी शिष्टता और शुद्ध आचरण की कोई जगह है । अगर यह चीज छोड़ दें तो पब्लिक लाइफ में नहीं आना चाहिये, और खासकर उत्तर प्रदेश के लोग जो गौरव करते हैं हिन्दू और मुस्लिम संस्कृति इस प्रदेश में उच्च शिखर पर पहुंची हुई थी, तरीका, तहजीब और व्यवहार, यह सब हमें आता है, उसके बावजूद भी हम लोग जो पब्लिक के नेतागण हैं आपस ही में अगर अशिष्ट भाषा का प्रयोग करें तो हम और लोगों के सामने क्या उदाहरण रखेंगे और कैसे अपनी पब्लिक लाइफ में चल सकते हैं ? इसलिये अगर माननीय सदस्य अपनी आदत से मजबूर ह तो मैं भी अपनी आदत से मजबूर हूं, क्योंकि मैं शिष्टता पसन्द करती हूं । अगर कोई अशिष्ट व्यवहार करे तो मैं अशिष्ट व्यवहार तो नहीं करूंगी, लेकिन उनसे व्यवहार ही करना छोड़ दूंगी।

श्री राजनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय , मुझे कुछ व्यक्तिगत स्पष्टीकरण करना है ।

श्री उपाध्यक्ष—आपका नाम किसी ने नहीं लिया ।

श्री राजनारायण—नाम न लें, लेकिन अगर किसी के भाषण को प्रासंगिक बना कर कहा जाय तो इस सदन की यह प्रथा रही है कि मौका मिलता रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—उन्होंने एक माननीय सदस्य कहा।

श्री राजनारायण—अगर उन्होंने नहीं कहा तो ठीक है, मगर मैं इतना कह देना चाहता हूं .....

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपया बैठिए ।

श्री राजनारायण—मैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की व्यवस्था पर नतमस्तक हूं लेकिन....

श्री उपाध्यक्ष—कृपया आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री राजनारायण—मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप उनसे कह दें, माननीय सदस्या को बता दें कि इस सदन में उनसे अधिक संसदीय परम्परा से लोग अवगत हैं और उनसे किसी को जानकारी कम नहीं है और जितनी वह शिष्टा हैं, उससे कोई कम शिष्ट नहीं है । लेकिन....

श्री उपाध्यक्ष—यह बताइये कि आप किस नियम से भाषण दे रहे हैं ?

श्री राजनारायण—जिस नियम से सदन में कार्यवाही चल रही है, उसी नियम से मैं बोल रहा हूं ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न उठा है कि यह अविश्वास का प्रस्ताव क्यों कर पेश हुआ । मैं भी अपने मन से पूछता हूं कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर मैंने दस्तखत क्यों किये । केवल इस लिये कि मेरा यह विश्वास हो गया है कि अब इस सरकार अथवा इसके द्वारा पोषित व्यवस्था से हमारे प्रदेश की बहु संख्यक जनता का उपकार नहीं हो सकता है। जब दिलो दिमाग में ऐसी स्थिति पैदा हो जाय तब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के अलावा संसदीय प्रणाली में कोई और बड़ा उपाय नहीं है। मैं इस बात को स्पष्ट घोषित करना चाहता हूं कि पिछले साढ़े ९ साल से यहां रहने के बाद इस सरकार और जिस व्यवस्था पर यह आधारित है उस व्यवस्था का विरोधी आज मैं पहले की अपेक्षा सौ गुना अधिक हो गया हूं और मैं अपने जीवन का यह व्रत समझता हूं कि जब तक इस सरकार को और इस व्यवस्था को नेस्तनाबूद न कर दूं तब तक मैं चैन न लूं । उसी तरफ यह अविश्वास का प्रस्ताव एक नन्हा सा प्रयास है ।

[श्री झारखंडेराय]

मैं जानता हूं कि अगर उधर का बहुत बड़ा हिस्सा टूट कर जैसी कि आज ऐतिहासिक मांग है, समय की पुकार है, और ऐतिहासिक मौके और मोड़ के अवसर किसी देश के, प्रदेश के, और समाज के अथवा पार्टियों के इतिहास में हमेशा नहीं आया करते हैं, अगर वह न टूटा तो प्रस्ताव पास नहीं होगा। लेकिन इस प्रस्ताव से करोड़ों जनता की भावनाओं का प्रतिबिम्बन हो रहा है, इसी से हमें संतोष है।

जब हम इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं तो हमारे और मुख्य मंत्री जी के बीच में २०० लाशें पड़ी हुई हैं, बस दुर्घटनाओं की। गाजीपुर की नाव-दुर्घटना में मासूम, बेगुनाह और निर्दोष लोग मरे हैं, उनकी लाशें हमारे और सरकार के बीच में पड़ी हैं। इस मानसिक स्थिति में हम इस विवाद में हिस्सा ले रहे हैं।

मान्यवर, पुरानी और नई सरकारें दोनों कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही हैं और आज भी हैं। दोनों माननीय मुख्य मंत्री कांग्रेस-समाजवादी रह चुके हैं और हिन्दुस्तान के समाजवादी आन्दोलन के प्रमुख जन सहयोगी रह चुके हैं। लेकिन आज दोनों पथभ्रष्ट योगी हैं, रेनेगेड सोशलिस्टस हैं। मेरा विश्वास है कि अगर पार्टी मेन्डेट के बाहर फ्री वोटिंग का अवसर दिया जाय तो इस प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत जरूर आयेगा। लेकिन यह 'अगर' बहुत बड़ा कार्य है। उसके 'अगर' रोड़े को पार करना, उसके लिये बहुत बड़े साहस की जरूरत है। और उस साहस की अपेक्षा आज प्रदेश की जनता उधर बैठे हुए कुछ लोगों से कर रही है। माननीय केशव पान्डेय जी को यह भी बर्दाश्त नहीं है कि अविश्वास का प्रस्ताव आया ही क्यों। सोचने की बात है कि हमारे देश को विदेशों से आर्थिक और प्राविधिक सहायता जितनी मिलती है पिछले वर्षों में उतनी मेरी जानकारी में किसी भी दूसरे पिछड़े हुए देश को नहीं मिली, लेकिन फिर भी देश और प्रदेश में असन्तोष बढ़ता जा रहा है। साधारण जनता की जो मामूली कठिनाइयां हैं वे भी हल नहीं हो पा रही हैं। राज्य और शासन यन्त्र का विस्तार हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ भ्रष्टाचार और शिथिलता और इनएफिशियन्सी भी बढ़ती जा रही है। ऐसी हालत में इस प्रस्ताव के अलावा कौन सा तरीका है इस पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी में जिसके जरिये हम उग्र विरोध का प्रदर्शन कर सकें ?

मान्यवर, स्वस्थ जनवादी परम्पराओं की चर्चा की गयी। मैं कहना चाहता हूं उधर बैठे हुए माननीय नेताओं से कि वे ऐतिहासिक सत्य को महसूस करें कि स्वतंत्र भारत में इस बात की प्रथम जिम्मेदारी किस के कन्धों पर पड़ी ? जो उधर बैठे हुए हैं, स्वस्थ परम्पराओं की स्थापना की प्रथम जिम्मेदारी उनके ऊपर पड़ी। जो रीति रिवाज, जो तौर-तरीका, जो रवायात ये स्थापित करेंगे उन्हीं पर उनके पीछे आने वाले दलों के लोग भी चलेंगे। इसलिये इस प्रथम ऐतिहासिक जिम्मेदारी से मुकरना उचित नहीं है। इसके लिये पहले पहल उन्हीं के हाथ में सत्ता आयी कि वे नयी और स्वस्थ चीजों को स्थापित करें। लेकिन उधर जो उपेक्षा हुई है पिछले महीनों में जो उसका तिरस्कार हुआ है उससे सचमुच दुख होता है। आज जिस सदन के आप उपाध्यक्ष हैं, क्या विचित्र हाल है उसकी? हमारे सामने दो ऐसे सज्जन बैठे हुए हैं जिनमें एक को जनता ने रिजेक्ट किया और एक को स्वीकार किया और जिसको रिजेक्ट किया, और एक बार नहीं दो-दो बार रिजेक्ट किया वह मुख्य मंत्री हैं और जिनको स्वीकार किया वह विरोधी दल के नेता हैं। और उन्हीं से संतोष नहीं हुआ तो एक और रिजेक्टेड आदमी को यहां लाकर बिठा दिया। एम० एल० सीज० की भरमार है। मैं इसे कोई विधानतः बुरा नहीं मानता, लेकिन क्या यह अच्छा लगता है, क्या कोई बड़ी भारी इन्टरनल क्राइसिस पैदा हो गयी थी, अथवा क्या नेशनल इमरजन्सी पैदा हो गई थी ? अथवा कोई युद्ध काल था ? क्या कांग्रेस दल में और कोई योग्य रह ही नहीं गया था ? मैं एक विशेष नैतिक सूक्ष्म दृष्टिकोण से यह सवाल करना चाहता हूं और चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी या और जो सरकारी नाव के कर्णधार हैं, वे सोचें। मैं समझता हूं कि उस ऐतिहासिक जिम्मेदारी में कांग्रेस असफल रही है।

नयी सरकार आयी, बड़ी-बड़ी आशायें बंधी। आपने अखबार में पढ़ा होगा, देखा तो नहीं होगा, मैंने वह शान देखी थी जब माननीय गुप्ता जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर चुने गये थे। स्टेडियम के सामने जो भीड़ थी, जो उत्साह था, लोगों में चेतना कम है, वह नहीं समझते थे कि जिस पार्टी की सरकार तब थी वही अब भी होगी, लेकिन परिवर्तन चाहते हैं साधारण जन और सोचते हैं कि परिवर्तन अच्छाई के लिये होगा, लेकिन कभी-कभी परिवर्तन बदतरी के लिये हो जाता है। उनके निर्वाचन में एक नयी आशा दिखलायी पड़ी, लेकिन सारी आशायें धूल में मिल गयीं। मुख्य मंत्री होशियार आदमी हैं, पूंजीवाद के नग्न रक्षक हैं, समझ गये इस बढ़ती हुई आशा की बाढ़ को। कुछ नये जोश खरोश में बयानों की भरमार चली। दौरे हुए, कुछ लेक्चर्स आये। इससे जनता की आशा और भी भभकी। लेकिन क्या फायदा हुआ? हमेशा ऐसा होता आया है कि जब जनता की आशायें बढ़ती हैं तो पूंजीवादी नेता पीछे हटते हैं हर जगह ऐसा होता है और यहां भी १९४२ में हुआ है। उन्होंने कह दिया कि पुरानी नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और जो नीति पुरानी है और पहले से चली आ रही है वही जारी रहेगी। इससे सारी आशा पर पानी फिर गया। लेकिन मान्यवर, परिवर्तन जरूर हुआ और वह बदतरी की तरफ हुआ।

एक उदाहरण ले लीजिये। ज्यादा क्या कहूं। आज आपका माध्यमिक शिक्षा संघ कह रहा है कि जो कुछ हमें मिला था वह भी सरकार ले रही है। वह सरकार से दया की भीख मांग रहा है लेकिन ये तैयार नहीं होते हैं। कारण क्या है? सरकार का दल मजबूर है, मुख्य मंत्री जी मजबूर हैं और उनके सहयोगी मजबूर हैं। क्यों? सरकार का वर्ग चरित्र। यह सरकार पूंजीवादी सरकार है। पूंजीवाद परस्ती बढ़ी है, उनके साथ सरकार के सम्पर्क गहरे हुए हैं। सरकार के उनके साथ घनिष्ट संबंध कायम हुए हैं। पुराने समय में भी यह चीज होती थी लेकिन अब उसका नंगा नाच हो रहा है। यही फर्क है। कांग्रेस का पूंजीपतियों से संबंध है और बहुत दिनों से है और इसकी सभी को जानकारी भी है। हमारे मुख्य मंत्री जी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। ३५ लाख रुपया चीनी मिल मालिकों ने पिछले चुनाव में दिया। क्यों दिया? इसलिये दिया कि जब वे लाखों की चोरी करते हैं तो सुई का दान भी करते हैं। ऐसे ही प्रजातन्त्र में पार्टियां खरीदी जा रही हैं और खरीदी जायंगी। हिन्दुस्तान का जन जीवन चौराहे पर खड़ा है, खतरे के कगार पर खड़ा है, और हिन्दुस्तान के पूंजीपति पार्टियों को खरीदेंगे। पार्टियां रहेंगी, उनके नेता रहेंगे, उनके झंडे रहेंगे लेकिन कंट्रोलिंग मशीनरी पूंजीपतियों की रहेगी, जैसे कि फ्रांस में हुआ, अमरीका में हुआ और इंगलैन्ड में हुआ।

मान्यवर, चीनी मिल मालिकों के ऊपर किसानों का ५ करोड़ ७० लाख रुपये का बकाया है। यह १५ रोज में मिल जाना चाहिये था, नहीं तो उस पर साढ़े सात प्रतिशत सूद मिलना चाहिये। लेकिन नहीं दिया गया है। उस दिन माननीय मंत्री जी पहली बार पकड़ में आये और ऐसा उनको मालूम हो रहा था, ऐसा उनको महसूस हो रहा था कि उनको लग रहा है कि लाखों रुपया किसानों को मिलना चाहिये था जो नहीं मिला है, लेकिन वह इवेड कर रहे थे। मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से नवजीवन से कुछ अंश पढ़ना चाहता हूं। यह कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट या जनसंघ अथवा स्वतन्त्र पार्टी का अखबार नहीं है बल्कि यह कांग्रेस का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय दैनिक अखबार है। इसमें लिखा है 'कि गरीब किसान अगर समय पर मालगुजारी नहीं देता तो तहसील में उसे बन्द कर दिया जाता है। पर राज्य सरकार की विशेष कृपा पूंजीपतियों पर रही है और उसने गन्ना किसानों के करोड़ों रुपये के बकाया की वसूली की ओर अभी तक समुचित ध्यान नहीं दिया है। कितने दुख की बात है कि गन्ना किसानों की बड़ी-बड़ी रकमें चीनी मिलों के पास सालों बकाया पड़ी रहती हैं और उन बेचारों को खेती, ब्याह शादी आदि के लिये ऊंचे ब्याज पर दूसरों से कर्जा लेना पड़ता है। राज्य सरकार के अजीबो गरीब रवैये के कारण ही जनता में यह धारणा घर करती जा रही है कि चूंकि मिल मालिक कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिये चन्दे की बड़ी-बड़ी रकमें देते हैं, इसलिये सरकार उनके साथ खास रियायत करती है। कानपुर के मिल-मालिकों से बिजली के बिलों के लाखों

[श्री झारखंडेराय]

रुपये वसूलने में राज्य सरकार ने उतनी तत्परता से काम नहीं लिया जितनी तत्परता से वह भूमिधरों से मालगुजारी वसल करती है।" मान्यवर, यह कांग्रेस के अखबार का अभिमत है।

अब मान्यवर, प्राइस-पालिसी को लीजिये। यह विडम्बना नहीं है कि चीनी का स्टाक बहुत हो गया है देश और प्रदेश में और इसी आड़ में मुख्य मंत्री और उनकी सरकार यह कहती है कि वह किसानों को पैसा नहीं दे सकते, लेकिन दाम भी चीनी का नहीं घटा है वह बढ़ा ही है। यह भाग्य की विडम्बना नहीं है। यह कैपिटलिस्ट सरकार की प्राइस-पालिसी है। वही उसको मजबूर कर रही है कि स्टाक भी ज्यादा हो और दाम भी ज्यादा हो और गरीब आदमियों को चीनी भी न मिले।

मान्यवर, अब मैं नागपुर के प्रस्ताव पर आता हूं। उसका जो बड़ा ढोल पीटा गया था, वह भी खत्म हो चुका है। टोटल पूंजीवादी नीति सरकार की जो रही है उसका फल यह हुआ है कि गरीब और अमीर का अन्तर देश और प्रदेश के अन्दर बढ़ गया है। आज कानपुर के अन्दर एक अनस्किल्ड (unskilled) लेबर की मजदूरी १२ आना रोज है और उसी कानपुर नगर में प्रथम श्रेणी के पूंजीपति पद्मपत सिंहानिया की आमदनी ५० हजार रुपया रोज है, टाटा नगर में एक अनस्किल्ड लेबर की तनख्वाह एक रुपया रोज है और वहीं टाटानगर के टाटा साहब की आमदनी २ लाख रुपया रोज है। हमारे देश के वजीर आजम साहब बड़े दुख के साथ लोक सभा में कहते हैं, एक दिन उन्होंने कहा था कि हमारे देश की आमदनी ४० प्रतिशत बढ़ गयी लेकिन वह कहां गयी? मालूम होता है कि जैसे उनको ज्ञान ही न हो, मासूम बच्चे हैं। मैं कहता हूं कि उसका अधिकांश चन्द पूंजीपतियों के हाथों में चला गया है। एक उदाहरण—आज टाटा-बिरला की जानी मानी टोटल पूंजी साढ़े सौ करोड़ है। यह तो जानी मानी है, जो चोरी की है उसकी तो कोई थाह नहीं है।

गेंदासिंह जी ने अभी कहा था कि हमारे प्रदेश की स्थिति सबसे पिछड़ी हुई है। इसे सरकार ने स्वीकार किया है। मद्रास से पीछे, पंजाब से पीछे, राजस्थान से पीछे और यहां तक कि मध्य प्रदेश जो भारत में सबसे पिछड़ा हुआ है उससे भी पर-कैपिटा इन्मकम की बढ़ती में पीछे है, मद्रास का नम्बर चौथा है। गत १० वर्षों में मद्रास की पर-कैपिटा आय ३८ फीसदी बढ़ी है। यह भारत की औसत प्रति व्यक्ति बढ़ी आय ३० प्रतिशत से भी ज्यादा है। हमारी पर-कैपिटा इनकम घटी है। अब ऐसी हालत में इस नीति के मातहत, इस व्यवस्था के चलते हुए समाजवाद का नारा बिलकुल धोखा है, जनता को बेवकूफ बनाने का तरीका है।

मान्यवर, सरकार की बड़ी नीतियों में केवल एक नीति की चर्चा करूंगा और वह है कृषि नीति, क्योंकि थर्ड प्लान में भी पुनः उसी पर जोर दिया गया है और यह कहा गया है कि कृषि और इंडस्ट्री पर बराबर जोर दिया जायगा लेकिन क्या लैन्ड मानोपली को बगैर तोड़े हुए कृषि उत्पादन में बढ़ती संभव है? मेरा विश्वास नहीं है। जब मैं बैठ जाऊंगा तो माननीय कृषि मंत्री चरण सिंह जी बैठे हुए हैं वह जबाब देंगे। वह आंकड़ों का अम्बार लगा देंगे लेकिन सत्य सत्य ही रहेगा, उसको महसूस करना ही पड़ेगा।

श्री चरणसिंह—और आप बिना आंकड़ों के बोलते जायंगे।

श्री झारखंडेराय—मैं बीच में बोलने का आदी नहीं हूं। जो आपके भाषण के बीच में बोला करते हैं उन्हीं के बीच में बोला कीजिये। मैं नैनीताल तराई भावर की एक मिसाल देता हूं। वहां ५ हजार एकड़ के बड़े ३ फार्म हैं, १ हजार एकड़ से ५ हजार एकड़ तक के १२ फार्म्स हैं, ५ सौ से १ हजार एकड़ तक के ढाई सौ फार्म्स हैं और एक सौ से ५ सौ तक के १,००० फार्म्स हैं, यह मेरी जानकारी है, अगर गलत हो तो

मंत्री जी ठीक कर देंगे इन फार्मों को तोड़े बगैर, और किसानों के हाथ में दिये बगैर कैसे मुल्क की पैदावार बढ़ेगी कैसे कोई कृषि नीति सफल होगी यह बात समझ में आती नहीं है। अधिक अन्नोत्पादन के लिये १ हजार करोड़ रुपया खर्च किया गया है देश भर में। लेकिन क्या उतना अन्न पैदा हुआ जितने की जरूरत है ? जबाब नहीं है। जो प्रमुखतम आवश्यकता है कपड़े से पहले, दूध से पहले, मकान से पहले, दुनिया की सारी चीजों से पहले, अन्न की है जब वह भी चीज हमें नहीं मिल पाती है जब उसकी भी समस्या हल नहीं हो पायी है तब कैसे विश्वास किया जाय सरकार की इस पूंजीपति व्यवस्था पर ? मुख्य मंत्री ने स्वयं एक वक्तव्य में स्वीकार किया है कि हदबन्दी कानून से बहुत थोड़ी जमीन निकलेगी। यह ज्ञात है कि भारत के पास खेती योग्य जमीन विश्व में सबसे ज्यादा है।

भारत	..	..	..	..	४१ प्रतिशत
इन्डोनेशिया	..	..	..	..	२९ प्रतिशत
अमरीका	..	..	..	..	१४ प्रतिशत
कनाडा	..	..	..	..	१४ प्रतिशत

मान्यवर, अभी खेत मजदूर सलाहकार समिति की पहली बैठक में भाषण करते हुए योजना आयोग के मेम्बर श्रीमन्नारायण अग्रवाल ने कहा था कि "भूमिहीन खेत मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुए बिना समाजवादी समाज की कल्पना का सत्य साकार नहीं हो सकता।" सही बात है। लेकिन उनके साथ आज क्या व्यवहार हो रहा है ? एक नमूना लीजिये। लखीमपुर खीरी जिले में हजारों पूरब के लोग भागकर गये हैं या दरख्वास्त देकर गये हैं, वहां बसे हुए हैं, सड़कों के किनारे बसे हुए हैं। मजदूरी करते हैं फसल के मौके पर। उन्होंने मांग की कि १५ सौ एकड़ जमीन जो काश्त लायक है उनको दे दी जाय। लेकिन नहीं। वह फारेस्ट डिपार्टमेंट को दी जा रही है। मैं पूछता हूं कि क्या फारेस्ट रेलवे के किनारे जो जमीन पड़ी हुई है वहां नहीं लग सकता है ? जो जमीन गांवों के बीच बीच में सौ-सौ, डेढ़-डेढ़ सौ या दो-दो सौ एकड़ बिखरी पड़ी हुई है जिसको उन्हें देकर हजारों लोगों के मुंह में अन्न दिया जा सकता है, उसको उनसे क्यों छीना जा रहा है ? उसके लिये दरख्वास्तें दी गई, डेपुटेशन मिला, प्रदर्शन हुए, अनशन हुए, सत्याग्रह हुए, साढ़े तीन सौ हिस्सा लिया। उसमें से सवा सौ जेल गये। एक आदमी जेल में मर गया। आज उनके वहां से छूटने के बाद कुर्की हो रही है, जप्ती हो रही है, नीलामी हो रही है। यह सरकार भूमिहीनों के साथ न्याय का बर्ताव कर रही है और यह है भूमि सम्बन्धी सरकार की नीति जिसके ऊपर वह आशा करती है कि हम अपने देश की अन्न समस्या का समाधान करेंगे। अब तक की भांति निराशा ही मिलेगी।

कमखर्ची का ढोंग—मैं वह आदमी हूं, आपको याद होगा, माननीय मुख्य मन्त्री जी बैठे हुये हैं, मैंने यह कहा था कि यह जो एकोनामी ड्राइव है मैं उसका स्वागत करता हूं, उसकी प्रशंसा करता हूं। यह मेरे शब्द हैं, मैंने यह भी कहा था, अवस्थी जी बोल रहे थे उस समय, एक-एक पैसा अगर बचता है, एक-एक नया डबल भी तो वह स्वागत करने योग्य है। लेकिन मुझे यह डर था उस वक्त भी कि कहीं यह बहाना न हो किन्हीं अन्य चीजों को करने का। और वही हुआ। यानी ताज्जुब है कि दो रोटी और एक कटोरी दाल गरीबों का छीनकर सरकार एकोनामी ड्राइव कर रही है। मैं तो चाहूंगा, अभी माननीया सुचेता जी ने भाषण दिया है, उन्होंने कुछ चीजों को चैलेंज किया है, मैं नहीं मानता हूं उस बात को लेकिन मैं चाहूंगा कि जो प्रमुख प्रवक्ता उधर के बोलें वह इस बात को साफ करें कि क्या सचमुच तीन हजार चपरासी निकाले जाने वाले नहीं हैं या निकाले नहीं जा चुके हैं ? क्या यह सही नहीं है कि दस हजार लो पेड इम्प्लायीज की सर्विसेज आज खतरे में पड़ी हुई हैं जिनमें ७५ प्रतिशत अभी तक टेम्पोरेरी हैं ? क्या यह सही नहीं है कि ऊंचे-ऊंचे पदों को कमखर्ची के लिये नहीं समाप्त किया जा रहा है ? बल्कि उनमें कुछ बढ़ती हो रही है ? क्या यह सही नहीं है कि ९ डी० आई० जी० की जगह पर १२ डी० आई० जी० हो गये हैं ? क्या यह सही नहीं है कि इसी एकोनामी

[श्री झारखंडे राय]

ड्राइव के नाम पर साढ़े चार सौ करोड़ नया टैक्स इस साल बढ़ा है ? सवा दो करोड़ सिंचाई छूट मंसूख कर दिया गया है? क्या यह सही नहीं है कि ८० करोड़ रु० के नये टैक्सों की सम्भावना के सम्बन्ध में एक घोषणा एन० डी० सी० की मीटिंग से लौटने के बाद गत २ जून को माननीय मुख्य मन्त्री ने की थी ? क्या यह सही नहीं है कि मन्त्रिमण्डल का विस्तार हो रहा है ? जब पैसे बचाने की बात कर रहे हैं, एक-एक नये डबल बचाने की चल रही है, तब यह विस्तार क्यों ? यह एम० एल० एज० रहने पर क्या भूखों मर रहे थे ? मैं नहीं मानता माननीय गोविन्द सहाय जी के तर्क को। बिल्कुल लचर दलील है कि काम ज्यादा है। अब तक कैसे काम चलता था ? (व्यवधान)। वह और भी गलत है और आदर्श भी भ्रष्ट है। यह एक नयी कैटेगरी अब और बन गई है। अब तक चार खम्भे ही थे सरकार के अब एक पांचवां और बन गया है---स्टेट मिनिस्टर विद कैबिनेट रैंक, यह एक नयी कैटेगरी और निकल आयी माननीय गुप्ता जी के दिमाग से जो कि बहुत उर्वर है। मिनिस्टरों के निरुद्देश्य दौरे हो रहे हैं, पार्टी के काम के लिये, चुनावों के लिये बहाना बनाकर जिलों में मिनिस्टर जाते हैं। इसकी पूरी जांच की जाय। मैं कहना चाहता हूं, एकोनामी ऐसे नहीं होती। पैसा ऐसे नहीं बचेगा। हम भी चाहते हैं कि पैसा बचे। लेकिन उसके तरीके और हैं। देश के पैमाने पर और प्रदेश के पैमाने पर जब मैं बात करता हूं तो मेरे दिमाग में यह बात नहीं रहती कि यहां की आज की सरकार से ही मेरा मतलब हो। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी चीफ मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस में बैठते हैं, माननीय मुख्य मन्त्री जी दिल्ली में वजीरे आजम से भी बात करते हैं, एन० डी० सी० की मीटिंग में भी बैठते हैं जहां पूरा विचार विनिमय होता है। अतः जब मैं बात करता हूं तो पूरी कांग्रेस गवर्नमेंट की बात करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि क्या कमिश्नर के पद, जिसका चर्चा किया गया है, वह खत्म नहीं किये जा सकते ? क्या विधान परिषद्, जो एक बेकार की संस्था है, जनता पर बोझा है, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता ? मैं पूछना चाहता हूं कि गवर्नर का पद, जो एक अलंकार-युक्त स्थान है, जिसका कोई अर्थ आज के प्रगतिशील समय में नहीं है, खत्म नहीं किया जा सकता ? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या रूलिंग प्रिन्सेज के प्रीवि पर्स को बन्द नहीं किया जा सकता ? जो उड़ीसा की सरकार ने कदम उठाया है वह दूसरी सरकार नहीं उठा सकती है ? अगर हमारी सरकार ऐसा करेगी तो हम उसका स्वागत करेंगे और हम उसका साथ देंगे।

जो सरकारी कर्मचारी रिटायर होते हों हम चाहते हैं कि उनके लिये नियम बनायें जायं। जो नियम हैं उनमें परिवर्तन किया जाय कि जो रिटायर हों उनको दूसरी जगह सर्विस करने के लिये रोका जाय। इससे बेकारी कम होगी। अगर वे दूसरी जगह सर्विस करते हैं तो कम से कम उनके लिये पेन्शन देना बन्द कर दिया जाय, इससे पैसा बचेगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो ; आयात निर्यात का राष्ट्रीयकरण हो जाय तो हमारे देश की इस से १,५०० करोड़ रु० की आमदनी बढ़ेगी और उसमें हमारे प्रदेश को भी हिस्सा मिलेगा। इन्कम टैक्स की बात को मैं दोहराता हूं उससे १०० करोड़ रु० की आय बढ़ेगी, अपव्यय को सख्ती से रोक कर अपार जनशक्ति का सदुपयोग किया जाय। प्रदेश में बिजली, चीनी और सूती उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की नीति यदि नहीं बरती गई तो पूरा देश हमेशा विदेशी सहायता के ऊपर और जनता की गाढ़ी कमाई के ऊपर टैक्स भार पर ही निर्भर रहेगा, अन्य उपाय दिखाई नहीं देगा।

माननीय अलगूराय जी शास्त्री ने गुटबन्दी का जिक्र किया। उस चर्चा में रूस की पार्टी के बोलशेविक और मेन्शिविक का भी जिक्र किया गया। उनको मालूम होना चाहिये कि वह सिद्धांत, आदर्श एवं कार्यक्रम का मतभेद था। मैं पूछना चाहता हूं कि आदर्शविहीन, सिद्धांतहीन कार्यक्रम, मतभेद, अनैतिक संघर्ष से उसकी क्या तुलना ? अच्छा होता कि कांग्रेस दलबन्दी, व्यक्तियों की खींचतान और आरोपों-प्रत्यारोपों से ऊपर उठकर कुछ सिद्धांतों, आदर्शों या कार्यक्रम का सहारा लेती। पूरे झगड़े में न कहीं समाजवाद का नाम आता है, जिसे कांग्रेस पार्टी ही नहीं, देश की सब से बड़ी व्यवस्थापिका सभा 'संसद' अंगीकर कर चुकी

है । सीलिंग, सहकारी खेती, मजदूरों–किसानों की समस्या में, राष्ट्रीय नीति और अन्तर्राष्ट्रीय नीति पर कभी कोई चर्चा आती तो हम उसका स्वागत करते, लेकिन केवल सड़ी-गली बातों को लेकर झगड़ा होता है, यह दुख की बात है ।

अन्त में मैं यह कह कर समाप्त करता हूं कि सत्ता का दुरुपयोग बहुत हुआ । उसका जिक्र अब मैं नहीं करना चाहता । केवल यह बात कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश के मुख्य मन्त्री वन मैंन्स रूल, डिक्टेटरशिप यहां पर कायम कर चुके हैं । अन्य मन्त्रियों के कामों में हस्तक्षेप करते हैं । यह मलिहाबाद के दरोगा के ट्रान्सफर के विषय में साबित हो चुका है । जिस ट्रान्सफर के विषय में डी० एस० पी०, एस० पी०, डी० आई० जी०, आई० जी० और मिनिस्टर की एक राय रही हो, लेकिन मुख्य मन्त्री राजनैतिक गुटबन्दी के कारण उसमें हस्तक्षेप करते हों, तो यह ऐसी गुटबन्दी है जो जनतन्त्र की हत्या कर देगी ।

*श्री चरणसिंह––उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । पेश्तर इसके कि कुछ और अर्ज करूं माननीय झारखंडेराय जी को बधाई देना चाहता हूं । वह इस देश और प्रदेश के अन्दर जो स्थिति पैदा करना चाहते हैं और उस स्थिति को नजदीक लाने के लिये जो एक कदम वह उठा सकते थे, वह यह कि दूसरे दोस्तों को इसमें शामिल कर लिया जाय, उसमें उनको जो कामयाबी हुई है उसके लिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मंशा कहने की यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी यह चाहती है कि इस देश के अन्दर पोलिटिकल इन्स्टैबिलिटी हो जाय और अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो कम्युनिस्ट पार्टी के हमेशा के लीडर, माननीय झारखंडे राय जी जानते हैं कि कोई अपोजीशन यहां स्टैबिल गवर्नमेंट नहीं बना सकता । तो यह प्रस्ताव जो वह लाये हैं और जिस तरह से उन्होंने अन्य माननीय मित्रों को इसमें शामिल कर लिया है, उसमें मैं दूसरों के लिये कुछ नहीं कहना चाहता कि उनकी मरजी थी या नहीं थी, लेकिन उन के दिल में जो उद्देश्य रहा इसका, उसमें वह जरूर कामयाब हुए और इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं ।

अभी उन्होंने अपनी स्पीच दी और उसे एक बड़ी भावनात्मक बात से शुरू किया । गाजीपुर की नाव दुर्घटना में जो लोग मर गये उनकी लाशें माननीय झारखंडे राय जी के और इस गवर्नमेंट के बीच में हैं । वह एक ठेकेदार का इन्तजाम था और वहां उसके इन्तजाम में नाव दुर्घटना हो गयी । लफ्ज दुर्घटना जो उन्होंने इस्तेमाल किया उस से ही यह बात साबित होती है कि वह एक एक्सीडेंट था, कोई उस के लिये इरादा नहीं था । गवर्नमेंट की अगर जिम्मेदारी है तो बहुत दूर की, लेकिन उनकी लाशें हमारे और उन के बीच में हैं और आज वह उनको दिखाई देती हैं । उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन मुझे और लाशें भी दिखाई देती हैं अपने और उनके बीच में । मुझे तैलंगाना की लाशें भी अपने और माननीय झारखंडेराय जी के बीच में दिखती हैं, केरल के गैरसार्वजनिक कार्यकर्ताओं की वह लाशें भी हमको दिखायी पड़ती हैं कि जिन के लिये कभी कोई मुकदमा नहीं चलाया गया । उपाध्यक्ष महोदय, मुझ को अपने और माननीय झारखंडे राय जी के बीच में प्रस्ताव भी याद आता है जो सन् १९४९–५० में दुनिया के सब देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों ने पास किया था और इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी ने भी वह रेजोल्यशन पास किया था कि अगर भारतवर्ष पर यू० एस० एस० आर० का आक्रमण होगा तो हम अपने फादर लैंड यू० एस० एस० आर० का साथ देंगे । और उपाध्यक्ष महोदय, मेरे और हिन्दुस्तान की सारी कांग्रेस पार्टी के और उसकी गवर्नमेंटों के बीच और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में वह हमदर्दी जो कि कम्युनिस्ट पार्टी और माननीय झारखंडे राय जी को चीन के प्रति है वह भी खड़ी हुई है, वह भी हम नहीं भूलेंगे । लिहाजा, कुछ कहना है, जरूर कहिये और ठंडे दिल से कहिये और गलतियां हमारी होंगी और गलतियां बहुत सी हैं और उनको हम खुशी से स्वीकार भी कर लेंगे, लेकिन आप यहां व्याख्यान देने खड़े हुए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चरण सिंह]

हैं और उसमें आपको और कोई लाशें याद नहीं आयीं, याद आयी उन लाशों की जो दुर्घटना-ग्रस्त अनफार्चुनेट कुछ लोग थे उनकी, इस पर मुझे एतराज है और इसी पर मुझे यह बातें कहनी पड़ी ।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मित्र ने एक बात यह कही कि जितना कर्जा भारतवर्ष को बाहर से मिला है उतना शायद ही किसी देश को दुनिया में मिला हो । अगर मेरे कानों ने धोखा नहीं दिया तो उन्होंने यही बात कही थी । मैं उनकी याद ताजी कराना चाहता हूं । वे आंकड़े मंगा लें कि यू० एस० एस० आर० ने यू० एस० ए० से १९२०–२१ के बाद कितना कर्जा लिया था और उस रूस ने, जिस के पास प्राकृतिक साधनों का उसकी आबादी को देखते हुए बाहुल्य है, तो वह अधिक बैठेगा हमारे इस कर्जे के मुकाबले में । एक बात और, कि आपने पता नहीं किन सज्जन का नाम ले लिया कि उनकी आमदनी ५०,००० रु० की है, ठीक है, होगी । यह भी ठीक है कि हिन्दुस्तान की आमदनी नहीं बढ़ रही है उस तेजी के साथ जिस तेजी के साथ उसे बढ़ना चाहिये । आर्थिक विकास जिस तेजी से होना चाहिये वह नहीं हो रहा है और जो सपने हम देखते थे अंग्रेजों के जमाने में वह उस तरह से पूरे नहीं हो पा रहे हैं । गरीबी है भारतवर्ष में और यह भी मैं मानता हूं कि इन्कम में डिस्पैरिटी भी है, लेकिन जहां इतनी डिस्पैरिटी है और इतना अन्तर है और कुछ लोग लखपती भी हैं और कुछ करोड़पती भी हैं, वहां वे अपनी ९० फी सदी आमदनी इन्कम टैक्स में भी देते हैं, उनको देना पड़ता है । लेकिन जब व्याख्यान दिये जाते हैं तो और देशों के ही गीत गाये जाते हैं और उन्हीं के स्वप्न यहां देखे जाते हैं । अब मैं माननीय झारखंडे राय जी की जानकारी के लिये उन्हीं देशों के बारे में कुछ आंकड़े देना चाहता हूं, अंग्रेजी में है, एक अखबार का थोड़ा-सा अंश पढ़ कर सुनाता हूं---

"....Andre M. Timoshenko, charged 'Affairs of the Soviet Embassy in Bonn, recently delivered a speech at the Munich 'Politechnic.' The purpose of his lecture was to defend the thesis that the Soviet system enables the working class to raise its standard of living.

His listeners learned that a new class of millionaires had come into being in the Soviet Union. In the year 1940 there were only two. In 1954 this figure had increased to 980, and currently it stands at 2,000 (of whom some 780 are multi-millionaires)....."

यानी वहां पर टिमोशेंको साहब ने अपनी स्पीच में यह कहा कि वहां पर एक नया वर्ग पैदा हो गया है, अर्थात् लखपतियों और करोड़पतियों की संख्या बढ़ रही है । १९४० में वहां केवल २ लखपती ही थे, १९५४ तक यह संख्या बढ़ कर ९८० हो गयी और सन् १९६० में करीब २ हजार हो गयी जिसमें कि ७८० करोड़पति हैं । यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात जो इस अखबार में निकली है, जो टिमोशेंको साहब ने अपने भाषण में कही है, उसे कह रहा हूं । यहां यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि यह केवल हमारे यहां ही है, यह कह कर यहां की जनता को धोखा दिया जा रहा है, यहां पर यह कहा जाता है कि अगर कहीं स्वर्ग है तो वह वहीं है, यह इस देश की जनता के साथ बहुत भारी धोखा है । आप लोग यह कह कर जनता के अज्ञान का फायदा उठाना चाहते हैं । जब बार–बार आप उन झूठी बातों को दोहरायेंगे तो अन्त में जनता उस पर विश्वास भी कर सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, तराई फार्म की बात कही गयी । ५ हजार एकड़ के उन बड़े फार्मों की संख्या, मेरे खयाल में, २ की थी, लेकिन मैं ४ मान कर चलता हूं बहस के लिये । मैं यह पूछना चाहता हूं कि वह जमीन कब दी गयी ? उपाध्यक्ष महोदय, वह जमीन सन् १९३७–३८ में दी और दो साहबान को सन् १९४७–४८ में । वहां पर जंगल खड़े हुए थे और जंगली जानवर वहां पर घूमा-फिरा करते थे । सरकार यह चाहती थी कि कोई साहब ऐसे सामने आयें जो उस जमीन को ले सकें और उसको डेवलप कर सकें । उस

समय वहां जंगल ही जंगल थे। तो जिन दो-तीन फार्मों का जिक्र किया गया है वह उस जमाने के हैं जिन लोगों के पास साधन थे, पैसा था, उन लोगों ने उसको लिया और उसको डेवलप किया। यह नहीं कि सरकार ने उन लोगों को फार्म आज कल में ही दिये हों, और उनको देकर गरीबों को जमीन न दी हो या उनके हक को मारा हो। यहां इस सम्बन्ध में जो भी बातें रखी गयी हैं वह महज जनता को धोखा देने के लिये हैं। मैं जानता हूं कि कोई उस पर यकीन नहीं कर सकता, यह महज डिबेटिंग प्वाइंट के लिये कह रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात, "ग्रुपिज्म इन कांग्रेस" के बारे में पालीवाल जी और अन्य दोस्तों ने भी कही उसका जवाब गोविन्द सहाय जी और बहिन सुचेता काफी दे चुकी हैं। मुझे तो एक-दो बात कहनी है और मुमकिन है कि वह बात रिपीटीशन में हो। कांग्रेस का खानदान बड़ा है। जिस घर में १० लड़के होते हैं और १५ पोते होते हैं उनमें से बहुत से बाप के सामने ही अलग हो जाते हैं, गुटबन्दी हो जाती है। गुटबन्दी न हो, यह उद्देश्य है बूढ़े का जरूर और फेमिली के बड़े भाइयों की कोशिश भी यही होती है। जायदाद पर गुटबन्दी होती है; जायदाद आदमी की कमजोरी है। यह मुझे तसलीम है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, अब छोटे और बड़े भाई जो सामने बैठे हैं माननीय त्रिलोकी सिंह जी और गेंदा सिंह जी, तो खानदान बहुत छोटा है, बहुत छोटा है!! जायदाद बिल्कुल पास नहीं है। जायदाद की तलाश में हैं। जायदाद जो छीनने चले हैं दूसरों की, उन्हें तो कन्धे से कन्धा मिला कर चलना चाहिये था, लेकिन नहीं, उस उम्मीद में कि जब जायदाद आ जायगी तो मिलेगी, उसके पहले ही लड़े बैठे हैं (हंसी)।

मैंने पढ़ा यह है कि देहली बुलाकर कोशिशें होती हैं फैसले की। अशोक मेहता दिल्ली से इसके लिये आ चुके हैं, आ रहे हैं या आने वाले हैं फैसला कराने के लिये (व्यवधान)।

हो सकता है कि देहली न गये हों और अशोक मेहता न आते हों, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ग्रुप्स हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा कौन-सी अनहोनी बात हुई है कांग्रेस के अन्दर? जब मैं पढ़ता था दर्जे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में तो डेमोक्रेसी पर एक पैम्फलेट मिल गया, जिसमें लिखा था कि-- हर एक जनतांत्रिक दल में ग्रुप्स होते हैं, लेकिन चूंकि पार्टी के बाडर प्रिंसिपिल्स एक होते हैं तो वह परसनालिटी के राउंड रिवाल्व करने लगते हैं, यह सच्चाई है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसा कि बहिन जी ने कहा था कि इस प्रकार के ग्रुप्स कांग्रेस के अन्दर हों, यह अफसोस की बात है, शर्म की बात है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पर जो माननीय मित्र इससे फायदा उठाना चाहते हैं और इसीलिये इसका जिक्र करना चाहते हैं, वह गैर-मुताल्लिक है। पालीवाल जी शायद इस बात को समझते थे कि उनके झगड़े से हमको क्या वास्ता? तो उन्होंने इसको यों कहने की कोशिश की कि उसका असर एडमिनिस्ट्रेशन पर हो रहा है, और जो मिसाल देने के लिये चले तो एक तो बलदेव सिंह जी के मुकदमे की दे दी, लेकिन मैं तारीख पूछ बैठा तो मालूम हुआ कि १९५८ का केस था, बात बिगड़ गयी। माननीय पालीवाल जी ने वादा किया था जब खड़े हुए बोलने के लिये कि मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जो आठ महीने से पहले की हो। वह पहले की निकली। फिर उससे कांग्रेस के भीतर ग्रुप्स से क्या वास्ता? तीसरी बात यह है उस सिलसिले में कि यह उस जमाने की बात है जब माननीय बलदेव सिंह कांग्रेस में नहीं थे। उस वक्त जब उनकी बेल की एप्लीकेशन हाई कोर्ट में थी तो हमने इंस्ट्रक्शन्स यहां से दिये पुलिस को कि तुम उसको अपोज मत करो और इस पर कास्टिक रिमार्क भी जज ने गवर्नमेंट के खिलाफ दिया। तो महज हमदर्दी के खयाल से एक नान-कांग्रेस मैन के लिये भी हमने वह किया, कांग्रेस का मामला नहीं था।

[श्री चरण सिंह]

एक बुजुर्ग भाई, पालीवाल जी ने यह बात भी कही कि वायरलेस मैसेजेज और सुपरिंटेंडेंट पुलिस इत्यादि को इस्तेमाल किया गया । उन्होंने जो इशारा किया था अजीतप्रसाद जैन जी की तरफ, वह शायद गलत था, यह उन्होंने माना, लेकिन उन्होंने इस बात का प्रदर्शन किया है कि इनका इस्तेमाल जरूर हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस वक्त वे यह बात कह रहे थे, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के पास बैठा हुआ था । मैंने सोचा कि मैंने तो भेजा नहीं, यह पुलिस का मामला है फिर गया कैसे ? मैंने उनसे पूछा कि आपने तो नहीं भेजा । उन्होंने कहा कि मैंने तो नहीं भेजा, फिर मैंने मंगला प्रसाद जी से पूछा जो कि उस वक्त लोकल सेल्फ विभाग के मिनिस्टर थे, उन्होंने भी कहा कि उनसे भी ऐसी गलती नहीं हुई । तो ऐसा नहीं किया गया कि अन्तरिम जिला परिषद् के संबंध में पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट की मार्फत कोई इस प्रकार का मैसेज भेजा गया हो । हमारी जानकारी में तो यह बात हुई नहीं, लेकिन अगर फिर भी हुई तो माननीय पालीवाल जी बतायें, अगर गवर्नमेंट की ओर से ऐसी गलती हुई होगी तो हम उसको मान लेंगे कि बेशक यह गलती हुई ।

अलीगढ़ का बहुत जिक्र किया गया । यह ठीक है कि अलीगढ़ के मुताल्लिक मैंने कुछ बयान दिया था । (एक सदस्य---उरई के बारे में क्या हुआ ?) उरई के बारे में भी बतलाऊंगा और जो मकतूल था, उसी के लड़के ने जो बयान दिया, उसी को बताऊंगा । आप बेसब्र क्यों हो रहे हैं ?

अलीगढ़ की बात मैंने कही और मैंने यह कहा था एक सप्लीमेंटरी के जवाब में कि कांग्रेसमैनों का संबंध उन कत्लों से नहीं था लेकिन उनके आपसी डिफरेंसेज इस हद तक पहुंच गये हैं और ऐसा वातावरण पैदा हो गया है जिसमें क्राइम पासिबिल हो सकते हैं (एक सदस्य---अब बदले ।) कम से कम मैंने तो यही देखा । मैंने अखबार में जो रिपोर्ट देखी उसमें मैंने यही पढ़ा कि पार्टी के ग्रुप की वजह से ५४ मर्डर्स हुये । अब इन अखबार वालों की माया तो वही जानें । मैंने यह कहा था कि ४६ मर्डर्स हुये ३० जून तक, जिनमें ८ और बढ़ गये । ३ गांव पंचायतों के इलेक्शन्स की वजह से, चौथा हसायन का और ४ और । अब मेरी समझ में यह नहीं आया कि मैंने यह कब कहा कि ग्रुप राइवलरी की वजह से ये मर्डर्स हुये या पोलिटिकल क्राइम्स अलीगढ़ में बढ़ रहे हैं । ५ मर्डर्स अलीगढ़ में ऐसे हुये जिनको कहा जा सकता है कि वे इलेक्शन्स की वजह से, जो आपस में इख्तलाफ बढ़ गया उसकी वजह से, हुये । अब मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि गांव पंचायतों का जो चुनाव होता है उसमें रंजिश की वजह से जो मर्डर्स होते हैं उनको क्या कहा जायगा पोलिटिकल मर्डर्स ? यदि उनको पोलीटिकल मर्डर्स कहा जाय तो यही ५ मर्डर्स हैं, लेकिन वे कांग्रेसमैनों की पार्टीबाजी से हैं ऐसा मैंने नहीं कहा । हां, अगर पार्टीबाजी न होती और एक मत से सारे कांग्रेसमैन चलते तो अलीगढ़ ही में नहीं बहुत-सी जगहों में और ज्यादा सुधार हो सकते थे । इसमें अलीगढ़ जिला भी एक है । लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि कांग्रेसमैन सारे मर्डर्स को करा रहे हैं । यही मेरी उस से मंशा थी ।

अब ३-४ मर्डर्स को कहा जाता है कि पोलीटिकल मर्डर्स हुये । एक तो लखनऊ का बल्ली सिंह का मर्डर कहा जाता है और दो कानपुर के तथा एक औरैया का । जहां तक बल्ली सिंह के मर्डर का ताल्लुक है वह मड़ियाहूं तहसील का है जो २० मई को हुआ । उन लोगों में बड़ी भारी रंजिश थी। २० मार्च को बल्ली सिंह ने सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को एप्लीकेशन दिया कि शायद मेरा मर्डर हो जाय, इसलिये मेरी हिफाजत की जाय । पहली अप्रैल को मुझे दिया, मैंने पहली अप्रैल को ही उसे एस० एस० पी० के पास भेज दिया कि वे इसे देखें । ७ अप्रैल को फिर उसने एप्लीकेशन दिया और मैंने उसी दिन उसे फिर एस० एस० पी० के पास भेज दिया कि वे इसे देखें । लेकिन वहां के सेकेंड आफिसर ने जो दफा १०७/११७ का चालान रिपोर्ट तैयार किया, वह २२ अप्रैल को और अदालत में उस चालान को भेजा २० मई को, जिस रोज यह मर्डर हो गया । तो यह मुझे तसलीम है कि यह हमारे पुलिस की गफलत से हुआ, लेकिन तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि ११७ की कार्यवाही हो जाने से वह बच जाता, लेकिन जो कार्यवाही वहां होनी चाहिये

थी वह नहीं की गई । लेकिन क्या पुलिस गलती नहीं कर सकती है ? जिस रोज उस मर्डर की तरफ मेरा ध्यान दिलाया गया उसी रोज उस सेकेंड आफिसर का ट्रांसफर कर दिया गया और ए० पी० पी० के दफ्तर में जो देरी हुई उसकी इन्क्वायरी की ।

यह कहा जाता है कि कानपुर में दो पोलीटिकल मर्डर हुये । पहले सवालों में भी बतलाया गया था कि इन दो मर्डर्स में एक आदमी तो कांग्रेसमैन था और एक एस० पी० का था, अगले रोज ही यह बतला दिया गया था कि यह सही है कि एक आदमी कांग्रेसी थे और दूसरे एस० पी० के थे, लेकिन इस तरह के मर्डर में एक दूसरे का कोई वास्ता नहीं था । पालीटिक्स से उसका कोई सम्बन्ध नहीं था । (लाल बत्ती जलने पर) ।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ५–७ मिनट तो समय दे ही दें ।

श्री उपाध्यक्ष—चौधरी साहब, मैंने किसी को भी अधिक समय नहीं दिया है, इसलिये आपको भी अधिक समय नहीं दे सकता हूं । आपके केवल दो मिनट हैं ।

श्री चरणसिंह—तो आपकी इजाजत से मैं उरई का केस जरूर बतला देना चाहता हूं, जो मर्डर कि एक कांग्रेस मैन का हुआ । कुछ दिन पहले जो कि मुलजिम हैं इस केस के उन्होंने अटैक किया था इसी कांग्रेस मैन पर । उन पर मुकदमा चला, कई साल हुए । तीन साल पहले उन्होंने अटैक किया था और उनको ६ महीने की सजा हुई । दफा १०७ और ११७ का केस चला और फिर उसी मुलजिम पर मर्डर का केस चल रहा है । यह सही है कि कांग्रेस मैन से उनकी पुरानी रंजिश थी लेकिन इससे यह नहीं कहा जा सकता कि यह पोलिटिकल मर्डर था । प्रताप सिंह का मर्डर पोलिटिकल नहीं था । श्री प्रताप सिंह के पुत्र श्री कृष्णस्वरूप ने जो रिपोर्ट लिख कर भेजी है उस रिपोर्ट के लफ्ज हैं—

"मेरे पिता जी से जगदीश सिंह व समरथ सिंह व रामशंकर से फौजदारी व खेतों की बाबत मुकदमें चल रहे हैं । केदारनाथ व उनके भाई रामेश्वर दयाल में जमीन की बाबत मुकदमाबाजी हो रही है, जिसमें पिता जी रामेश्वर दयाल के मुख्तार व पैरोकार खास थे । महताब सिंह रामशंकर का रिश्तेदार व केदारनाथ का दोस्त है । मेरे भाई ने भी एक मुकदमा मुलजिमान पर अदालत में दायर कर रखा है । इन्हीं सब रंजिशों की वजह से मेरे पिता जी को मार डाला है ।"

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—यह सब गलत है ।

श्री चरणसिंह—अब मेरे पास वक्त नहीं है वरना मेरे पास पूरी हिस्ट्री है । इस पर भी अगर आप अपने चश्मे से इसको देखें और न दिखलाई दे तो ठीक है, वह आपके चश्मे की खराबी है । लिहाजा आप साफ कपड़े पहन कर आयें, साफ हाथ धोकर आयें और पहले अपना इलाज कीजिये, तब कोई बात कहें ।

श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि पी० एस० पी० के नेता और माननीय गेंदा सिंह जी ने भी इस विवाद के स्तर को बहुत ऊंचा रखने की कोशिश की और उन्होंने शासक दल की फूट का कोई जिक्र अपने भाषणों में नहीं किया, लेकिन फिर भी माननीय गृह मंत्री जी इस दल के विषय में भ्रमात्मक बात कहने से रुक न सके । मैं उनको विश्वास दिलाऊंगा कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में न किसी प्रकार का कोई झगड़ा है और न कोई उसके नेता झगड़ा तय कराने दिल्ली गये और न अशोक मेहता इस सम्बन्ध में यहां आये ।

माननीय गोविन्द सहाय जी ने इस बात का जिक्र किया कि इस देश में और प्रदेश में जो नैतिक स्तर गिरता चला जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है उसके राजनैतिक, आर्थिक कारणों के साथ और दूसरे प्रकार के कारण भी हैं । यह सत्य है कि राजनैतिक हैं क्योंकि जब से यहां की सत्ता कांग्रेस के हाथ में आई तब से प्रदेश में और देश में नैतिक स्तर जनता का नीचे गिरा है । माननीय सदन को मालूम है कि आज से कुछ दिन पहले जब इस सदन में अविश्वास का प्रस्ताव आया था तो शासन दल के ९८ माननीय सदस्यों ने उस समय के मंत्रिमंडल पर अनेक

[श्री होरीलाल यादव]

आरोप लगाये थे और कहा था कि यह मंत्रिमंडल भ्रष्टाचार को फैलाता है। भाईचारा फैल रहा है, नौकरशाही का बोल-बाला हो रहा है, बेईमानी फैल रही है। उस के बाद वह मंत्रि-मंडल यहां से हटा उसके बहुत से सदस्यों को, जो भ्रष्टाचार के फैलाने के जिम्मेदार ठहराये जा रहे थे, भाई-चारे तथा पक्षपात करने में जिम्मेदार ठहराये जा रहे थे, जो नौकरशाही को बढ़ावा देने के जिम्मेदार ठहराये जा रहे थे उनको मंत्रिमंडल में लेकर के वर्तमान मंत्रिमंडल ने क्या जनता के स्तर को और नीचे गिराने की कोशिश नहीं की है ?

(इस समय ३ बजकर २६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

जिन माननीय सदस्यों को आप गलत समझते थे, जिन को आप प्रदेश के राजनैतिक स्तर को गिराने का जिम्मेदार ठहरा रहे थे उनको मंत्रिमंडल में नहीं लेना चाहिये था। जब डाक्टर सम्पूर्णानन्द की सरकार को हटाकर दूसरी सरकार लाने का प्रयत्न हो रहा था तो दारुलशफा में उधर के माननीय सदस्य कह रहे थे कि डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी को तो ज्योतिष से ही फुरसत नहीं है और सारा शासन मुख्य सचिव के हाथ में है। लेकिन उस कोशिश के बाद जब शासन बदला और दूसरे गुट के हाथ में आया फिर भी वही हालत है जो पहले थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ जैसा कि श्री झारखंडे राय जी ने कहा कि छोटे-छोटे लोगों की आशा बढ़ी थी कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी की सरकार जाने के बाद जब गुप्ता जी की सरकार आयेगी तो वह अधिक प्रगतिशील होगी, वह गरीबों के प्रति ज्यादा वफादार होगी और नया रास्ता गरीबी को दूर करने के लिये अपनावेगी। गुप्ता जी का वक्तव्य निकला कि हुकूमत के खर्च को कम किया जायगा, उस से लोगों ने समझा कि टैक्सेज का भार कम होगा लेकिन जैसे ही शासन वर्तमान मुख्य मंत्री के हाथ में आया इस मंत्रिमंडल में भी भ्रष्टाचार दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता चला गया। कहा गया कि जो खर्च कम कराने के लिये रक्षक गार्ड रहते हैं उनको हटाया जायगा और हटा दिया गया है लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि पुलिस गारद को हटा दिया गया और उसके स्थान पर शैडो (shadow) करने वालों की संख्या बढ़ा दी गई। और शैडो को रखने पर जो खर्चा पड़ता है वह सिपाहियों की तनख्वाह से ज्यादा पड़ता है। अभी जो सप्लीमेंट्री बजट हमारे सामने पेश हुआ है उसमें यह साफ कहा गया है कि मंत्री जो बढ़ाये गये हैं उनको मोटरों की जरूरत है और उसके लिये ८५ हजार रु० का अनुदान मांगा गया है। मंत्री बढ़ें, इससे विरोधी दल को कोई एतराज नहीं है, अगर शासन में एफीशियेंसी भी बढ़े। लेकिन मंत्रियों के बढ़ने के साथ शासन में एफीशियेंसी बढ़ती नजर नहीं आती। कारण यह है कि हमारे मुख्य मंत्री, गुप्ता जी बहुत ही होशियार और चतुर सास की तरह से हैं। जैसे चतुर सास अपनी बहुओं से कहती है कि बहू तुम इस घर की मालकिन हो, तुम सब काम करो लेकिन एक काम करना होगा कि जो कुठला रखा हुआ है, उससे हाथ मत लगाना। इसी तरह से मंत्रियों का विस्तार होता चला जा रहा है मगर कोई काम करने का उन्हें मौका नहीं है, स्वयं फैसला करने का अवसर नहीं है, जैसा कि कल एक माननीय सदस्य ने कहा था कि अगर हम किसी मंत्री के पास जाते हैं किसी काम के लिये जनता के हित के काम के लिये कहते हैं तो वह कहते हैं कि गुप्ता जी से और मिल लीजिये। तो सारी ताकत गुप्ता जी में ही अगर निहित है तो उन मंत्रियों को क्या काम सौंपा गया है, क्यों उनकी बढ़ोत्तरी की गई है ? केवल इसलिये कि तमाम जिलों के अन्दर दौरा करके अपनी पार्टी और अपने दल के लोगों को मजबूत करें और अगले चुनाव के लिये लोगों को तोड़ने की कोशिश करें।

बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मौजूदा मंत्रिमंडल ने, जैसा कि गेंदासिंह जी ने कहा, किसानों को आबपाशी के रेट में जो तीन आने की छूट मिल रही थी उसे वापस ले लिया। मान्यवर, प्रत्येक माननीय सदस्य जानता है कि कृषि की उन्नति के लिये किसानों को साधन मुहय्या करना बहुत जरूरी है और उनकी आर्थिक हालत को भी ठीक करना जरूरी है। माननीय मुख्य मंत्री जी मिल मालिकों के कारोबार को चलाने के लिये यह जरूरी समझते हैं कि उनसे टैक्स वसूल करने में नर्मी बरती जाय, ढिलाई की जाय, उन पर जो किसानों का पैसा बाकी है उसे दिलाने में देरी की जाय, क्योंकि अगर उसे वसूल करते हैं तो वे लोग कारखाना बन्द करने

की धमकी देते हैं लेकिन मुख्य मंत्री जी इस बात को नहीं समझते कि किसान को भी खेती की उन्नति के लिये आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। आबपाशी में छूट दी जाय, तकावी दी जाय ताकि खेती की तरक्की हो सके और आज सब से बड़ी समस्या देश के सामने खाद्यान्न की है वह हल हो सके। इसके विपरीत जो छूट अभी तक उन्हें मिली हुई थी उसको भी वापस ले लिया गया है।

भ्रष्टाचार के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। वह तो आजकल ऐसा हो गया है कि आज एक ट्रांसफर होता है और उसका आर्डर जब तक उस अफसर के पास पहुंचता है तब तक दूसरा आर्डर पहुंच जाता है कि स्थानान्तरण रोक दिया गया है। मिसाल के तौर पर मैं अपने जिले के एक ब्लाक के बी० डी० ओ० के बारे में कहना चाहता हूं। नियोजन विभाग के माननीय मंत्री ने उनको ट्रांस्फर कर दिया था उनकी अयोग्यता और पार्टीबाजी करने के कारण। काम निल के बराबर है, उनकी अयोग्यता पार्टीबाजी, कार्य की शिथिलता आदि कारणों से ही ट्रांसफर किया होगा। लेकिन एक हफ्ता भी नहीं बीतने पाया और आर्डर हो गया कि आप अपनी जगह पर ही बने रहें। मैं अभी परसों शासक दल के एक माननीय सदस्य के कमरे में बैठा हुआ था, बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि कहीं-कहीं का कलेक्टर ६ वर्ष तक बना रहता है और कहीं का १५ दिन के बाद ही ट्रांस्फर कर दिया जाता है। कहीं का डाक्टर चाहे कितना ही नियमों का उल्लंघन करे, वहां बना रहता है और अगर मुख्य मंत्री जी ट्रांस्फर करते हैं तो दूसरे मंत्री जोर डाल कर इस ट्रांसफर को रुकवा देते हैं। यह मेरी शिकायत नहीं थी बल्कि उस दल के एक माननीय सदस्य की थी जिस दल की सरकार है। मैं उनका नाम और जिला नहीं बताऊंगा क्योंकि वह उचित नहीं होगा। जब यह हालत है तो किस प्रकार से अवाम के अन्दर और कर्मचारी वर्ग के अन्दर विश्वास पैदा होगा? उनमें यह डर है कि न मालूम किस समय उनका ट्रांसफर करा दिया जाय। स्थानीय कांग्रेस दल की मर्जी पर उनका तबादला निर्भर करता है इसलिये कर्मचारी भी उन्हीं की हां में हां मिलाते हैं। उनकी मर्जी के मुताबिक काम करने की धमकी दी जाती है जिससे कर्मचारिवर्ग का नैतिक स्तर गिरता चला जा रहा है और मंत्रिमंडल के गुट के जो प्रतिनिधि हैं जिलों के अन्दर उन्हीं की हां में हां मिलाते हैं तभी अपनी नौकरी को सुरक्षित समझते हैं। इन परिस्थितियों से विवश हो कर विरोधी दल मिल कर अविश्वास का प्रस्ताव लाये कि अध्यापकों में जो सुरक्षा की एक भावना पहले पैदा हो गई थी वह भी समाप्त होने जा रही है, क्योंकि सरकार दूसरा संशोधन ला कर मैनेजरों के अधिकारों को, जो पहिले कम किये गये थे, सम्भवतः उन्हीं अधिकारों को पहले की तरह करना चाहती है। इसलिये सदन के माननीय सदस्य इस बात की कोशिश करें कि मौजूदा मंत्रिमंडल को हटाया जाय और जो प्रस्ताव पालीवाल जी ने पेश किया है उसका समर्थन करें।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)—मान्यवर, जो अविश्वास का प्रस्ताव माननीय पालीवाल जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं.....

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, ३० दफा खड़ा हुआ हूं। आपने मुझसे कल कहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के बाद ही मुझको समय मिलेगा। आगे के ६, ७ नेता बोल चुके हैं और हम लोग पीछे बैठे ही रहते हैं। यह निकम्मे नेता हैं.....

श्री अध्यक्ष—आप इस तरह से अपशब्द न कहें कि 'निकम्मे' हैं। इसको आप वापस लें।

श्री टीकाराम पुजारी—मैं वापस नहीं लेता। आपने मुझसे वायदा किया था कि समय दूंगा। मैं भी किसानों से चुन कर आया हूं। यह नेता लोग जनता को धोखा देने वाले हैं, जनता अब इस धोखे में नहीं आयेगी। यहां कांग्रेस की बुराई करते हैं और बाहर जाकर यही नेता लोग कांग्रेस को जिन्दा रखते हैं। जनता ने १९५२ में ही कांग्रेस को हरा दिया, १९५७ में विरोधियों को ज्यादा वोट मिले, कांग्रेस को ३३ परसेंट ही वोट मिले।

श्री अध्यक्ष—(मार्शल से) आप इनको जा कर समझा दीजिये।

टीकाराम पुजारी—इन निकम्मे नेताओं का नाश होगा। श्रीमन्, आप पर मेरा विश्वास नहीं है।

(मार्शल के समझाने पर भी माननीय सदस्य बराबर बोलते रहे।)

श्री अध्यक्ष—(मार्शल से) आप माननीय सदस्य को सदन के बाहर कर दें।

(श्री टीकाराम पुजारी मार्शल द्वारा गोद में उठाकर सदन के बाहर ले जाये गये।)

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह—श्रीमन्, जो अविश्वास का प्रस्ताव माननीय पालीवाल जी ने पेश किया है उसका समर्थन करता हूं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस सरकार के अन्दर दलबन्दी की जो बातें कहीं उनमें मैं नहीं जाना चाहता। मैं एक देहात का रहने वाला हूं और वहीं की जो समस्यायें हैं, जिनकी तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया है उनके बारे में मैं आपकी आज्ञा से प्रकाश डालना चाहता हूं।

श्रीमन्, यह विचारने की बात है कि आज विकास के नाम पर तो विदेशों से भारतवर्ष में कर्ज आता है, उसका किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। वह दुरुपयोग इस मानी में हो रहा है कि वास्तव में जो धन जनता पर खर्च होना चाहिये वह कर्मचारियों पर खर्च किया जा रहा है। नया मन्त्रिमण्डल आने पर लोगों को यह आशा थी कि इस तरफ ध्यान देंगे पर कुछ नहीं दिया। इसका उदाहरण एक यह है कि पहले अधिकारियों को भेज दिया जाता है लेकिन ब्लाक बिल्डिंग कहीं नहीं बना रहे हैं। जब वहां पर कोई जगह ठहरने की नहीं है तो वहां पर क्या कार्य होगा? अधिकारी और जनता के लोग कहां इकट्ठे रहेंगे? लेकिन इस पर भी लाखों रुपया खर्च करने के लिये अधिकारी भेज दिये जाते हैं।

१९६१-६२ का बजट भी पेश किया गया लेकिन देहात के प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों के बनाने या सुधारने के लिये कोई कदम नहीं उठाया गया। जितने स्कूल हैं सब गिरे पड़े हैं और देहात के बच्चे मैदानों में पढ़ रहे हैं। लेकिन सरकार ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिये भी इस सरकार में मेरा अविश्वास है।

शहर में अस्पतालों और स्कूलों की इमारतें जब बन जाती हैं, तब वहां डाक्टर और अध्यापक भेजे जाते हैं। लेकिन देहात की दशा यह है वहां नाममात्र के लिये भी भवन नहीं हैं लेकिन स्कूल और अस्पताल चल रहे हैं। इस सरकार को इस तरफ भी विशेष ध्यान देना चाहिये था। इस तरफ सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इसलिये मन्त्रि-मण्डल में हमारा अविश्वास है।

इसी प्रकार जब देहात का प्रश्न आता है, चाहे सड़क का प्रश्न हो या कोई जनता के विकास का अन्य प्रश्न, उस तरफ यह सरकार कोई ध्यान नहीं देती। इस कांग्रेस सरकार को १२—१४ साल हो गये, इसने देहात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। देहात की सड़कें, नहीं बनाई जा रही हैं। शहर में जो पक्की सड़कें बनी हैं उनकी पेंटिंग करवायी जाती है। देहात जिसमें इस प्रदेश की ८५ फीसदी जनता रहती है, उसकी तरफ ध्यान न देकर शहर की जनता के लिये, महज दिखावा मात्र के लिये देहात की जनता का धन खर्च किया जाता है क्योंकि शहर से कांग्रेस का एलेक्शन का खर्चा मिला करता है। इसलिये उनको ज्यादा सुख-सुविधा देने के लिये तैयार हैं।

मगर देहात के लोगों को केवल वोट के जाल में फंसाना चाहते हैं। देहात के लोगों को इसलिये कमजोर रखते हैं ताकि कहीं वे मुकाबला न कर बैठें। इसलिये उनको सिर्फ वोटों के जाल में फंसाते हैं। इसलिये भी हमारा सरकार में अविश्वास है।

जब से वर्तमान गृह मन्त्री आये हैं तब से पुलिस में कुछ सुधार हुआ है लेकिन फिर भी पुलिस का स्टाफ देहातों में बहुत कम है। आज लोग कहते हैं कि पार्टीबाजी से कत्ल

हो रहे हैं। यह तो अपना-अपना दृष्टिकोण है। लेकिन मेरी दृष्टि में पुलिस का स्टाफ बहुत कम है देहात में। इसलिये वहां इतने कत्ल, दंगे, चोरियां और डकैतियां हो रही हैं। इस तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। वहां पर पुलिस फोर्स बढ़ाया जाय। जहां पर थाने में एक थानेदार है वहां पर दो थानेदार होने चाहिये ताकि एक थानेदार ला ऐंड आर्डर का काम देख सके और दूसरा मुकदमे की पैरवी कर सके ताकि पुलिस से जनता को जो सुख सुविधा मिलनी चाहिये उसमें आसानी हो। मगर इस सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। इसलिये भी हमारा इस सरकार पर अविश्वास है।

इसी प्रकार और बहुत से उदाहरण हैं। आज भूमि-व्यवस्था की कोई निश्चित पालिसी नहीं है। खेत किसी का है और सी० एल० आर० डी० में नाम हो गया किसी दूसरे का। खेत किसी का है और काबिज लिख दिया जाता है कोई दूसरा। अगर खातेदार का नाम बदलता है तो लगान दुगना कर दिया जाता है। कोई निश्चित पालिसी नहीं है। किसी को इस बात का विश्वास नहीं है कि हमारी जमीन नहीं निकलेगी। इसलिये जो करोड़ों रुपया सरकार पैदावार बढ़ाने पर खर्च कर रही है उसमें भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि किस तरीके से पैदावार बढ़ायें जब कि वह जमीन के मालिक रहें या न रहें। इसलिये सरकार को चाहिये था कि वह जमीन के मामले में एक निश्चित कदम उठाती, वैसे जिसकी मौरूसी, भूमि हो उसको दिलाने में हमें कोई एतराज नहीं है। इसी तरह तमाम टैक्सेज वगैरह जो बड़े-बड़े पूंजीपतियों पर बाकी हैं वे उनसे तो वसूल नहीं किये जाते हैं लकिन अगर किसान के ऊपर एक साल का लगान बकाया रह जाता है तो उसके साथ अन्याय किया जाता है, उसके बैल कुर्क किये जाते हैं और उसे बन्दी तक बनाया जाता है। यह भी कांग्रेस मन्त्रिमण्डल में अविश्वास होने का एक प्रमुख कारण है।

सरकार ने जमीन्दारी समाप्त करते समय इसी सदन में यह घोषणा की थी कि बड़े-बड़े पूंजीपतियों की मिलों का भी हम राष्ट्रीयकरण करेंगे, लेकिन वह मामला अभी तक वैसे ही पड़ा हुआ है। ४-५ साल से मैं भी इस सदन का सदस्य हूं और देख रहा हूं कि उस ओर बिल्कुल इस सरकार का ध्यान नहीं है। क्या वजह है कि एक वर्ग के साथ वैसा वर्ताव किया गया और दूसरे वर्ग के साथ कार्यवाही करने में शिथिलता बरती जा रही है? इससे मैं तो यही निष्कर्ष निकालता हूं कि सरकार देहात की ही आमदनी को कम करना चाहती है ताकि वे अपने बच्चों को ऊंची तालीम न दिला सकें और न ठीक तरह से दवा करा सकें तथा इनके मुकाबले इलेक्शन में न खड़े हो सकें। इस कारण भी इस सरकार पर हमारा अविश्वास है।

इसी प्रकार आप देखें कि बड़ी-बड़ी सर्विसेज अब भी बरकरार हैं लेकिन छोटेछोटे कर्मचारियों को कोई विशेष सुविधा नहीं दी जा रही है। आजकल के अखबार में जो यह निकल रहा है कि चपरासियों का पद समाप्त किया जायगा, उससे छोटे कर्मचारियों पर बड़ा बुरा असर पड़ रहा है और लोग समझते हैं कि गरीबों के ऊपर ही कुठाराघात होगा और बड़े लोगों को छुआ नहीं जायगा। यह भी इस सरकार पर अविश्वास का एक कारण है।

अविश्वास का एक कारण यह भी है कि यह सरकार आश्वासन तो देती है परन्तु उनको कार्यान्वित करने का जब समय आता है तो एक न एक बहाना बना कर टाल दिया जाता है। मेरे ही क्षेत्र के अन्दर कुछ सड़कों और पुलों के लिये सरकार ने बराबर आश्वासन दिया, मगर तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हो रही है फिर भी उस ओर कोई ध्यान नहीं है और न उन पर काम शुरू हुआ। माननीय न्याय मंत्री जी तो उस क्षेत्र में कई मर्तबा हो आये हैं और माननीय मुख्य मन्त्री जी तो सन १९४९-५० में जब कि स्वर्गीय चन्द्रभानु सिंह जी मौजूद थे, तब को मैं उनको याद दिलाऊं, उस समय में वह क्षेत्र उन्होंने मेरे साथ देखा था लेकिन आजतक उस पिछड़े हुये क्षेत्र की तरफ कोई ध्यान नहीं दया गया, हालांकि हमने बराबर इससे पहले वाली सरकार से और इस सरकार से पत्र-व्यवहार किया। इसके अलावा अध्यापकों के वेतन के वितरण के बारे में मैंने यहां प्रश्न किया था तो सरकार ने कहा था कि उनका वेतन प्रति मास दिया जाया करेगा परन्तु आज

[श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह]

मेरे जिला गोंडा में---मैं और जिलों की बात तो नहीं जानता--३-४ और ६-६ महीने का प्राइमरी पाठशालाओं और जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों का वेतन बाकी है। उस पर सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री राजनारायण---मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। श्रीमन्, नियम २९९ के अनुसार "सदस्यों के बाहर चले जाने की आज्ञा देने की शक्ति" इसकी एक व्यवस्था दी गई है। इसमें लिखा है--

"(१) अध्यक्ष व्यवस्था स्थापित रखेंगे और किसी सदस्य को जिसका व्यवहार उनकी राय में अव्यवस्थापूर्ण हो, सदन से तुरन्त बाहर चले जाने का निदेश दे सकेंगे और जिस सदस्य को इस प्रकार बाहर चले जाने का निदेश दिया जाये वह तत्काल बाहर चला जायगा और उस दिन के उपवेशन के अवशिष्ट समय में अनुपस्थित रहेगा।"

दूसरा इसका खंड है:---

(२) यदि कोई सदस्य अध्यक्ष द्वारा उपर्युक्त उपनियम (१) के अन्तर्गत बाहर चले जाने के आदेश के दिये जाने पर उसका पालन न करे या यदि किसी सदस्य को एक ही सत्र में दूसरे बार बाहर चले जाने का आदेश दिया गया हो तो अध्यक्ष उसको इंगित कर सकेंगे। जैसे ही किसी सदस्य को इंगित किया जाय सदन-नेता तत्काल इस आशय का प्रस्ताव करेंगे कि उस सदस्य को ऐसी कालावधि के लिये जिसका प्रस्ताव करेंगे, कि उस सदस्य को ऐसी कालावधि के लिये जिसका प्रस्ताव में उल्लेख हो, सदन की सेवा से निलंबित किया जाय, परन्तु ऐसे प्रस्ताव पर कोई चर्चा नहीं होगी:

परन्तु वह कालावधि किसी अवस्था में भी सत्र की अवशिष्ट अवधि से अधिक न होगी।

किन्तु सदन किसी समय प्रस्ताव किये जाने पर यह संकल्प कर सकेगा कि ऐसे निलम्बन को समाप्त किया जाय।

मैं यह जानना चाहता हूं कि आज किस नियम के अनुसार हमारे मार्शल साहब ने हमारे माननीय सदस्य को एकाएक उठाकर सदन के बाहर रख दिया।

श्री अध्यक्ष---आप आगे पढ़ें। आपने २९९ (३) का हिस्सा नहीं पढ़ा और प्रश्न पूछ लिया। मैं पढ़ देता हूं। वह इस प्रकार है कि :--

"अध्यक्ष को अपने आदेश या सदन के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने की पूरी शक्ति होगी और वे कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर आवश्यक बल का प्रयोग कर सकेंगे या करने का अधिकार दे सकेंगे"। मैंने मार्शल से पहले यह कहा कि आप उनको रोकिये। लेकिन वह नहीं रुके और बोलते रहे, तो मैंने यह कहा कि इनको बाहर ले जाइये। मैंने इस प्रक्रम के हिसाब से उनको आज्ञा दे दी।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप दूसरे खंड को देखें ....

श्री अध्यक्ष---मैंने जब फैसला दे दिया तो अब आप बहस नहीं कर सकते हैं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, यह ठीक है, क्योंकि हमें वोट करना है वरना मैं बड़ी नम्रता के साथ.....

श्री अध्यक्ष---आप कमरे में आकर बहस कर लीजिये।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि दो दिवस की बहस सुनने के बाद मैं इस बात की धृष्टता कर रहा हूं कि मैं यह कहूं कि इन दो दिनों का समय सदन का उस ढंग से इस्तेमाल नहीं हुआ जिस ढंग से कि इस मूल्यवान अधिकार के सिलसिले

में वह बरता जाना चाहिये था। यह सही है कि गणतन्त्र में विरोधी दल होते हैं और उनका जब सरकार की नीति में अविश्वास हो तो उन्हें सरकार के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव लाने का अधिकार रहता है।

श्रीमन्, ४–५ महीने हुये, जहां तक इस मंत्रि-मंडल और सरकार का सम्बन्ध है विरोधी दलों की ओर से एक प्रस्ताव लाया गया था और उस पर बहस भी हुई थी और उसके बाद इस आरदणीय सदन ने उस पर अपना निर्णय भी लिया था। फिर ४–५ महीने के बीच में अविश्वास का प्रस्ताव आया। क्या इस दरम्यान में कोई सरकार की नीति में परिवर्तन हुआ या कोई ऐसी नई चीज सरकार ने की जिसके विरोध में विरोधी दल के सदस्यगणों को अविश्वास का प्रस्ताव लाने की आवश्यकता पड़ी। आखिर जब अविश्वास का प्रस्ताव आता है, उस पर बहस होती है, समय लगता है और गरीब जनता का पैसा भी खर्च होता है, जिस गरीब जनता के पैसे की एक-एक पाई के सिलसिले में विरोधी दल के सदस्यगण आपत्ति करते हैं और सरकार की आलोचना करते हैं। यदि किसान की गाढ़ी कमाई का पैसा जो कर के रूप में सरकार के कोष में आता है उसका अपव्यय होता है तो उसकी आलोचना करना स्वाभाविक है और वरोधी दल के सदस्यों को आलोचना करने का पूर्ण अधिकार है और उनका पूर्ण कर्त्तव्य भी है, परन्तु मैं क्या उनसे यह पूछने की धृष्टता कर सकता हूं कि इन चार-पांच महीनों के बीच क्या ऐसी चीज हो गई जिसने उन्हें यह अवसर प्रदान किया हो कि वे फिर से अविश्वास का प्रस्ताव इस सरकार के प्रति लावें। मेरा विनम्र निवेदन है कि इन महीनों में कोई ऐसी बात नहीं हुई जो घोषित नीति के विरुद्ध रही हो, जो कांग्रेस की घोषित उन योजनाओं के विरुद्ध रही हो जिन योजनाओं के पूरा करने का, आने वाले वर्षों में, इस सरकार का पूरा उत्तरदायित्व है। यदि ऐसा नहीं है और यदि यह वास्तविकता नहीं है तो फिर मैं यह कहूं कि यह प्रस्ताव न तो मुनासिब ही था, न इसकी कोई आवश्यकता ही थी और न परिस्थितियां ही इस बात की इजाजत देती थीं कि इस प्रकार का प्रस्ताव इस अवसर पर लाया जाय। आखिरकार जो बातें आलोचना स्वरूप इस सदन में इस सरकार के विरुद्ध कही गई हैं वे क्या थीं? वह तो वही बातें थीं जिन्हें समय-समय पर गत १४–१५ वर्षों में इस सदन के बीच में कहा जाता रहा है। करीब-करीब वही बातें आज फिर दुहराई गईं। वही बातें कि कमिश्नर क्यों नहीं हटाये गये, सरकार ने अपने खर्च में कमी क्यों नहीं की, सरकार पूंजीपतियों की प्रतिनिधि है, उनके हितों की रक्षा करती है, गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा नहीं करती वगैरह वगैरह क्या वही बातें नहीं हैं जो सदन में हर साल विरोधी दल की तरफ से कही जाती रही हैं? क्या यह वही नीतियां नहीं हैं जिनकी आलोचना विरोधी दलों की ओर से होती रही हैं? और, यदि वही बातें दोहरायी जाती हैं तो इस आदरणीय सदन के समक्ष नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि जिन परम्पराओं की रचना की बात कही जाती है वह निरर्थक है क्योंकि जो अविश्वास का प्रस्ताव लाते हैं उनको भी कुछ मर्यादाओं की रचना करनी है, जिनकी रचना करने का उत्तरदायित्व विरोधी दल के नाते इस सदन के अन्दर सदस्यगण के रूप में उनके कन्धों पर है। मैं कह सकता हूं कि जो बातें कही गई हैं सदन के समक्ष आलोचना स्वरूप वे निरर्थक हैं और बेबुनियाद हैं।

विरोधी दल के नेता ने कहा कि कमिश्नर का ओहदा निरर्थक है और उसको तो रहना ही नहीं चाहिये। यदि सरकार को एकोनामी करनी है तो वहीं से उसे आरम्भ करनी चाहिये। माननीय सदस्यों को भलीभांति इस बात का ज्ञान होगा कि इस कांग्रेस की सरकार ने यद्यपि पूरी तरह से कमिश्नर की जगह को तोड़ा नहीं था ताहम उन जगहों को कम किया था और कम कर देने के बाद जो तजुर्बा उसे हुआ वह सही सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि जिले-जिले में इन १०–१२ वर्षों में जो अधिकारी जिलाधीश के रूप में काम करते हैं, जो सुपरिन्टेंडेंट पुलिस के रूप में काम करते हैं, वे न तो उतने ज्येष्ठ हैं, न इतने सीनियर हैं। अधिकांश उनमें से कम उम्र के व्यक्ति हैं, कम तजुर्बा वाले व्यक्ति हैं और वह किस कारण से हैं इस बात को सदन में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। कौन नहीं जानता कि

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

ट्रांसफर आफ पावर जब हुआ उस समय बहुत से अधिकारी जो सीनियर थे पाकिस्तान चले गये, बहुत से अंग्रेज देश के बाहर चले गये और हमें नवयुवकों को नियुक्त करना पड़ा और वे नवयुवक जिन-जिन स्थानों पर गये यद्यपि उन्हें कम तजुर्बा था, वह अधिक अनुभवी नहीं थे, ताहम उन्होंने अपने उत्तरदायित्व और कर्त्तव्यों का पालन ईमानदारी से किया और चतुरता से किया। फिर भी इस बात की आवश्यकता थी कि इन कलेक्टर्स को और इन अधिकारियों को जो कम उम्र के हैं उनको सलाह देने वाले व्यक्ति हमारे बीच में हों जो कि अपने तजुर्बे से उन्हें फायदा दे सकें, जो उनके विचारों में सन्तुलन ला सकें, और जो अपने तजुर्बे की बुनियाद पर उन्हें नेक सलाह दे सकें। साथ ही क्या हम यह नहीं जानते हैं कि इन १४–१५ वर्षों में अधिकारियों की संख्या प्रत्येक वर्ष में कितनी बढ़ी है? कितना विकास का कार्य बढ़ा है? आज उन विकास के कार्यों का सन्तुलन करना, उसको तेजी देना और उन अधिकारियों से जो उनके नीचे कार्य करते हैं उनसे अधिक मात्रा में काम लेना और उन्हें प्रेरणा देना इन कमिश्नर्स का काम है। इसलिये इन कमिश्नर्स को जो पहले हमने घटा दिया था हमने फिर बढ़ाया और वह आज इतनी बड़ी संख्या में कार्य कर रहे हैं। तो यह प्रश्न तो ऐसा प्रश्न है कि जब-जब यहां बजट पर आप बहस करते हैं या अपने विचार प्रकट करते हैं तब-तब आप इसे यहां रखते हैं। लेकिन यह दल आज ऐसा महसूस करता है कि उनकी आवश्यकता है, विकास के कार्यों में उनसे मदद मिलती है, आज अपने से कम अनुभव वाले अधिकारियों को वह प्रेरणा प्रदान करते हैं और उनके द्वारा उन कार्यों की पूर्ति में वह अपने को लगाते हैं कि जिनसे हमारे विकास कार्य आज तेजी से आगे बढ़ें।

एक आपत्ति की गई कि हमने जजेज को वाइस चांसलर नियुक्त कर दिया। इस सदन के सदस्य इस बात को भलीभांति जानते हैं कि जब यह सरकार आयी उस समय कुछ विश्वविद्यालयों में किस तरह का वातावरण फैला हुआ था, विद्यार्थीगण किस तरह से अपने अध्यापकों के प्रति, अपने वाइस चांसलर के प्रति एक दुर्व्यवहार कर रहे थे जिससे कि विश्वविद्यालयों के अन्दर अमनचैन नहीं था, जिससे विश्वविद्यालय के अन्दर वह हालत नहीं थी जो कि होनी चाहिये। तो क्या सरकार जब ऐसी हालत विश्वविद्यालय के अन्दर थी तो इस हालत को बरदाश्त कर सकती थी? क्या वह इस बात को बरदाश्त कर सकती थी कि जो चीज बनारस में हुई, बनारस में जिस तरह से पुलिस और फौज रखी गई उसको फिर से यहां दोहराये और क्या उससे विश्वविद्यालय के वातावरण में तब्दीली आती? हमारे दल के बहुत से साथियों का यह मत था कि हमें शीघ्र ही इस स्थिति में परिवर्तन लाने के लिये कोई आर्डिनेंस लाना चाहिये और आर्डिनेंस लागू कर के उस व्यवस्था में हमें तब्दीली लानी चाहिये। इस आर्डिनेंस के लाने की बात पर भी विचार विनिमय हुआ और विरोधी पक्ष के व्यक्तियों से भी बातें हुईं। माननीय पालीवाल जी जिन्होंने कि यहां अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया उनसे भी इस विषय में बातचीत हुई और यद्यपि वह बातचीत जो उनके कान में कुछ आवाज पड़ी उसके बाद हुई, उन्होंने मुझे पत्र लिखा, उन्होंने मुझसे अपने विश्वविद्यालय आगरा के संबंध में कुछ बातें भी कीं और फिर बातें करके उन्होंने एक पत्र मुझे लिखकर भेजा और कहा कि भाई यह बात सही है कि विश्वविद्यालयों में गड़बड़ी है, लेकिन आर्डिनेंस नहीं लागू करना चाहिये। कोई हमें विश्वविद्यालयों के विधान में परिवर्तन करना चाहिये और विधान में परिवर्तन कर के फिर हमें वाइस चांसलर्स जो होते हैं उनको चुनना चाहिये। हमने आपस में बहुत विचार-विनिमय करके जो सुझाव माननीय पालीवाल जी ने हमें दिये, उस पर अमल किया और अमल करके एक विधेयक हम यहां सदन में लाये। सदन ने उसके संबंध में अपनी स्वीकृति प्रदान की और जब स्वीकृति प्रदान की और उसने अन्तरिम वाइस चांसलर की धारा मंजूर कर ली तो फिर क्या सरकार स्वतः या चांसलर महोदय स्वतः ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर देते जिसके बारे में बहुत विवाद होता, जिसके बारे में बहुत आक्षेप लगाये जाते और फिर जिसके बारे में तरह-तरह की आलोचना की जाती। यदि सरकार ने इस बात पर विचार करके चांसलर महोदय से और चांसलर महोदय ने स्वतः विचार करके इस बात पर यह निर्णय लिया कि हमें थोड़े समय के लिये हाईकोर्ट के जजेज को नियुक्त

कर देना चाहिये, तो मैं समझ नहीं पाया कि इसमें क्या बुरी बात है। कौन नहीं जानता कि बनारस विश्वविद्यालय में कितना अशोभनीय वातावरण गुजरा है? उसके बाद केन्द्रीय सरकार ने जहां पर बड़े-बड़े विद्या के विशेषज्ञ हैं, जहां पर केन्द्रीय सरकार के सलाहकार राधाकृष्णन जी जैसे व्यक्ति हैं, उन्होंने समझबूझ कर एक सुप्रीम कोर्ट के जज को विश्वविद्यालय का वायस चांसलर नियुक्त किया। तो यदि हमने उसी पद्धति को अपनाते हुये अपने यहां थोड़े समय के लिये जजेज को वाइस चांसलर नियुक्त कर दिया तो क्या अपराध किया? और कौन-सी आलोचना की बात इस सदन के समक्ष पेश कर दी? आखिर जजेज के ऊपर सभी का विश्वास रहता है। यह भी हमको पता है कि बहुत से विश्वविद्यालयों के अन्दर इस देश में जजों ने समय-समय पर बहुत ही सन्तोषप्रद कार्य किया है और योग्यता से कार्य किया है। क्या हम उनके कार्य को भुला दें जो बम्बई प्रदेश में विश्वविद्यालय के प्रति किया गया? क्या सर आशुतोष के कार्य को हम भुला दें जो उन्होंने विश्वविद्यालयों के प्रति किया? क्या दक्खिन में उन हाईकोर्ट के जजों के कार्य को हम भुला दें जो उन्होंने विश्वविद्यालयों के प्रति किये थे। तो यदि हम अपने प्रदेश में ऐसे व्यक्ति को, जिसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, जिनसे किसी दल का संबंध नहीं है, नियुक्त कर दें तो कौन सी आलोचना की बात है, यह हमारी समझ में नहीं आया। क्या वह किसी दल के व्यक्ति हैं और क्या वह ऐसे व्यक्ति हैं जिनके प्रति लोगों की श्रद्धा नहीं है? आज विश्वविद्यालयों में वह आवाज नहीं सुनते हैं जो कि उस समय सुना करते थे जब कि हमने शासन सम्हाला था। जब हमने शासन सम्हाला था तो विद्यार्थी जगह-जगह तरह-तरह की बातें अपने वाइस चांसलर के बारे में कहते फिरते थे। आज वह बातें सुनने को नहीं मिलती हैं। हमारी धारणा है कि जिन जजेज को हमने वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त किया है वे बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत से कार्य किया है और ईमानदारी से किया है और वह अपना समय देकर उन परम्पराओं को विश्वविद्यालयों के अन्दर लाने की चेष्टा कर रहे हैं, जिनके आधार पर विश्वविद्यालयों की रचना की जानी चाहिये। हमारी यह धारणा है कि जहांतक इन विश्वविद्यालयों में इन वाइस-चांसलर्स की नियुक्ति का संबंध है, हमको यह बात पसन्द नहीं है कि कोई अध्यापक वाइस चांसलर बनने के लिये उधर दौड़े। विश्वविद्यालय का वाइस-चांसलर वह व्यक्ति बनना चाहिये जिसकी हम और आप खुशामद करें, जिसका सम्मान हर तरफ से हो। विद्यार्थियों की तरफ से और अध्यापकों की तरफ से उसका सम्मान हो। ऐसे व्यक्ति विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बनाये जांय। यही पद्धति हमने अपनाने की जगह-जगह चेष्टा की है। केन्द्रीय सरकार ने भी उसी पद्धति को अपनाने की चेष्टा की है। वह पद्धति वहां पर नहीं पनप पाती है जहां पर अध्यापकगण मदद नहीं देते हैं। आज उस कार्य को जजेज जाकर करने लगे और अध्यापक तथा विद्यार्थियों के बीच जाकर वह विश्वास दे सके, जिस विश्वास की आज विश्वविद्यालयों के अन्दर प्रत्येक के लिये आवश्यकता है। तो यह कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। यह आलोचना करनेवाली बात नहीं है। मैंने आपसे निवेदन किया कि हमने ऐसी पद्धति को नहीं अपनाया है। कोई ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त नहीं किया है जिनके बारे में कोई आरोप लगाया जा सके।

एक बात यह कही गई कि हमने यहां इस सदन को इस बात का वचन दिया था कि हम इस वर्ष हिल एक्सोडस नहीं करेंगे। जहांतक सरकार का संबंध है मैं कह सकता हूं कि सरकार ने हिल एक्सोडस नहीं किया है। वह धन जो हम प्रत्येक वर्ष हिल एक्सोडस पर खर्च करते थे, उस में हमने बचत की। यह सही है कि विरोधीदल के उपनेता ने हमारी उस नीति का विरोध किया था और विरोध में बात की थी। तो वह बात वह भूल गये। उन्हें अपने उपनेता से बात कर लेनी चाहिये थी। यदि हमने थोड़ी-सी उस निर्णय में कमी दिखाई तो जो उनके उपनेता थे, प्रतापसिंह जी, जो कि उन क्षेत्रों से आते हैं। उनका आग्रह था कि सरकार ने पहले से सूचना नहीं दी नैनीताल वालों को और सरकार ने यह निर्णय आखिरी दिनों में लिया है। तो हमें कोई ऐसी चीज नहीं करनी चाहिये जिससे वहां की नगरपालिका को, वहां के रहने वालों को, वहां के दूकानदारों को हमारे प्रति रोष हो। मैंने पुनः इस बात पर विचार किया और अपने निर्णय पर कायम रहते हुये हमने कहा कि यदि इस सदन के सदस्यगण उन कमेटियों द्वारा

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

वहां जाना चाहते हैं तो अध्यक्ष महोदय इसका निर्णय कर दें और हम १०, ५ कमेटियों द्वारा जो सदस्य वहां जाना चाहते हैं उनके लिये धन व्यय करने के लिये उद्यत हैं । माननीय अध्यक्ष ने उन कमेटियों के विषय में निर्णय दे दिया और वह कमेटियां गयीं और मैं बतलाना चाहता हूं कि जितना धन हम पहले व्यय करते थे उसका बहुत थोड़ा अंश ही हमको इन कमेटियों के लिये व्यय करना पड़ा । क्या आप नहीं जानते कि हर साल जब हम नैनीताल जाते थे तो हमको काफी धन उसके लिये व्यय करना पड़ता था और नयी इमारतों को किराये पर लेने के लिये हमें धन व्यय करना पड़ता था । बहुत-सी मोटरों आदि को ले जाने के लिये जो व्यय करना पड़ता था वह भी कम हो गया है और इस साल के आंकड़ों का यदि हम अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि २५,००० रुपये हमको अन्य इमारतों को किराये पर लेने के लिये ही व्यय करना पड़ता था अलावा उन सरकारी इमारतों के जो पहले से वहां थीं । इस साल जब सरकार वहां नहीं गयी तो यह व्यय नहीं हुआ और इन सरकारी इमारतों से करीब तीन महीनों के अन्दर ४८,००० रुपया किराये का वसूल हुआ है । सितम्बर और अक्तूबर के महीने बाकी हैं और १५ नवम्बर तक लोग पहाड़ों पर आया करते हैं, उनसे किराये का २५, ३० हजार रुपया और आने की आशा है । अपने कर्मचारियों से किराये का ४८ या ४५ हजार रुपया हमको किराये का मिलता था हर साल । तो इस प्रकार किराये की आमदनी भी बड़ी और दूसरी नयी इमारतों के लिये जो हम किराया देते थे उसमें भी कमी हुई । मेम्बरों पर जो खर्च हर साल होता था वह १ लाख या ७० या ८० हजार रुपया होता था । इस साल कुल १६ हजार रुपया मेम्बरों के लिये खर्च हुआ है और सरकारी कर्मचारी जितने गये उन पर कुल ७,००० रुपया खर्च हुआ है । तो क्या हमने जो वचन दिया था उसका पालन करने की चेष्टा नहीं की ? जो खर्च हम नैनीताल जाने के सिलसिले में करते थे उसमें कमी हम नहीं कर पाये ? मैं यह कह देना चाहता हूं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जो ऐसा समझते हैं कि हमारा पहाड़ों पर जाना वर्जित है । पहाड़ आखिर को अविकसित क्षेत्र हैं और वहां के निवासियों के विकास के सिलसिले में हम करोड़ों रुपया व्यय कर रहे हैं और अगर वहां हमारे आने-जाने से वहां के लोगों के आर्थिक ढांचे में कुछ परिवर्तन आ जाता है तो मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं कि जो उसकी आलोचना करें । इसके ऊपर तरह-तरह के शब्द इस्तेमाल करें और यह कहें कि यह सरकार जो है वह अपनी घोषित नीति के विरुद्ध कार्य करती है । इस सरकार ने जो नीति घोषित की थी उस पर अक्षरशः अगर वह पालन न कर सकी तो ९५-९६ फीसदी उसका पालन उसने जरूर किया है और उसने अपनी घोषणा के अन्तर्गत ही कार्य किया है । उस खर्च में उसने कमी दिखायी जो वह प्रत्येक वर्ष वहां जाने में करती थी ।

आपने यह कहा कि हमने किसानों की और गन्ना उत्पादकों की समस्याओं को सुलझाने में असमर्थता दिखायी है, उन किसानों की खास कर जिन्होंने गन्ना बोया था और जिनका गन्ना मिलों ने पेरा । हमने उन उत्पादकों को उनकी कीमत गन्ने की जो मिल मालिकों ने लिया था, समय के अन्दर दिलायी नहीं और अभी भी कुछ उत्पादकों की गन्ने की कीमत बाकी है । यह सही है कि गन्ने की कीमत बाकी है । कौन नहीं जानता कि यह वर्ष सब से पहला वर्ष था कि जब हमने ४० करोड़ मन गन्ना इस प्रदेश में पेरा । यह पहला वर्ष था कि जब इतनी मात्रा में इस प्रदेश में गन्ना पेरा गया और ४० करोड़ मन गन्ने की कीमत करीब ६० करोड़ रुपये होती है । इसमें से जो आखिरी आंकड़े आये थे और जिनकी सूचना मैंने सदन को दी थी उसमें ५ करोड़ ७५ लाख रुपया था जो गन्ने की कीमत का किसानों को नहीं दिया गया था । इस बीच में जो मेरे पास सूचना आई है उसके अनुसार दो ढाई करोड़ रुपया और अदा हो चुका है और करीब ३ करोड़ के अभी बकाया है ।

तो हम सब यह भूल जाते हैं कि पहले हमारी क्या परिस्थितियां थीं और पहले कितना गन्ना पैदा होता था । क्या माननीय सदस्य चाहते थे कि उन फैक्टरियां की, जिनके पास गन्ने की कीमत को देने के लिये पैसा नहीं था, धन की कमी थी, बैंक भी उनको रुपया एडवान्स

नहीं कर रही थीं, कुर्की कर लेते और कुर्की करके उन मिलों को बन्द करवा देते ? जब उनकी कुर्की होती तो उसका नतीजा आखिर क्या होता ? कुर्की करके मिलों को तो बेचा नहीं जा सकता था, क्योंकि मिलों को बेचने का और उसके वितरण का अधिकार केन्द्रीय सरकार को है, हमें नहीं है । वह तो निर्धारित मात्रा में हमको कोटा देते हैं और उसी के अनुसार शकर का वितरण होता है । तो ऐसी अवस्था में अगर हम मिलों को बन्द कर देते उनकी कुर्की कराकर, तो फिर गन्ना उन किसानों का कैसे पेरा जाता । गन्ना तो हमको किसी तरह पिरवाना ही था । गन्ना फिर खेतों में खड़ा ही रह जाता । तो वह माननीय सदस्य जो गन्ना किसानों के हितों के किससिले में यहां बातें करते हैं बतायें कि अगर ऐसा होता तो क्या किसानों का हित हो सकता था या हमने किसानों का हित किया जो उनका इतना गन्ना पिरवा दिया । इस तरह की बातें करके आप जो किसानों को बहका कर अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, या यह बातें कह कर इलेक्शन में किसानों को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, उनको भड़काना चाहते हैं, यह होने वाला नहीं है । किसान भी आपकी बातों को समझता है । वह समझता है कि किसानों की हमायती यही सरकार है । जब हमारे साथी किसानों को जाकर इन बातों को समझायेंगे और इस विषय की चर्चा करेंगे तो वे कभी आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे और जो उनका निर्णय होगा वह आप सब देखेंगे । आज जितनी तेजी से शकर बिकेगी उतनी ही तेजी से, उतने ही समय के अन्दर, उनको कीमत भी गन्ने की मिलती जायेगी ।

कौन नहीं जानता कि यह एक ऐसी समस्या है जो कि इस प्रदेश के लिये काफी कठिन हो गयी है । यह समस्या ऐसी समस्या हो गयी है कि जिस पर प्रत्येक को ध्यान देकर सोचने की जरूरत है । अगर हमारे किसान इतना गन्ना पैदा करने लगें कि फैक्टरियां उनको पेर न सकें तो क्या यह विचारणीय प्रश्न नहीं है कि हम सब किसानों के पास पहुंचें और उनकी भलाई के लिये, उनकी इकोनामी के लिये, हम उनसे निवेदन करें और उनको आवश्यक बातें बतायें ।

जहां तक इस प्रश्न पर शोर मचाया गया कि केन्द्रीय खाद्य मंत्री ने कहा कि गन्ने की कीमत कम की जाय । मेरी भी इस संबंध में उनसे बातचीत हुई और उन्होंने मुझे बताया कि गन्ने की कीमत को घटाने के विषय में अभी न तो उन्होंने कोई निर्णय लिया है और न ही प्रदेशीय सरकारों से विचार विनिमय किया है और न ही अभी उनका कोई इरादा है । आज जिस प्रतिशत से गन्ने की पैदावार बढ़ी है उसके मानी क्या हैं ? आज अगर २७ जून तक गन्ने की पिराई हुई है तो क्या उसको जुलाई तक करने की जरूरत है । क्या वह अदूरदर्शिता की बातें नहीं हैं ? यदि किसानों की माली हालत में कुछ परिवर्तन लाना है, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है । तो इस तरह की अदूरदर्शिता की बातें करने से कोई फायदा होने वाला नहीं । हमें अपनी कमियों के कारण, अपनी कमजोरियों के कारण इस उत्तर प्रदेश के इतने बड़े उद्योग को खत्म नहीं कर देना है । यदि इसको जीवित रखना है तो हमको सबको बैठ कर, सोच-विचार करके, एक संतुलित विचार को सामने रखना होगा और संतुलित विचार रख कर वह बातें करेंगे ताकि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग-धंधा जीवित और जाग्रत रह सके । महज किसानों को आमंत्रित करने के लिये और हमारी असमर्थताओं को बराबर किसानों के बीच में व्यक्त करके इस समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता है । वह व्यक्ति इस उद्योग-धंधे का दुश्मन है जो आज इसके संचालन के विषय में संतुलित तरीके से विचार करने के लिये उद्यत नहीं है और उनको आगे बढ़ाने के लिये उत्सुक नहीं है । मेरा सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन है कि हमारा कोई ऐसा कदम नहीं होना चाहिये जो किसानों को उन दिक्कतों और परेशानियों में डालने की चेष्टा करे जो यदि अधिक गन्ना उत्पादित किया जायगा तो हमारे सामने उपस्थित होंगी । जो लोग इस तरह की चर्चा किया करते हैं, जबकि मिलों के पास पैसा न हो, और बराबर पुकार लगाते हैं कि हमने जान-बूझ कर गन्ने की कीमत नहीं बढ़ायी, तो या तो उन्होंने सार्वजनिक जीवन में कार्य नहीं किया है या उनमें उसकी क्षमतानहीं है । यह दल जो पीछे बैठा हुआ है जिसमें से बहुत से लोग निकल कर उधर गये हैं, उन्होंने ४०–४०, ५०–५० साल काम किया है । पालीवाल जी भी काम करते रहे हैं । उन्होंने

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

विभिन्न संस्थाओं और एक अखबार की रचना की है और एक ट्रस्ट बनाया है। क्या उन्होंने चन्दा नहीं मांगा है ? क्या वे चन्दा नहीं मांगते हैं ? क्या वे चन्दा मांग करके संस्थाएं निर्मित नहीं करते हैं ? क्या "सैनिक" का ट्रस्ट उन्होंने चन्दे से नहीं चलाया है या बनाया है ? हम लोग भी सार्वजनिक कार्य करते हैं, हमने भी सार्वजनिक जीवन में कार्य किया है । जितने लोग पीछे बैठे हैं उन्होंने जगह जगह अपने यहां सार्वजनिक जीवन में कार्य किया है और वह सार्वजनिक जीवन में स्थान रखते हैं । उन्होंने कुर्बानी करके, जनता में कार्य करके अपना स्थान बनाया है और लोगों के बीच में श्रद्धा और प्रतिभा कमाई है और ये श्रद्धावान और प्रतिभावान व्यक्ति चन्दा मांग कर संस्था निर्मित करते हैं तो कौन व्यक्ति सार्वजनिक कार्यकर्त्ता कहे जाने का मुस्तहक है यदि वह ऐसा नहीं करता ?

यह कहना कि हम सरकार में बैठे हैं, हम चन्दे के लिये अपने कर्त्तव्य को भूल जाते हैं, तो वे लोग वे हैं जो कि बेकार के आदमी हैं जिन्होंने अपने सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में कोई जिम्मेदारी नहीं उठायी है । बार बार इसकी आलोचना करना कि हम तो पूंजीपतियों के कारिंदे हैं, नुमाइंदे हैं, ये तो वे बातें हैं जिनको हमने सन् ५२ में सुना, सन् ५७ में सुना और आज भी सुन रहे हैं । मेरे कान में वे बातें भूली नहीं है जब विरोधी दल के कार्यकर्ता लोग हमारी मीटिंगों को डिस्टर्ब करते थे, कहते थे कि "पूंजीपति के तीन दलाल, गुप्ता, पन्त, जवाहरलाल" ।

आज भी झारखंडे राय जी ने यह नारा लगाया । यह बहुत पुराना नारा है जिसको आप दोहराते ही रहेंगे । उधर संस्थाएं भी बनेंगी और प्रदेश के सार्वजनिक जीवन में हम कार्य भी करेंगे और अपने उत्तरदायित्व और कर्त्तव्य को बराबर निभाते रहेंगे । आज हमें कोई कह दे कि वह यह जानता है कि जो चन्दा देते हैं हमने उनके साथ कोई खास बर्ताव किया हो ? जब जब उन्होंने किसी कानून के विरुद्ध कार्य किया है १५ साल के अन्दर, बराबर उन व्यक्तियों को सजा भी दी है और कभी कानून का उल्लंघन होने नहीं दिया है । आज यह हिन्दू विश्व-विद्यालय खड़ा हुआ है । जगह जगह पर सहारनपुर से लेकर गाजीपुर तक संस्थाएं हैं, ये सब किनके द्वारा पले हुये हैं ? (विरोधी पक्ष द्वारा शोर होने पर) यही तो आपकी परम्परा है । जब दूसरा बोलता है तो उसे सुनने के लिये तैयार नहीं हैं । जब आप बोलेंगे और कोई दूसरा हस्तक्षेप करता है तो उसकी आप आलोचना करते हैं । खैर, यह तरीका आपको ही मुबारक हो ।

जहां मैंने आपसे गन्ने के उत्पादन और उसके उत्पादक के बारे में बात की, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज केन्द्रीय सरकार परेशान है । उसके खाद्य मंत्री विदेशों में गये और करीब ढाई, तीन लाख टन चीनी का व्यवसाय भी करके आये । हम केन्द्रीय सरकार से बातें कर रहे हैं और कुछ योजनाओं पर भी विचार किया है और ऐसा निर्णय लेना चाहते हैं जिससे हम इस उद्योग को बचा सकें और उत्पादक को सहायता दे सकें जिससे वह अपना स्तर ऊंचा कर सकें ।

यह भी कहा गया कि हमने कैबीनेट का एक्सपैंशन कर लिया । अरे, एक्सपैंशन कर लिया तो क्या बुरा किया ? जिस प्रकार से और प्रदेशों में केबीनेट्स हैं, जितनी संख्या में हैं और जितनी आमदनी उन प्रदेशों की है, यदि आपने यह सब देखा होता तो उत्तर प्रदेश में ३० व्यक्ति हैं जिनमें ३ आनरेरी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हैं । क्या यह बड़ी संख्या है ? बम्बई और बंगाल की आमदनी क्या हमारे प्रदेश से ज्यादा है ? बंगाल में ३४ मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और बम्बई में २५ हैं, जब कि हमारे यहां आमदनी बम्बई से करीब डेढ़गुनी है और बंगाल से हमारी आमदनी ज्यादा है ।

आज हमारे ऊपर आपत्ति की जाती है कि हमने बड़ा घोर पाप किया और हमने जनता के हितों की रक्षा नहीं की और बहुत अहित के कार्य किये । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो खर्च में हमने कमियां की हैं, आपने उसका मजाक उड़ाया,

हमारे मंत्री लोग जो एक टिकट लेकर सफर करते हैं, उसका आपने मजाक उड़ाया, हम लोग जो छोटी गाड़ी पर चलते हैं, उसका मजाक उड़ाया गया । मंत्रियों के यहां सिपाही रहते हैं, उनको हटाया तो उसका भी मजाक उड़ाया गया । म जानना चाहता हूं कि क्या आपके विचारों में संतुलन है ? या तो यह कहिये कि आप इकानामी नहीं चाहते हैं यह कहिए कि जितना हम टैक्स लगाना चाहते हैं उसे लादते जाइये और आज जहां कम करने की चेष्टा करते हैं उसे कम न कीजिये ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--यह "आप" शब्द का प्रयोग किसके लिये है ?

श्री अध्यक्ष--"आप" शब्द मुझे भी लग रहा है ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैं इस शब्द का इस्तेमाल इस सदन के माननीय सदस्यों के लिये कर रहा हूं । विरोधी सदस्यों के लिये कर रहा हूं ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या "आप" शब्द का इस्तेमाल सदस्यों के लिये किया जा सकता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैं अध्यक्ष की मार्फत "आप" शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--अभी माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि आपके बिहाफ पर वह "आप" शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--उन्होंने कहा कि मेरे जरिये इस्तेमाल कर रहे हैं । मेरे बिहाफ पर नहीं ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारी इकानामी का तरीका या जो चीज हमने इकानामी के रूप में की वह बनावटी है या दिखावटी है । यदि वह दिखावटी चीज है तो वह हमारा दुर्भाग्य ही है । जो चीज हम करते हैं, उसको आप यह दिखाने की चेष्टा करते हैं कि वह दिखावटी है । यह विचारों का कोई संतुलन नहीं है । यह तो प्रत्येक चीज में मोटिव लगाने की आप की आदत है । अभी हाल ही में सब दलों की एक मीटिंग हुई । उसमें एक संहिता तैयार की गई । उस संहिता में कुछ बातें तय हुईं । उदाहरणार्थ यह कि ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे जिसमें जातीयता को प्रोत्साहन मिलता हो, ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे जिसमें कम्युनेलिज्म को प्रोत्साहन मिले ।

कई माननीय सदस्यों ने हमारी हिन्दी की नीति के बारे में चर्चा की और उसकी आलोचना की । उनका कहना है कि हमने हिन्दी की प्रगति के बारे में कुछ नहीं किया है । मैं सदन के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जो बातें उस समय कही गई थीं, जब हमने यहां कार्यभार सम्हाला था, उनके उत्तर में हमने कहा था कि हम हाईकोर्ट से निवेदन करेंगे कि वह बहस करने के लिये हिन्दी में इजाजत दें । यह कार्य हम १९५५ से करते आ रहे थे । और फिर भी हमने उनसे निवेदन किया ।

श्री अध्यक्ष--मेरा खयाल है आप ५ मिनट में भाषण खत्म कर देंगे ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--फिर भी हमने हाईकोर्ट को लिखा कि जो व्यक्ति हिन्दी में बहस करना चाहें उनको हिन्दी में बहस करने की अनुमति दे दें । इस बार हाईकोर्ट ने उस पर सहानुभूतिपर्वक विचार किया और हमारे हक में फैसला किया ।

मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि अभी हम दिल्ली गये । वहां मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, प्रधान मंत्री उसके अध्यक्ष थे । यह तो सभी को मालूम है कि दक्षिण के कुछ प्रदेशों में हिन्दी की प्रगति तेजी के साथ नहीं हो रही है और कहीं-कहीं तो उसका विरोध भी है । उस विषय में भी वहां पर विचार विनिमय हुआ । दक्षिण के मुख्य मंत्रियों ने इस बात का निर्णय लिया कि आने वाले वर्षों में वे ऐसा प्रयास करने जा रहे हैं कि हिन्दी को वास्तविक रूप में और देव नागरी अक्षरों को वास्तविक रूप में राष्ट्र भाषा और राष्ट्र के विचारों को प्रकट करने की भाषा बनाया

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

जा सके । यह माननीय सदस्यों को विदित है कि दक्षिण प्रदेश के नुमायंदों ने इस प्रकार से हिन्दी के बारे में कभी नहीं कहा था । यह सौभाग्य की बात है कि इस सम्मेलन में इस प्रकार का निर्णय लिया गया जो राष्ट्रीय भाषा के विचार से और हिन्दी की जो स्क्रिप्ट है, देवनागरी उसको मान लेने से एक बड़ा भारी कदम उठाया गया है । यह हिन्दी के विकास, प्रसार और प्रगति के लिये एक बहुत भारी कदम है । इस कदम को लाने में इस सरकार को और इस प्रदेश की सरकार को जो सफलता मिली है वह उसी प्रयास का फल है जो यह सरकार पिछले १५ वर्षों से करती रही है। तो क्या यह जो भी सफलता मिली है वह कांग्रेस दल के प्रयत्नों से नहीं मिली है ? क्या उन दलों के प्रयत्नों से मिली है जो हमारी आलोचना किया करते हैं ?

हमारी इस नीति की वजह से बहुत आलोचना की गई कि हमने उर्दू को रीजनल लैंग्वेज मान लिया और झगड़े को बढ़ा दिया । मैंने कभी इस विषय की चर्चा नहीं की । मैंने तो केवल इस बात को बतलाया था कि पहले से जो कांग्रेस की सरकारें निर्णय करती चली आ रही थीं उन निर्णयों के तहत में काम हुआ है या नहीं और अगर नहीं हुआ है तो किस प्रकार उसको कार्यान्वित किया जा सकता है, इस बात की जानकारी प्राप्त हो सके, उसके लिये एक कमेटी की स्थापना कर दी । मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं जो उर्दू का विरोधी हो । मैं तो उसको उतनी महत्वपूर्ण जबान मानता हूं जितनी कि और जबान हैं । मैं यह भी नहीं मानता कि वह केवल मुसलमानों की जबान है । मैं तो मानता हूं कि वह २५ सालों से हिन्दू और मुसलमान दोनों की जबान रही है और सब लोग उसको बोलते और लिखते चले आये हैं । जगह-जगह इस भाषा का प्रचार था । तो फिर प्रत्येक को, जो उसको पढ़ना चाहता है, क्यों उसको रोका जाय, क्यों उसके मार्ग में अड़चन डाली जाय । यदि कोई व्यक्ति उर्दू को पढ़ना चाहता है, यदि कोई व्यक्ति बंगाली को पढ़ना चाहता है, यदि कोई व्यक्ति गुजराती को पढ़ना चाहता है तो हर एक को उसका अवसर मिलना चाहिये जिससे कोई मनोमालिन्य पैदा न हो । जो व्यक्ति उर्दू पढ़ने का विरोध करने के लिये तैयार हैं और उसका प्रचार करने के लिये तैयार हैं, और वे जो कि जबानों को विकसित नहीं होने देना चाहते हैं, हिन्दी के दुश्मन हैं । यहां बहुत सी आलोचनायें की गईं लेकिन उन सब के विषय में मैं यहां चर्चा करना नहीं चाहता हूं ।

श्री गौरीशंकर राय--श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव है कि सदन का समय थोड़ा बढ़ा दिया जाय ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अपनी जिन नीतियों की मैं बराबर घोषणा करता रहा हूं उनके पालन करने की हमने चेष्टा की है । यदि हमने कहीं उनके पालन करने में अपनी असमर्थता दिखलाई है तो हमारी वे दिक्कतें व परेशानियां रही है, व साधनों की कमियां रही हैं जिनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ सके हैं ।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं विशेषाधिकार सम्बन्धी एक प्रश्न उठाता हूं । माननीय मुख्य मंत्री ने सदन को यह सूचित किया कि मैंने अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से समितियों के बाहर जाने की व्यवस्था की । तो मैं जानना चाहता हूं. . . .

श्री अध्यक्ष---आप मुझे नोटिस लिख कर दे दें ।

श्री राजनारायण--आप इसको मान लें कि विशेषाधिकार का प्रश्न मैंने उठाया, मैं लिख कर दे दूंगा ।

श्री गौरीशंकर राय--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय थोड़ा बढ़ा दिया जाय, क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री को दो मामले का जवाब देना रह गया । हारे हुये मंत्रियों के मुताल्लिक व पोलीटिकल मर्डर्स के बारे में वे जवाब नहीं दे सके । उनकी पार्टीबाजी की वजह से तमाम लोग जो तबाह हैं, ये सब बातें छूट गई हैं । इसलिये थोड़ा सा समय बढ़ा दें ।

श्री अध्यक्ष---माननीय मुख्य मंत्री जवाब देकर बैठ गये, और गृह मंत्री जी जवाब दे चुके । फिर दूसरे लोगों को मैंने बोलने नहीं दिया, इसलिये मैं इसमें मुख्य मंत्री के लिये एक्सेप्शन करने को तैयार नहीं हूं । अगर आप प्रस्ताव पेश कर देंगे तो मैं उस पर सदन की राय ले लूंगा ।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)---मैं व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं । चैप्टर ११ के ४८ वें नियम के अनुसार क्या नेता, सोशलिस्ट पार्टी के लिये यह आवश्यक है कि वे आप के कमरे में जाकर ही नोटिस दें । इसलिये कि यह तो सदन के सम्मुख चीज हुई है । उसके लिये तो इतना ही काफी है कि वे सदन में ही मान्यवर को नोटिस दे दें ।

श्री अध्यक्ष---आप हर चीज पर क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं । आप सोचें कि मैंने क्या कहा । मैंने कहा कि प्रीवीलेज के सवाल के लिये आपको नोटिस देना हो तो आप पहले सेक्रेटरी के पास लिखकर भेज दें । उसके लिये आप बाकायदा नोटिस दीजिये । इसके लिये सेक्रेटरी को ही नोटिस दी जाती रही है हमेशा । यह सदन के सामने की चीज नहीं है । उन्होंने तो कुछ पुरानी बातें कहीं । नियम यही है कि उसके लिये लिख कर सेक्रेटरी को नोटिस देनी चाहिये ।

श्री राजनारायण---नियम तो यह है लेकिन मैं आपको सूचना दे देता हूं कि मैं प्रीविलेज का क्वेश्चन लाने वाला हूं ।

*श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---मान्यवर, सबसे पहले तो मैं इस आदरणीय सदन के सभी सदस्यों और माननीय नेताओं को इस बात के लिये बधाई और धन्यवाद देता हूं कि एक-दो अपवादों को छोड़ कर विवाद का स्तर गिरने नहीं पाया । विशेष रूप से मैं माननीय गृह मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने मिजाज पर काबू रखा ।

अध्यक्ष महोदय, मेरे लिये यह सम्भव नहीं है कि दो दिनों से जो विवाद हो रहा है उन सब का उत्तर मैं १५ मिनट में दे सकूं । इसलिये मैं अपनी बातों को कुछ सीमा के भीतर ही रखूंगा और आज ही आपके सामने माननीय मंत्रियों ने जो भाषण किये हैं उनके सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं ।

पहली बात तो यह है कि माननीया सुचेता कृपालानी ने यह कहा कि हम लोग यह झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि चपरासियों और गरीब क्लर्कों को हटाया जा रहा है । मैं आपके जरिये निवेदन कर दूं कि यह प्रोपेगेंडा हमारी तरफ से नहीं किया गया है बल्कि सरकार की तरफ से ही यह झूठा प्रोपेगेंडा किया गया है कि हम फलां चीज में इस तरह इकोनामी कर रहे हैं । नेशनल हेराल्ड जैसे पत्र में निकला है और सवालों के जवाब में कहा गया है कि ८० क्लर्कों को कम किया गया है और इतने चपरासियों को कम किया जा रहा है जिनका पूल किया जायगा । यहां यह फूट हो रही है लेकिन फूट प्रोपेगेंडा का सारा आरोप सरकार के ऊपर है जिसके मंत्रिमंडल की सदस्या माननीया सुचेता कृपालानी जी हैं....

श्रीमती सुचेता कृपालानी---मैंने पूल के बारे में कहा था । हटाने के लिये नहीं कहा था ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---मुझे तो इस बात की खुशी है कि जो आरोप उन की सरकार पर लगाना चाहिये था और जिन बातों के आधार पर बात कही उसको झूठा करार देकर आरोप हम पर लगाया ।

दूसरे माननीय गोविन्द सहाय जी ने जो कहा और जिस का समर्थन माननीया सुचेता कृपालानी जी और माननीय चरणसिंह जी ने भी किया वह गुटबन्दी की बात थी । कहा गया कि गुटबन्दी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

का विरोध जो करते हैं वह प्रजातंत्रवाद का विरोध करते हैं । मेरी समझ में नहीं आया कि यह गुटबन्दी का विरोध किस तरह से प्रजातंत्रवाद का विरोध हो जाता है । मान लें कि हम प्रजातंत्रवाद के विरोधी हैं जब हम गुटबन्दी के खिलाफ कुछ कहते हैं लेकिन इस सत्तारूढ़ पार्टी के नेता और प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जितनी गुटबन्दी की निन्दा की है उसकी तो शतांश भी हमने यहां बुराई नहीं की है । इसलिये अगर गुटबन्दी की आलोचना करना प्रजातंत्रवाद के विरुद्ध है तो माननीय गोविन्द सहाय जी और उनके समर्थक अपने प्रधान मंत्री में पहले अविश्वास का प्रस्ताव लायें और उसे पास करायें और कहें कि वह प्रजातंत्र के विरोध में क्यों गुटबन्दी की निन्दा करते हैं ।

इसके अलावा एक भूतपूर्व मंत्री ने कहा कि हम औरों के मुकाबले में १०५ हैं । माननीय चौधरी चरणसिंह जी ने कहा कि भीतरी गुटबन्दी से वह लाभ उठाना चाहते हैं । लेकिन मैं उन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम तो उन की भीतरी गुटबन्दी से लाभ नहीं उठाना चाहते लेकिन मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि उनकी इस भीतरी गुटबन्दी से उनका ही नुकसान होगा और प्रदेश की जनता का नुकसान हुआ है और हो रहा है । इसलिये हम तो चाहते हैं कि आपकी गुटबन्दी दूर हो । वह जो उदाहरण दिया गया १०५ कौरव और पांडवों का कि वह दूसरों के लिये १०५ थे लेकिन मैं उनसे जानना चाहता हूं कि उस महाभारत का आखिरी परिणाम क्या हुआ ? १०० कौरव मारे गये तो ५ पांडव क्या बच गये, उनका क्या हुआ ? वह भी हिमालय में जाकर समाप्त हो गये । वही परिणाम होना है तो आपको मुबारक हो । इसलिये आपसी गुटबन्दी के आरोप पर जो सफाई दी गई वह कुछ अच्छी सफाई नहीं थी ।

मुझे इस बात का भी दुख है कि सरकार की तरफ से इतने भाषणों में हमारे आरोपों की जो सफाई दी गई. . . .

श्री चरणसिंह—मेरी दरख्वास्त है कि आप जरा नाराज न हों ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मैं उतनी तेजी से हां बोल रहा हूं जितनी से कि माननीय मुख्य मंत्री जी बोले हैं, अगर नाराजगी है तो पहले गृह मंत्री जी मुख्य मंत्री से निपट लें उस के बाद मुझसे कहें ।

अध्यक्ष महोदय, यह माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से जो सफाई दी गई उससे अविश्वास का प्रस्ताव पेश करने से पहले मुझे जितना अविश्वास था, मैं यह नहीं समझता था कि हमारे आरोपों की सफाई सरकार की ओर से इतनी कमजोर होगी और इस कमजोर सफाई को सुनकर तो हमारा अविश्वास और अधिक बढ़ गया है कि सरकार इस पद पर रहने लायक नहीं है । माननीय गृह मंत्री जी तथा माननीय मुख्य मंत्री जी दोनों ने कहा कि इधर से कोई नई बात नहीं कही गई । मैं उनको याद दिलाऊंगा कि मेरे पास यहां के रिपोर्टरों द्वारा लिखी हुई टाइप्ड कापी मौजूद है । इसमें मैंने आरोप लगाया था कि आपकी गुटबन्दी के कारण प्रशासन में ढिलाई आई है, उसके ज्वलंत उदाहरण दिये गये थे लेकिन उस के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया । इसी तरह से भीतरी गुटबन्दी के सम्बन्ध में जो बात कही गई थी उसका भी कोई उत्तर नहीं दिया गया, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसका भी कोई उत्तर नहीं दिया गया । माननीय गृह मंत्री इस बात को याद करें कि वह इस विधान सभा में दो बार यह कह चुके हैं, चकबन्दी के सिलसिले में और बाद में पुलिस के सिलसिले में. . . .

श्री अध्यक्ष—आप अगर बैठकर बोलना चाहें तो बैठकर बोल सकते हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—धन्यवाद । तो यह दो बार कह चुके हैं कि अगर मुझे इस बात का नैतिक विश्वास हो जाय कि कोई अधिकारी रिश्वत लेता है और जोर-जुल्म करता है तो मैं उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा । मैं चरणसिंह जी और मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मुझे कुछ अधिकारियों के संबंध में., जिनके नाम मैं इसलिये नहीं बताना चाहता कि

यह सदन की मर्यादा के विरुद्ध होगा, लेकिन मुख्य मंत्री को बताने के लिये तैयार हूं, मुझे नैतिक विश्वास है कि वह भ्रष्टाचारी हैं और जनता से रिश्वत ले रहे हैं और जनता को परेशान कर रहे हैं । तो उसका भी कोई उत्तर हमें नहीं दिया गया । माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने चन्दे की बात कही. . . .

श्री चरणसिंह—मैं आपकी इजाजत से एक बात कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय । माननीय पालीवाल जी ने अपने व्याख्यान में ऐसी तो कोई बात नहीं कही थी. . . .

(शोर)

मैं यह अर्ज कर रहा था कि माननीय पालीवाल जी ने कहा कि उन्हें इस बात का भी उत्तर नहीं दिया गया, लेकिन जहां तक मुझे याद है, माननीय पालीवाल जी ने इस तरह की कोई बात पहले नहीं कही । लेकिन अगर उनको अब किसी अफसर के खिलाफ शिकायत है और उन को मारली विश्वास है तो वह लिखकर दे दें, जरूर कार्यवाही की जायगी ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मैं विवड़ा करता हूं, जहां तक न कहनेकी बात है । मुझे माननीय गृह मंत्री जी से एक शिकायत है कि उन्होंने मेरी दो बातों को खंडन करने की नाकामयाब और बेकार कोशिश की । लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं, यह मेरे पास रिपोर्टरों द्वारा टाइप किया हुआ भाषण मौजूद है, उन दोनों बातों को उन्होंने मिथ्या कहा है । मैंने जो नहीं कहा है उसका हवा में खंडन किया है और मेरी बात का खंडन नहीं किया है । उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक जो समझा उसका खंडन किया है । मैंने जो राजनैतिक हत्या के बारे में बात कही थी वह साफ-साफ कही थी कि नेकराम शर्मा ने जो ध्यान आकृष्ट करने का प्रस्ताव पेश किया उसके आधार पर कहा था और उसके संबंध में माननीय गृह मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया था और मैंने जिसका शीर्षक नैशनल हेराल्ड में पढ़ा उसके बारे में कहा था और मैंने साफ कहा था कि उस समय मैं मौजूद नहीं था लेकिन इस आधार पर कह रहा हूं । इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

एक बात माननीय चरण सिंह जी ने कही कि वह चौधरी बलदेवसिंह वाली पुरानी बात थी । तो मैंने कहा था कि नई नीतियों के प्रमाण देने के लिये मैं एक-आध पुरानी बात भी कहूंगा । यह मेरे भाषण में है । शासन की नीति, शासन सत्ता का दुरुपयोग, विरोधियों का दमन करना और मुकदमों का चलाना, इनके प्रमाण में मैंने चौधरी बलदेवसिंह जी का नाम लिया था । इसलिये उनकी यह बात भी गलत थी ।

चन्दे की बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने कही । मैं सहमत हूं कि चन्दा मैंने सैनिक ट्रस्ट के लिये दिया है और यह भी कह सकता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी सैनिक को चन्दा दिया है । लेकिन एक फर्क है । पदों पर रहकर जो मंत्री महोदय चन्दा लेते हैं और पदों से अलग सार्वजनिक कार्यकर्त्ता चन्दा लेते हैं उनमें जमीन आसमान का अन्तर है । मंत्री का चन्दा रिश्वत का रूप धारण कर लेता है और सार्वजनिक कार्यकर्त्ता का चन्दा रिश्वत का रूप नहीं धारण करता (तालियां) इसलिये उनकी यह दलील भी निहायत कमजोर थी ।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा कुछ बातें बड़ी शेखी की कही गयीं । यह कहा गया कि आपका यह प्रस्ताव पास नहीं होगा, प्रस्ताव पहले भी कई बार आ चुके हैं और पास नहीं हुए हैं । मैं मानता हूं कि पहले भी प्रस्ताव आ चुके हैं और पास नहीं हुए हैं लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के लोग, जिस पार्टी के वह आज भी सदस्य हैं, उसके इतिहास को देखें । हमारे राष्ट्र के नेता महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू जिस आन्दोलन को चला रहे थे अंग्रेज सरकार के खिलाफ उसको सफलता मिलने में कितने वर्ष लगे और अंग्रेजी सरकार के मुताबिक अगर उन्हें ६० वर्ष लगे तो यदि हमें कुछ वक्त लगे तो इसमें आपको बहुत संतोष नहीं होना चाहिये । यह कहा गया कि हमने देख लिया है ऐसे कई चुनावों को । चुनावों में आपने क्या देखा ? सन् ५२ के पहले चुनाव में ४३ से कम विरोधी आये थे और ५७ में उनकी संख्या १४४ हो गया । यह इतिहास है । अगर सन् ५७ के चुनाव में तिगुने हो गये तो ६२ के चुनाव में अगर दुगुने भी हो गये तो आप कहां रहेंगे ? इस बात की आप कल्पना कर लीजिये, इस बात की भी कल्पना

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

कर लीजिये, बहुत ऐंठिए नहीं । जिन नेताओं का मैंने नाम लिया १९२३ में स्वराज्य पार्टी की तरफ से खड़े हुये थे और हारे थे, १९२६ में फिर हारे थे, लेकिन तीसरे चुनाव में, १९३६ में जीत करके यहां आये थे जिसके फलस्वरूप आप यहां बैठे हैं । तो याद रखिये तीसरा चुनाव बड़ा खतरनाक होता है । दो इतिहास इस बात को दोहरा रहे हैं इसलिये उसको भी न भूल जाइये और ज्यादा घमण्ड भी न कीजिये । यह याद रखिये आप के मुख्य मंत्री भी दो बार जनता के चुनाव में हार चुके हैं । यह शेखी कि हम नहीं हारेंगे, यह घमंड कि हम अमर रहेंगे सदा इन कुर्सियों पर, गलत है । ऐसा ही नैशनलिस्ट पार्टी समझती थी, लेकिन उसका घमण्ड १९३६ में दूर हुआ, आपका १९६२ में होगा ।

परिस्थिति यह भी हो सकती है, जो आपने कहा कि १९५९ में भी हमारा अविश्वास का प्रस्ताव गिरा था जिसका परिणाम कुछ नहीं हुआ । पर उस प्रस्ताव से एक परिस्थिति उत्पन्न हुई थी जिसके परिणामस्वरूप आज आप मुख्य मंत्री बने बैठे हैं और जिसके फलस्वरूप पुराना मंत्रिमंडल बदल गया । अतः इस प्रस्ताव के गिर जाने के बाद ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है कि आप हट जायं और दूसरा कोई आ जाय ।

श्री अध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री जी, आप २, ४ मिनट बोलना चाहें तो बोलें । लेकिन ५ मिनट से ज्यादा समय नहीं मिलेगा ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—श्रीमन्, एक बात और कहनी है, क्योंकि समय खत्म हो गया था, जिसको नहीं कह पाया था । माननीय सदस्यों ने परम्पराओं को बनाने के सम्बन्ध में बातें कही थीं, और सरकारी अधिकारियों के विषय में, जिन्होंने इस प्रदेश में कार्य किया है, जो यहां उपस्थित नहीं हैं, कुछ बातें माननीय सदस्यों ने कहीं । वे बातें मेरे नोटिस में नहीं लाई गईं, मुझे कभी बताया नहीं गया । यहां के चीफ सेक्रेटरी के विषय में चर्चा कर दी गई । यह एक दुर्भाग्य की बात है जो अधिकारी यहां हैं नहीं उसके बारे में ऐसा कहा जाय । उसके विषय में पहले सरकार को बताया जाय और फिर यदि सरकार कुछ न करे तो आप आलोचना कीजिये । यद्यपि वह सरकारी नौकर एक योग्य व्यक्ति रहा है और यहां उस पर तरह तरह के आरोप लगा दिये जायं तो यह सही परम्परा नहीं है । यदि किसी अधिकारी के विषय में किसी मेम्बर को कुछ कहना है तो उसे सरकार की नोटिस में पहले लाना चाहिये और यदि सरकार उस पर कोई कार्यवाही न करे, जानबूझ कर उसे छुपाना चाहे तो अवश्य माननीय सदस्यों को अधिकार है कि उस व्यक्ति और सरकार की आलोचना करें ।

माननीय पालीवाल जी ने एक डी० एस० ओ० के विषय में चर्चा की कि वह ५०,००० रुपये इकट्ठा करे । यह बिल्कुल असत्य बात है, बिलकुल बेबुनियाद है । मैंने जो कहा इस सरकार में काम करने वाले या इस दल के सदस्यगण इतने कमजोर नहीं हैं । यदि उन्हें किसी सार्वजनिक कार्य के लिये चन्दा इकट्ठा करना है तो उनके कंधे मजबूत हैं, ४०-५० साल से जनता की सेवा करते हुए उन्होंने विभिन्न संस्थाओं और आन्दोलनों का संचालन किया है, जनता के बीच में गये हैं और वहां से पैसा इकट्ठा किया है न कि सरकारी कर्मचारियों की सहायता से । इसलिये ऐसी बातें कहना क्या हमारे लिये शोभनीय है ? यह कहना कि किसी सरकारी कर्मचारी की मदद से किसी चीज का सम्पादन सरकार करती है गलत है और ऐसी बातें वही कह सकता है जो सार्वजनकि जीवन में ऐसी बातें लाने की चेष्टा नहीं करना चाहता जिनके लाने की अभिलाषा यहां प्रकट करना चाहता है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यदि परम्पराओं की स्थापना करने की बातें कही जायं तो उनसे न कही जायं जिन्होंने इस देश में परम्परायें बनाकर देश को आजाद करने की चेष्टा की और जिसकी सेवा करना वह आज भी अपना परम कर्त्तव्य समझते हैं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन वर्तमान मन्त्रिपरिषद् में अपना अविश्वास प्रकट करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गई ।)

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि लाबी में वोट लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—लाबी में तो होगा ही। मैं समझता हूं सदन यह चाहेगा कि जब तक लाबी में वोटिंग न हो जाय तब तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

ठीक है। सबकी राय यह है ।

यह जो श्री टम्बरेश्वरप्रसाद का आध घंटे का प्रस्ताव है यह कल रख दें तो कोई आपत्ति तो नहीं है क्योंकि आध घंटा तो विभाजन में लग जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे जरा दूसरी जगह जाना है। परसों रख दें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—परसों तो छुट्टी है। २८ के लिये आप तैयार हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

श्री अध्यक्ष—तो २८ को रखा गया।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—एक व्यवस्था की बात है। अगर वोटिंग के बाद सरकार पलट जायगी तो परसों क्या होगा, पहले यह सोच लें।

श्री अध्यक्ष—ऐसा यदि हुआ तो सम्भवतः उसके बाद एक सर्वदलीय सम्मेलन होगा और वह अपना नेता चुनेगा।

(घंटी बंद होने के उपरान्त)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन वर्तमान मंत्रिपरिषद् में अपना अविश्वास प्रकट करता है।

(विभाजन की पुनः मांग होने पर।)

श्री अध्यक्ष—जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हों वह कृपया 'हां' कक्ष में जाकर मतदान करें और जो इसके विपक्ष में हों, वह कृपया 'न' कक्ष में जाकर मतदान करें।

श्री गौरीशंकर राय—माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है, जब तक गिनती आये, जो मेम्बर अविश्वास के पक्ष में हों उनमें १४५ की संख्या इसलिये जोड़ दी जाय कि कांग्रेस पार्टी के १४५ सदस्यों ने लिखकर दे दिया है कि उनका सरकार में विश्वास नहीं है।

श्री राजनारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, गौरीशंकर राय जी ने जो सूचना दी है उससे मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति हमारे प्रदेश में आ गई है कि जनतन्त्र को दृष्टि में रखते हुए कुछ विचार करना चाहिये। हमारे मित्र देवीप्रसाद मिश्र जी ने सूचित किया है कि माननीय कमलापति जी इसलिये आये हैं कि १४५ सदस्यों ने वर्तमान मन्त्रि-मण्डल में अविश्वास होने वाले कागज पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। श्रीमन्, अगर बाहर इस प्रकार से हस्ताक्षर करें और सदन में वोट करें तो कैसा चरित्र है। इसीसे यह जनतन्त्र चलायेंगे ? चित्त की दुर्बलता ऐसी नहीं होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—इसके लिये सेमिनार कर लीजिये।

श्री राजनारायण—ठीक है श्रीमन्, मैं तैयार हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, एक चीज बता दीजिये कि आपने आचार संहिता बना डाली, लेकिन यह चीज बाकी रह गई है।

श्री अध्यक्ष—यह तय हुआ कि दूसरे सेमिनार में बाकी बातों पर विचार पूरा किया जायगा।

श्री श्री कृष्णदत्त पालीवाल---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय माल मन्त्री जी पर धूप आ रही है, अगर वह अपना साया फैला लेंगे तो धूप से बच जायेंगे। (हंसी)

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह त्रिसेन)---अपना साया दे दीजिये तो धूप से बच जाऊं।

श्री अध्यक्ष---वह हमेशा हाजिर जवाब रहते हैं, लेकिन इस वक्त नहीं बोल सके। (हंसी)

श्री हुकुमसिंह त्रिसेन---जी, मैंने तो पहले ही उनका साया मांगा था। (हंसी)

श्री राजनारायण---मैं श्रीमन्, यह जानना चाहता हूं कि इसमें जो केवल बैठे रहेंगे, तटस्थ लोग उनका क्या वोटिंग में कोई जिक्र होगा?

श्री अध्यक्ष---यहां कोई तटस्थ नहीं है।

श्री राजनारायण---हमारे उपाध्यक्ष महोदय जी ही अलग बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष---ऐसे तो मैं भी बैठा हुआ हूं।

श्री राजनारायण---आप तो कुर्सी पर बैठे हैं, आपका तो कास्टिंग वोट है, आपका वोट तो नहीं है, लेकिन उनके लिये क्या होगा?

श्री अध्यक्ष---हां तो उनको आप तटस्थ समझ लीजिये।

(कुछ समय उपरान्त)

श्री अध्यक्ष---गणना का परिणाम इस प्रकार है---

हां---९०

अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
उग्रसेन, श्री
उल्फतसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गजेंद्रसिंह, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जसुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जरगास हैदर, श्री सैयद
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दराम, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

बदलूराम, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बालकराम, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामदीन, श्री
रामबली, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायणराय, श्री
रूर्मसिंह, श्री
बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरेन्द्रशाह, राजा
शिवराम, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
सजीवनलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री

नहीं—२९१

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ लोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जरीर जाफरी, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकी, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री

गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरबलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दातारराय चौधरी, श्री
दीनदयालु वारुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मिसल, श्री
(मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
(गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिन्दुमतीदास श्रीमती,
बिशम्बरसिंह, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री

अमर उजाला

बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजभूषणशरण श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भीमसेन, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री

लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त कण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह सिसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

श्री अध्यक्ष---यह प्रस्ताव गिर गया। अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ११ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२३ अगस्त, १९६१।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११० पर)

इलाहाबाद के स्वीकृत फैब्रीकेटरों की सूची

क्रम सं०	फैब्रीकेटरों के नाम	जांच से पहले की श्रेणी	जांच के बाद की श्रेणी	विवरण
	सर्वश्री			
१	हलीम ब्रदर्स	(क) श्रेणी	(क) श्रेणी	
२	एच० एस० मोहम्मद सिद्दीक एन्ड सन्स	(क) ,,	(क) ,,	
३	आर० सी० ब्रदर्स	(क) ,,	(क) ,,	
४	एस० अब्दुल तालिक	(क) ,,	(क) ,,	
५	जैसवाल आइरन स्टील वर्क्स	(क) ,,	(क) ,,	
६	जहूर मुहम्मद एन्ड सन्स	(क) ,,	(क) ,,	
७	बेनी प्रसाद अयोध्या प्रसाद	(क) ,,	(क) ,,	
८	रामा स्टील वर्क्स	(क) ,,	(क) ,,	
९	ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कम्पनी	(क) ,,	(क) ,,	
१०	मंजूर अहमद	(ख) ,,	(ख) ,,	
११	स्वदेशी ट्रंक स्टोर्स	(ख) ,,	(ख) ,,	
१२	आगा एन्ड कम्पनी	(ख) ,,	(ख) ,,	
१३	आर० के० स्टोर्स	(ख) ,,	(ग) ,,	
१४	अब्दुल लतीफ एन्ड अब्दुल अजीज	(ख) ,,	(ख) ,,	
१५	प्यारे लाल गुप्ता	(ख) ,,	(ख) ,,	
१६	इलाहाबाद आइरन फाउन्डरी	(ग) ,,	(ग) ,,	
१७	अलोपी दीन शिव प्रसाद	(ग) ,,	(ग) ,,	
१८	कन्हैया लाल राजेन्द्र नाथ	(ग) ,,	(ग) ,,	
१९	हाजी अब्दुल रहमान	(ग) ,,	(ग) ,,	
२०	हाजी अब्दुल रहीम एन्ड सन्स	(ग) ,,	(ग) ,,	
२१	प्रयाग गेल्वेनाईजिंग इन्डस्ट्रीज	(ग) ,,	(ग) ,,	
२२	मोहम्मद इस्माईल अब्दुल हक	(ग) ,,		इनका कोटा कैंसिल कर दिया गया ।
२३	हीरा लाल खन्ना	(ग) ,,	(ग) ,,	
२४	दीना नाथ खन्ना स्टील ट्रंक फैक्टरी	(ग) ,,	(घ) ,,	

क्रम सं०	फ़ैब्रीकेटरों के नाम	जांच पहले की श्रेणी	जांच बाद की श्रेणी	विवरण
	सर्वश्री			
२५—	पायोनियर इन्डस्ट्री	(ग) ,,	(ग) ,,	
२६—	इन्द्र कुमार खन्ना	(ग) ,,	(ग) ,,	
२७—	शाह मुहम्मद एन्ड सन्स	(ग) ,,	(ग) ,,	
२८—	राम स्वरूप मनचन्दा	(ग) ,,	(ग) ,,	
२९—	रहमत उल्ला	(घ) ,,	(घ) ,,	
३०—	नन्हे मुबीन	(घ) ,,	(घ) ,,	
३१—	अब्दुल करीम एन्ड सन्स	(घ) ,,	(घ) ,,	
३२—	गोपाल राम महावीर प्रसाद	(घ) ,,	(घ) ,,	
३३—	मुहम्मद उमर मुहम्मद यूसुफ	(घ) ,,	(घ) ,,	
३४—	गुलाम भूसन एन्ड ब्रदर्स	(घ) ,,	(घ) ,,	
३५—	अलीम ट्रंक फैक्टरी	(घ) ,,	(घ) ,,	
३६—	मुहम्मद साबिर मुहम्मद बसीर	(घ) ,,	(घ) ,,	

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११७ पर)

कस्बा औरंगाबाद जिला बुलंदशहर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क पर अनधिकृत रूप से बनवाई गयी दूकानों के दूकानदारों की तालिका

क्रमांक	दूकानदार का नाम	अतिक्रमण का प्रकार
१	श्री बलवंत सिंह	लकड़ी की दूकान
२	श्री इतिखार, पुत्र श्री अब्दुल अजीज	पक्की
३	श्री चन्द्र भानु	पक्की
४	श्री बाकर खां	पक्की
५	श्री बुन्दू खां	फूस की
६	श्री बुन्दू	फूस की
७	श्री कयाम बारबर	फूस की
८	श्री जफर बारबर	फूस की
९	श्री चम्पत मल	फूस की
१०	श्री हुसैनी	फूस की
११	श्री सईद	फूस की
१२	श्री सईद	फूस की
१३	श्री जम्मा बारबर	फूस की
१४	श्री बाकर खां	पक्की
१५	श्री मन्नी	पक्की
१६	श्री इन्चार्जी मजीद	पक्की
१७	श्री नन्हें	पक्की
१८	श्री छेदालाल	फूस की तथा कच्ची
१९	श्री अब्दुल रहमान	लकड़ी की
२०	श्री मुरलीधर	—
२१	श्री दामो दर दास	कच्ची दूकान
२२	श्री अजीज खां	कच्ची दूकान
२३	श्री सईद खां	पक्की

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२१३ एल० ए०—१९६१—८४५ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा